राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का सातवां दिवस [संख्या ६

मंगलवार, ३० अप्रेल, १९५७

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व ११-०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : वे सदस्य जिन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे।

(श्री दामोदरलाल व्यास ने शपथ ग्रहण की)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गत तीन वर्षों में चर्म उद्योग हेतु दिया गया ऋण

११. **श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** (आमेर) : कला-उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में १९५४-५५, १९५५-५६ और १९५६-५७ में चर्म उद्योग के लिए किन किन व्यक्तियों को कितना कितना रुपया लोन एवं सहायता स्वरूप दिया गया ? उनके नाम, पता, जाति आदि बतलाई जावे।

(ख) उनके कारखाने (चर्म उद्योग) कहां कहां चल रहे हैं तथा उनका क्या आउट पुट है ?

(ग) क्या कितने ही सवर्ण हिन्दू हैं जिन्होंने चर्म उद्योग के बारे में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की किन्तु फिर भी चर्म उद्योग के बहाने वे इस सहायता से लाभ उठा रहे हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो वे कितने हैं और ऐसा क्यों हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) गत तीन वर्षों में चर्म उद्योग के लिए लोन एवं सहायता के रूप में दी गई धन-राशि का विवरण व्यक्तिवार संलग्न तालिका में दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

(ख) उनके कारखाने (चर्म उद्योग) जहां चल रहे हैं वह तालिका में दिया गया है। प्रत्येक का आउट पुट मालूम करने के लिए समय की आवश्यकता है।

(ग) कोई नहीं। उपरोक्त सहायता चर्म उद्योग का कार्य करने वालों को ही दी गई।

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि एक सवर्ण को सांगानेर में चर्म उद्योग खोलने के लिए २५ हजार रुपया और जमीन भी दी गई थी लेकिन धन्धा वे नहीं चला रहे हैं और जमीन वापिस ले ली गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे सामने ऐसी कोई जानकारी नहीं है; जब जमीन वापिस ले ली गई है तो रुपये भी वापिस ले लिये गये होंगे ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : माननीय मुख्य मंत्री को यह पता है कि गत असेम्बली सेशन में इस विषय में काफी चर्चा हुई थी जिसमें ऐसे लोगों को पैसा दिया गया है जो जन्म से चर्मकार नहीं हैं और न चर्म का उद्योग ही करते हैं और न उनके पास इस सम्बन्धी कोई डिप्लोमा ही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो जानकारी मैंने अभी दी वही जानकारी मेरे पास है । दूसरी जानकारी नहीं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह समझा जाय कि किसी सवर्ण को पैसा नहीं दिया गया ? मैं इस संबंध में विस्तृत जानकारी चाहता हूँ । क्या उनसे रुपया वापिस ले लिया गया है और जमीन भी ले ली गई है ?

श्री सुखाड़िया : मैं इसकी जानकारी प्राप्त करके ही जवाब दे सकता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जो तालिका सदन में प्रस्तुत की गई है उसमें सांगानेर के सवर्ण को चमड़े के उद्योग के लिये मदद देने का उल्लेख है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक सैकिंड में देखकर बताता हूँ । मोहनपुरा का का नाम सा तो है; इससे तो मतलब नहीं है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने जान-बूझ कर यह मामला छोड़ दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह बिलकुल गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : सांगानेर का उल्लेख इसमें है या नहीं ?

श्री सुखाडिया : इसमें नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो क्या यह सत्य है कि जानबूझ कर सरकारी अधिकारियों द्वारा मन्त्री महोदय को अन्धकार में रखने के लिये इसका उल्लेख छोड़ दिया गया है और झूठी लिस्ट मन्त्री महोदय को दे दी है ताकि उसका पता न लगे ।

श्री सुखाडिया : I am sorry, मारवाड़ चर्म सहकारी समिति लिमिटेड भीलवाड़ा तहसील संगरोर... Sorry, यह वहां का नहीं है, जान बूझ कर नहीं छोड़ा गया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अध्यक्ष महोदय, गत असेम्बली में इस पर काफी चर्चा हुई थी और इस बात का गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब भी दिया गया था कि ३० हजार रुपया एक सज्जन को दिया गया था ।

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

जिनका नाम मैं नहीं बतलाना चाहता और वह इसलिए दिया गया था कि सांगानेर में एक चर्म उद्योग स्थापित करे। अब आप उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दिया गया। ऐसा नाम सूची में नहीं है। तो यह जान बूझ कर छोड़ दिया गया है मुगालते में रखने के लिये।

श्री सुखाडिया : चर्चा के बाद शायद ठीक हो गया हो।

श्री भैरोंसिंह (१४) : सांगानेर में चर्म उद्योग समिति के नाम से रामचन्द्र बेनीवाल को सरकार की ओर से चर्म उद्योग के लिये एक रकम दी गई थी, क्या सरकार को इसकी जानकारी है।

श्री सुखाडिया : इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी है या नहीं, यह मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि रामचन्द्र को सरकारी सहायता मिली थी या नहीं चर्म उद्योग को सांगानेर में स्थापित करने के लिये? अध्यक्ष महोदय, मुझे इसका जवाब साफ साफ मिलना चाहिये।

श्री सुखाडिया : जहां तक मेरी जानकारी है उनको कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई क्योंकि जिनको सरकारी सहायता दी गई है उनकी सारी लिस्ट इसमें दी हुई है, पर इसमें उनका नाम नहीं है और न इसमें तीस हजार के मद की कहीं भी कोई संस्था ही है जिसको इतनी रकम दी गई हो।

श्री भैरोंसिंह : तीस हजार का मतलब नहीं। आप तो यह बता दीजिये कि इनको कोई सरकारी सहायता इस चर्म उद्योग के नाम से सांगानेर में खोलने के लिये दी गई या नहीं?

श्री सुखाडिया : मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इस मामले में मैं और जानकारी करना चाहता हूँ। इस लिस्ट के अनुसार....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, आप बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या १२।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जिन लोगों को सहायता....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये, दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है।

सीकर जिले में अध्यापकों का यूनिफाइड पे स्केल में फिक्सेशन

१२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे : (क) सीकर जिले में किन किन अध्यापकों का यूनिफाइड पे स्केल में अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है और क्यों? कृपया ऐसे अध्यापकों की एक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(ख) इस फिक्सेशन का कार्य कब तक समाप्त हो जायगा?

Page No.4

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : (ख) का उत्तर नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : (ख) का उत्तर दीजिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (क) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ए. जी. द्वारा इसका फिक्सेशन स्वीकृत हो जाने पर।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : यह कब तक स्वीकृत हो जावेगी ?

श्री पूनमचन्द : शीघ्र ही। इसके लिये बराबर कोशिश की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : ए. जी. को सरकार की ओर से इस विषय में जल्दी करने के लिये कब और किस तारीख को लिखा गया?

श्री पूनमचन्द : इसकी तारीख मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या आप यह बता सकते हैं कि कम से कम कितने दिन पहले सरकार की ओर से ए. जी. को याद दहानी इस विषय में दिलाई गई ?

श्री पूनमचन्द : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो अब क्या सरकार यह उचित समझती है कि ए. जी. को इस सम्बन्ध में जल्दी करने के लिए तकाजा किया जावे ?

श्री पूनमचन्द : इसके लिये बराबर कोशिश की जा रही है और शीघ्र ही यह मामला तय कर दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (१४) : जिन अध्यापकों का फिक्सेशन नहीं हुआ उनके बारे में ही ए. जी. से राय लेने की आवश्यकता सरकार को क्यों महसूस हुई, जब कि सीकर के बाकी के सबों का फिक्सेशन हो चुका है ?

श्री पूनमचन्द : इनमें से कइयों का रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं था क्योंकि उनके ट्रान्सफर हो गये थे; इस वजह से टाइम पर उनका फिक्सेशन नहीं हो सका ?

श्री भैरोंसिंह : क्या जिनके बारे में ए. जी. को नहीं लिखा गया उनके सबके रेकॉर्ड उपलब्ध हो गये थे ?

श्री पूनमचन्द : यह किया गया कि जिनके रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाये उनके नये सिरे से रेकॉर्ड तैयार कर लिए जावें ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिनके सूची में नाम हैं उनके रेकॉर्ड भी अब तक नहीं मिल रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो जिनके रेकार्ड गुम हो गये उसकी जिम्मेदारी सरकार ने किस अधिकारी पर ठहराई है ?

श्री पूनमचन्द : यह जानकारी बाद में दी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह उचित समझते हैं आप कि जिनके कब्जे में वे रेकॉर्ड थे और अब नहीं उपलब्ध हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये ?

श्री पूनमचन्द : यह बात नहीं है, गुम होने का सवाल नहीं आता। समय पर उपलब्ध नहीं हो पाये, इस कारण ऑर्डर जारी किये गये कि जिनके उपलब्ध नहीं हो सकते समय में तो उनके रेकॉर्ड नये सिरे से तैयार किये जावें ताकि उनका फिक्सेशन का कार्य जल्दी हो सके।

श्री भैरोंसिंह : क्या दूसरे रेकॉर्ड तैयार हो गये हैं या आदेश दिये जा रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द : ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि उनके रेकॉर्ड उपलब्ध करने की कोशिश की जावे और अगर नहीं मिलते हैं तो दूसरे तैयार कर दिये जावें।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोशिश करने के सम्बन्ध में कोई टार्गेट डेट मुकर्रर की गई थी ?

श्री पूनमचन्द : जी, नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जब आप टार्गेट डेट फिक्स नहीं करते तो फिर क्या आप उन अधिकारियों को अपना डिस्क्रीशन उपयोग में लाना उचित समझते हैं कि उनकी मर्जी आवे तब तक कोशिश करते रहें और इस तरह से अनिश्चित समय तक इसको टालते रहें ?

श्री पूनमचन्द : इसके लिये "शीघ्र" कह दिया गया है न। आपकी जानकारी के लिये और कह दूं कि इसके लिये एक इन्सपेक्टर को मुकर्रर भी कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

परिगणित जाति छात्रावासों को शासकीय सहायता

१३. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर): क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान सरकार की ओर से शिड्यूल्ड कास्ट्स द्वारा चलाये गये कितने छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है ?

(ख) यह छात्रावास कहां कहां चल रहे हैं और इनमें प्रत्येक में कितने कितने लड़के, किस किस जाति के रह रहे हैं ? गत वर्ष के आंकड़े बतलावें।

(ग) सन् १९५५-५६ में उक्त छात्रावासों को सरकार की तरफ से कितनी कितनी रकम सहायतार्थ दी गई ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ-उपाध्याय) : (क) सरकार की ओर से चलाये गये शिड्यूल्ड कास्ट्स के १० छात्रावासों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) सूची संलग्न है।

श्री हरिशंकर : मुझे इसकी सूची नहीं मिली साहब।

श्री उपाध्याय : तो मैं पढ़ देता हूँ।

शिड्यूल्ड कास्ट्स द्वारा चलाये गये छात्रावासों की सूची १९५६-५७

१. बापू छात्रावास हीसावास २७
(जाटव १५, मेघवाल ६, मेहतर ४, रेगर २)

२. बापू छात्रावास, झुंझुनू ३६
(चमार ३६)

३. बापू छात्रावास, चिड़ावा २०
(चमार २०)

४. विद्यार्थी आश्रम, राजगढ़ (चूरू) २५
(प्रत्येक जाति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, एकत्रित किये जा रहे हैं।)

५. दलित छात्रावास, गंगानगर २५
प्रत्येक जाति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, एकत्रित किये जा रहे हैं।

६. गांधी छात्रावास, नवलगढ़ ३७
(चमार ३०, रेगर ४ भंगी २, नायक १)

७. चौधरी छात्रावास, मुकुन्दगढ़ २७
(चमार २४, रेगर १, मीना १, धानक १)

८. राजस्थान विद्यामन्दिर छात्रावास शाहपुरा (जयपुर) २३
(कुम्हार २, मीना १०, रेगर ६, आचारी १, धानक २, खटीक २)

९. गांधी छात्रावास अमरसर (जयपुर) २९
(बलाई १८, मेघवाल ४, कामड २, रेगर ५)

१०. हरिजन छात्रावास, सांगरिया ३०
(चमार २५, मजहवी ३, महतर १, थोरी १)

दूसरी शिड्यूल है जिसमें खर्चा भी बताया है, वह भी मैं पढ़ देता हूँ :

१. बापू छात्रावास, हीरावास ३८३५ रुपया १० आने

२. बापू छात्रावास, झुंझुनू ११,०२५ रुपया ५ आने।

३. बापू छात्रावास, चिड़ावा निल

४. विद्यार्थी आश्रम, राजगढ़ ३,१०० रुपया १४ आने।

५. दलित छात्रावास, गंगानगर १,६८० रुपया।

६. गांधी छात्रावास, नवलगढ़ ४,१४० रुपया २ आना।

७. चौधरी छात्रावास, मुकुन्दगढ़ १,६६७ रुपया ६ आना।

८. राजस्थान विद्यामन्दिर छात्रावास, शाहपुरा, जयपुर ८५५ रुपया १३ आना।

९. गांधी छात्रावास, अमरसर ३,७४२ रुपया ४ आना।

१०. हरिजन छात्रावास, सांगरिया ५,७६४ रुपया ३ आने।

श्री पी. के. चौधरी (फुलैरा) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतावेंगे कि गंगानगर, जयपुर और झुंझुनू के सिवाय क्या और किसी डिस्ट्रिक्ट में शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति रहते नहीं हैं कि सारे छात्रावास वहीं खुले हैं और उन्हीं को सरकार मदद देती है।

(कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग में ऐसे भी छात्रावास खुले हैं जिनके अन्दर हरिजन बालकों का दाखिला नहीं किया जाता?

Page No.7

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : मेरी जानकारी में तो नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय इसकी जानकारी करके मुझे बतायेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां, जानकारी करके बताऊंगा । आप बताइये कि कहां कहां हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : इसमें श्रीकृष्ण छात्रावास, सीकर का नाम क्यों नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस छात्रावास का जिक्र दूसरे प्रश्न में आता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इसमें ही देना चाहिए ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि सीकर छात्रावास का जिक्र क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्याय : जानकारी लेकर बता सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मान कर चलें कि सीकर छात्रावास को कोई सहायता नहीं मिलती है ?

श्री उपाध्याय : हो सकता है । इसीलिए शायद नाम नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह माना जाय कि छात्रावास का नाम जानबूझ कर छोड़ दिया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जानबूझ कर छोड़ने का सवाल नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जानकारी करेंगे कि श्रीकृष्ण छात्रावास, सीकर में चल रहा है या नहीं ? ऐसा तो नहीं है कि रुपया वैसे ही भेज दिया जाता हो और छात्रावास नहीं चलता हो ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या ऐसा है कि ऐसे छात्रावासों के सिलसिले में असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ने ऐसी शिकायत की है कि इनको सहायता न दी जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सीकर का श्रीकृष्ण छात्रावास और बापू छात्रावास के लिए ए. डी. ने ऐसी शिकायत की है और उसके बावजूद भी उनको सहायता दी गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे रेकार्ड में तो नहीं है । आप अलग प्रश्न पूछिये, मैं जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह समझा जाय कि यह जो रेकार्ड पेश किया गया है झूठ है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं स्पष्ट कर दूं कि लिस्ट उन छात्रावासों की है, उनमें प्रत्येक विद्यार्थी को १५) दिया जाता है और दूसरे जो हैं वे अलग हैं ।

Page No.8

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि श्रीकृष्ण छात्रावास चलता है और उसको सहायता भी मिलती है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न उन छात्रावासों का है जिनको सहायता मिलती है, १५) रु० का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न को बाद में रख लिया जाय, अध्यक्ष महोदय, ताकि जानकारी करके बता दिया जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्रीकृष्ण छात्रावास के लिए ही कह रहे हैं?

(विराम)

हां हां, ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

गंगानगर के कृषकों को पर्ची गिरदावरी व पर्ची मतालबा

१४. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में काश्तकारों को पर्ची गिरदावरी और पर्ची मतालबा न दिये जाने का क्या कारण है?

(ख) क्या यह सच है कि तारीख १७-२-५३ को प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर में इस सदन में यह विश्वास दिलाया गया था कि पर्ची गिरदावरी और पर्ची मतालबा काश्तकारों को समय पर मिलती रहेगी?

(ग) क्या सरकार पर्ची गिरदावरी और पर्ची मतालबा न देने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और कब तक?

उप राजस्व मन्त्री (श्री संपतराम): (क) पर्चियां दी जाती हैं इसलिए सवाल पैदा नहीं होता।

(ख) हां, सच है।

(ग) ऊपर (क) के दिये हुए जवाब को ध्यान में रखते हुए यह सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि कोई कर्मचारी राजाज्ञा का पालन नहीं करता है तो ऐसी बात ध्यान में आने पर अथवा लाये जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सामोद (त. आमेर) की मा. पाठशाला को हाईस्कूल बनाने की योजना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील आमेर के सामोद कस्बे में मिडिल स्कूल को हाईस्कूल बनाये जाने की योजना गत २ वर्षों से चल रही है?

(ख) क्या यह सत्य है कि सामोद के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इसके भवन निर्माण के लिए रु० ४०००) का चन्दा भी इकट्ठा किया है?

(ग) यदि हां, तो अब तक वहां पर हाईस्कूल क्यों नहीं खोला गया तथा भविष्य में सरकार का कब तक खोलने का विचार है?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) जी हां।

(श्री पूनमचंद)

(ख) जी हां, ऐसा जनता द्वारा कहा गया था, लेकिन सरकारी तौर पर कोई इत्तिला नहीं है और न कोई रकम ही जमा कराई गयी है।

(ग) सरकार द्वारा आधारित शर्तों की पूर्ति न करने के कारण।

(घ) यदि जनता ने आधारित शर्तों की पूर्ति कर दी तो अन्य मिडिल स्कूलों को हायर सेकिन्डरी स्कूल बनाते समय इस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष आमेर तहसील में कहां कहां हाई स्कूल बनाये गये ?

श्री पूनमचन्द : गत साल में कोई हाई स्कूल नहीं बनाया गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इस तहसील को बिल्कुल वैसा ही रखा गया, इसका क्या कारण है ?

श्री पूनमचन्द : यह इसमें सवाल नहीं उठता।

श्रीहरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : सामोद वालों ने इसके लिए चार हजार रुपया रख दिया था और....

श्री पूनमचन्द : ऐसा मैंने नहीं कहा कि सरकार के समक्ष रख दिये हों और सरकार ने नहीं लिए हों।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या इसकी सरकार को जानकारी है या नहीं कि चार हजार रुपये मौजूद हैं ?

श्री पूनमचन्द : गवर्नमेन्ट अपनी इन्फोर्मेशन दे सकती है दूसरों की नहीं। न कोई ऐसा तरीका है, रुपया मिला और लिया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या इसके आवेदन पत्र भेजे गये हैं और अगर सरकार के पास आवेदन पत्र आये हैं तो उन पर क्या विचार किया है ?

श्री पूनमचन्द : विचार किया जावेगा। डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार उन पर भी विचार होगा।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : कब तक विचार किया जावेगा, पांच साल बाद ?

श्री पूनमचन्द : अगर पूरी शर्तें मंजूर कर ली है तो नेक्स्ट स्कूल्स खुलेंगे तो उस पर भी गौर कर लिया जावेगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या उनको डिपार्टमेंट की ओर से पत्र लिखा गया है कि ये ये कमियें हैं।

श्री पूनमचन्द : जी हां, लिखा गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : लिखा गया है तो नम्बर और डेट बताने की कृपा करें ?

श्री पूनमचन्द : जी हां, बताता हूँ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिये उनको।

श्री पूनमचन्द : The letter is No. 40/55/5986, dated the 20th of August, 1955.

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस पत्र में क्या लिखा है, इसकी जानकारी दे दें ?

श्री पूनमचन्द : उसमें यह लिखा है कि दस हजार रुपया जमा करायें चालू वर्ष के लिए और एक भवन का इन्तजाम करिये।

श्री हरिशंकर : क्या यह सही है कि इस नियम को अब नहीं रखा गया है कि दस हजार रुपया नहीं जमा कराये तो नहीं खुल सकता है ?

श्री पूनमचन्द : हाई स्कूल नहीं खुल रहे हैं और अब हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खुल रहे हैं।

श्री हरिशंकर : उसमें दो शर्तें रखी हैं।

श्री पूनमचन्द : इतने मिडिल स्कूल्स होने चाहिये, प्राइमरी स्कूल्स इतने होने चाहिए, आठवीं-सातवीं में कितने लड़के हैं और दूसरे कितने हायर सेकन्डरी खुले हैं : यह देखकर मेरिट्स पर गौर किया जाता है।

श्री हरिशंकर : क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि उस एरिया में कोई छठी क्लास के लिए स्कूल नहीं है ?

श्री पूनमचन्द : प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर : क्या वहां भविष्य में ही हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिया जावेगा ?

श्री पूनमचन्द : उस पर विचार किया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय उप मंत्री महोदय ने फरमाया था कि रकम जमा नहीं कराने की वजह से नहीं खुलाया और ('आवाज नहीं आ रही है' ऐसी आवाज) माननीय सदस्य ने यह कहा कि जानकारी दूं कि चार हजार रुपया जमा कराये, मंत्रीजी ने फरमाया कि मैं इन्फोर्मेशन देता हूँ, आपकी इन्फार्मेशन से काम नहीं है, इसलिए भ्रम हुआ। मैं निवेदन करता हूँ कि हम भी उधर की तरफ के रहने वाले हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्न है या भाषण ?

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि कितने हाई स्कूल खुल जावेंगे ?

श्री पूनमचन्द : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

१६५२ से जागीरें पुनर्ग्रहीत होने से पूर्व जागीरी स्कूलों का लेना

१६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५२ से लेकर अब तक सरकार ने जागीरदारों द्वारा चलाये जाने वाले किन किन स्कूलों को, उनकी जागीरें रिज्यूम

(श्री भैरोंसिंह)

होने से पहले टेक ओवर किया है और कौन कौन सी तारीख को ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूलों के अध्यापकों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक पूर्ण हो जायगा ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) : (क) जागीर रिज्यूम होने से पहले सीकर जिले में खाचरियावास नाम के स्कूल को दिनांक १०.१०.५२ से टेक ओवर कर लिया गया था ।

(ख) सरकार द्वारा रखी गई समस्त पाठशालाओं के अध्यापकों के फिक्सेशन के स्टेटमेंट की विभागीय लेखा अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद ए. जी. राजस्थान को फाइनेलाइजेशन के लिए भेज दिये गये हैं । वहां से आते ही इन अध्यापकों को एरियर्स दे दिये जावेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : किस जगह भेज दिया गया ?

श्री पूनमचन्द : ए. जी. राजस्थान के पास ।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी तारीख को भेजा है ?

श्री पूनचन्द : तारीख इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन जागीरों की सारी स्कूलों के अध्यापकों का शुमार उन जागीरों के स्कूलों के अध्यापकों के साथ किया गया है जिनको डेट ऑफ रिज़म्पशन के बाद टेक ओवर किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिशनोई : जी हाँ ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा क्यों किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिशनोई : ऐसा क्यों किया गया है, उसके कोई खास वजुहात नहीं है । शायद इसलिये किया गया कि वे जागीर हेड में आ गई ।

श्री भैरोंसिंह : जागीर हेड में आने का सवाल नहीं है । जागीर रिज़म्पशन पहले भी टेक ओवर की गई हैं और बाद में भी की गई हैं । जिनको जागीर रिज़म्पशन के पहले टेक ओवर किया गया है उनकी कंडीशन्स दूसरी हैं और जिनको बाद में टेक ओवर किया गया है उनकी कंडीशन्स दूसरी हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि दोनों के लिये एक प्रकार का रवैया क्यों अख्त्यार किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) : जागीरों में जो कंडीशन्स थी आम-तौर से उनको रेस्पेक्ट किया गया है । लेकिन जागीर इलाकों की कंडीशन्स में भी कुछ भेद है; जैसे सीकर, खेतड़ी और उणियारा की स्कूलों की कंडीशन्स कुछ और हैं बमुकाबले दूसरी जागीरों की स्कूलों के । इनमें जो पेन्शन रूल्स वगैरह है वे दूसरी स्कूलों में नहीं होंगे । प्रोविडेन्ट फंड वगैरह दूसरी जगह नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : प्रोविडेन्ट फंड, प्रमोशन वगैरह की कंडीशन्स भी इस स्कूल में दूसरों की तरह ही है तो क्या इसका भी उन्हीं के साथ समावेश किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रकार की बातें होंगी पर्टिकुलरली तो एग्जामिन किया जा सकता है लेकिन रिज़म्पशन के पहले जिनको टेक ओवर किया गया है उनके लिये ये रूल्स लागू हों, यह आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब अकाउन्टेन्ट जनरल को लिखा गया तो फिर एग्जामिन करने की सूरत कैसे है ? मैं समझता हूँ एग्जामिन करके ही तो लिखा गया है कि पेन्शन रूल्स लागू नहीं होते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ जानकारी के अनुसार उनमें ये रूल्स लागू नहीं होते। लेकिन अगर कोई बात है तो ए. जी. को फिर से लिखा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : खाचरियावास स्कूल के साथ ही साथ मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी के स्कूल्स भी टेक ओवर किये गये थे लेकिन उनका फिक्सेशन दूसरी तरह से हुआ है, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या जानकारी प्राप्त करने के बाद सरकार ऐसा आश्वासन देने को तैयार है कि मारवाड़ रिलीफ सोसायटी की स्कूलों के साथ जैसा बर्ताव किया गया है वैसा ही इसके साथ ही किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फेक्ट्स को एग्ज़ामिन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

गत तीन वर्षों से श्रीकृष्ण छात्रावास सीकर को दी गई आर्थिक सहायता

१७. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत ३ वर्षों में अर्थात् १९५४-५५, १९५५-५६ व १९५६-५७ में श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर को कितनी. कितनी रकम सहायतार्थ दी गई तथा प्रतिवर्ष कितने कितने विद्यार्थी छात्रावास में अध्ययन करते रहे और इसके निरीक्षणार्थ विभाग की तरफ से कब कब कौन कौन से अधिकारी भेजे गये ?

(ख) क्या यह सही नहीं है कि बहुत से विद्यार्थी खाना ठीक न मिलने और मन्त्री के दुर्व्यवहार के कारण छात्रावास छोड़कर चले गये ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

मंत्री समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) श्रीकृष्ण छात्रावास, सीकर को सन् १९५४-५५ में ४,४१६ रू. ३४ नये पैसे, सन् १९५५-५६ में ५,९१० रू. ७५ नये पैसे तथा सन् १९५६-५७ में ५,५४७ रू. ७५ नये पैसे की सहायता दी गई।

सन् १९५४-५५ में २४ छात्र ५५-५६ में ४२ छात्र तथा ५६-५७ में ३३ छात्रों ने अध्ययन किया।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

निरीक्षण करनेवालों की सूची इस प्रकार है :

नाम अधिकारी	निरीक्षण की तारीख
१. श्री जगदीश प्रसाद, सीनियर इन्सपेक्टर	६.२.५५, १८.२.५६
२. श्रीमती अनुपमा भंडारी, महिला कल्याण अधिकारी	२०.३.५६
३. श्री उत्सवलाल शर्मा, सहायक संचालक	७.६.५६
४. श्री भवानी सिंह, वेलफेयर इन्सपेक्टर	१५.१.५६

मतलब यह है कि सन् ५६ में भिन्न भिन्न अधिकारियों ने चार बार निरीक्षण किया ।

(ख) हां, यह सही नहीं है । खाना नहीं मिलने के कारण व मन्त्री के दुर्व्यवहार के कारण कोई छात्र छोड़कर नहीं गये ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास में एक महतर लड़का पढ़ता था, उसको इसलिये निकाला गया कि वह वहां नहीं रह सकता ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस छात्रावास में एक लड़का महतर का पढ़ता था ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उसको क्यों निकाला गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह २४.१.५१ को छोड़ कर चला गया ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या उसने छात्रावास छोड़ते समय यह निवेदन किया था कि मन्त्री महोदय उसको तंग किया करते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे मालूम नहीं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या जानकारी प्राप्त करके उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि छात्रावास के मन्त्री का छात्रों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार रहा है और इसके कारण वहां पर भूख हड़ताल भी हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनके दुर्व्यवहार की शिकायत हुई थी लेकिन, जांच करने पर वह गलत साबित हुई ।

श्री भैरोंसिंह : भूख हड़ताल हुई थी या नहीं और क्या वह मन्त्री के दुर्व्यवहार के कारण नहीं हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दुर्व्यवहार की बात गलत साबित हुई ।

अध्यापक वर्ग को रेशनेलाइज्ड पे स्केल देने सम्बन्धी

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर

(श्री भैरोंसिंह)

देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि १९५६ से दी जानेवाली रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स अभी तक अध्यापकवर्ग को नहीं मिले हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और अब यह पे स्केल्स कब तक मिलेंगे ?

उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) बहुत से अध्यापकों को मिल चुके हैं, कुछ को नहीं मिले है ।

(ख) कई आवश्यक सूचनायें प्राप्त न होने के कारण विलम्ब हुआ तथा कार्य को पूर्ण करने की कार्यवाही जारी है । कार्यवाही पूर्ण होते ही पे स्केल्स मिल जायेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कोई टार्गेट डेट फिक्स की जाय ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ये सूचनाएं तो ऐसी थीं जो टीचर्स को देनी थी, पर समय पर नही दीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सब टीचर्स ने सूचनाएं निरीक्षक को दे दी थीं लेकिन उन्होंने अधिकारियों के पास नहीं भेजीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सूचनाएं पहुंची हैं लेकिन उनमें से कई अपूर्ण हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि रेनेलाइज्ड पे स्केल्स ऐसे आदमियों को नहीं मिले है जिनसे सूचनाएं तलब की गई हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कइयों का रेकॉर्ड पूरा नहीं है और कुछ का फिक्सेशन नहीं हुआ है और कुछ की सूचनाएं पूरी नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जिनका फिक्सेशन नहीं होने से रेनेलाइज्ड पे स्केल्स से पे नहीं मिलती है उनका फिक्सेशन क्यों नहीं होता ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सवाल बिल्कुल अलग है ।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल बिल्कुल प्रश्न के अन्तर्गत है । इसमें लिखा है कि यदि नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है । आपसे इसका कारण बताया कि फिक्सेशन नहीं हुए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिक्सेशन क्यों नहीं हुए हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : फिक्सेशन करने में बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं । कुछ बातें रेकर्ड पर नहीं मिलती हैं, कुछ के तबादलों में देरी हो जाती है, कुछ अकाउन्ट्स में देर हो जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : कारण क्या है, यह तो बताया नहीं ?

श्री अध्यक्ष : जो कारण इनको मालूम थे वे सब बतला दिये ।

नेक्स्ट क्वशचन ।

Page No.15

राज्यपाल पद के लिये नामावली

१६. **श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ) : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) Whether any representation or communication of any sort had been made by the Rajasthan State Government to the Union Government in regard to the appointment of the State's Rajyapal when States were re-organised in November, 1956.

(b) Is the Government aware that the list of probable nominees to this post under the consideration of the Union Government included the then Rajpramukh, H. H. the Maharaja of Jaipur ?

(c) Is it a fact that the then Rajasthan Government indicated to the Central Government their disapproval, in case H. H. the Maharaja of Jaipur was chosen to fill the honoured place ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(a) No.

(b) No.

(c) No.

श्री मदनसिंह : Thank you, Sir.

बालिका पाठशालाओं में अध्यापकों को वेतन वितरण की व्यवस्था सम्बन्धी

२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गर्ल्स स्कूल में अध्यापिकाओं को वेतन वितरण करने सम्बन्धी क्या व्यवस्था है?

(ख) क्या यह सही है कि सीकर जिले में अध्यापिकाओं को समय पर वेतन नहीं मिलता है ? यदि नहीं, तो सदन की मेज पर एक तालिका रखने का कष्ट करें कि सन् १९५६-५७ में किस किस गर्ल्स स्कूल को प्रत्येक माह का वेतन किस किस तारीख को दिया गया ?

(ग) वेतन वितरण सम्बन्धी अव्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) गर्ल्स स्कूल की अध्यापिकाओं को वेतन बिल उपनिरीक्षिकाओं द्वारा हर माह की २५ ता० तक बनाकर ट्रेज़री में पास कराने के लिए भेज दिये जाते हैं तथा वहां से पास होकर आने पर चुकारा केन्द्रों को भेज दिये जाते हैं। वहां से सम्बन्धित अध्यापिकाओं को मे वितरित किया जाता है।

(ख) जी नहीं। अध्यापिकाओं को वेतन प्रायः समय पर ही मिल जाता है। कभी कभी देर भी हुई है। सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ता० १.४.५७ से प्रचलित वेतन वितरण व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और नई व्यवस्था चालू की गई है जिसके अनुसार पेमेन्ट निरीक्षक तथा उप निरीक्षकों के कार्यालय से मनीऑर्डर द्वारा सीधा अध्यापिकाओं को भेजा जावगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि जिन अध्यापकाओं को दो महीने तक वेतन नहीं मिलता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री पूनमचन्द (उपशिक्षा मंत्री) : जो पुराना सिस्टम था उसकी वजह से हुआ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : क्या पुराने सिस्टम में ऐसी व्यवस्था थी कि दो महीने तक तनख्वाह नहीं दी जाय ?

श्री पूनमचन्द : वह सिस्टम ठीक नहीं था, इसलिए उसमें रद्दोबदल कर दी गई है और नया तरीका निकाल दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पुराना सिस्टम ऐसा था जिसमें अध्यापिकाओं को वेतन देने में दो महीने की देरी की जा सकती थी ?

श्री पूनमचन्द : ऐसा नहीं था, लेकिन कई कारणों से अध्यापिकाओं को तनख्वाह देरी से मिलती थी क्योंकि अध्यापिकाएं तो तनख्वाह लेने जा नहीं सकती थीं, इसलिए भी देरी होती थी। इसके अलावा डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस उनके बिल पास करती थीं, उसके बाद वे पास होने के लिए ट्रेजरी में जाते थे, इसके बाद गांव में तनख्वाह भेजी जाती थी, इसलिए देरी हो जाती थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

गत वर्ष हरिजनार्थ खुदवाये गये कुए

२१. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष १९५६-५७ में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने कुए कहां कहां एवं किस २ जिले में हरिजनों के लिए खुदवाये गये और उन्हें कितनी २ रकम सहायतार्थ दी गई ?

(ख) आमेर एवं जयपुर तहसीलों में कितने कुए बनाने हेतु सहायता दी गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सूची संलग्न है। सूची में करीब १२५ संख्यायें हैं और सचमुच यह तीन पेज लम्बा उत्तर है।

(ख) तहसील आमेर व जयपुर तहसील में कुए बनाने की सहायता नहीं दी गई।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : नहीं देने के कारण क्या हैं, क्या तहसील आमेर व जयपुर सूखी रहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिलों के लिए सहायता की रकम निश्चित की जाती है और फिर कार्यों की प्रायोरिटी फिक्स होती है। प्रायोरिटी के अनुसार ही कार्यों पर रकम दे दी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि प्रायोरिटी दूसरे कामों की थी इसलिए उनमें रकम खर्च की गई है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि प्रायोरिटी फिक्स करने में कौन से पोइन्ट होते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए नया नियम है, उनसे हमें अवगत करा दिया जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप इस पर दुबारा प्रश्न पूछ लीजिए।

एक माननीय सदस्य : सूचियाँ हमें पहले मिल जानी चाहिए ताकि सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने में हमें आसानी हो।

श्री अध्यक्ष : सूचियां पहले भेज देनी चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जरूर भेज दी जायंगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

ट्रेंड मिडिल व मैट्रिक अध्यापकों को प्रवर ग्रेड के आदेश

२२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि यूनिफाइड पे स्केल्स रूल्स के अनुसार ट्रेंड मिडिल तथा ट्रेंड मैट्रिक अध्यापकों को प्रवर-ग्रेड देने के आदेश जारी हुए हैं ?

(ख) क्या अभी तक इस आदेश को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि किया गया, तो कितने अध्यापकों को यह ग्रेड मिल चुका है ?

(ग) प्रवर ग्रेड के अनुसार १-४-५० से अध्यापकों की बकाया रकम उनको कब तक प्राप्त हो जायगी ?

(घ) क्या उन अध्यापकों को भी जो रिटायर हो चुके हैं प्रवर ग्रेड के अनुसार बकाया रकम दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) :
(क) जी हां।

(ख) जी हां, क्योंकि जब तक यूनिफाइड पे स्केल्स में समस्त ट्रेन्ड मिडिल तथा ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों का फिक्सेशन नहीं हो जाता तब तक इस आदेश को कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता।

(ग) फिक्सेशन का कार्य पूर्ण होने पर सीनियोरिटी कायम की जायगी, जिसके बाद तुरन्त रकम का भुगतान कर दिया जायगा।

(घ) जी हां, यदि वे सीनियोरिटी में आये तो उनको भी सिलेक्शन ग्रेड दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : 'घ' का जवाब नहीं आया।

श्री पूनमचन्द : जवाब दे चुका हूं। फिर बता देता हूँ, "जी हां"। यदि वे सीनियोरिटी में आये तो उनको भी सिलेक्शन ग्रेड दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या जिन शिक्षकों का फिक्सेशन हो चुका है, उनको प्रवर ग्रेड दे दी गई है ?

श्री पूनमचन्द : जिनका अभी फिक्सेशन नहीं हुआ है, उनको प्रवर-ग्रेड नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले उत्तर दिया कि अभी तक फिक्सेशन का काम बाकी है, तो पूछने का मेरा तात्पर्य यह है कि जिन केटेगरीज़ का फिक्सेशन हो चुका है उन अध्यापकों को प्रवर ग्रेड दी जा चुकी है ?

श्री पूनमचन्द : अभी नहीं दी गई है। जब तक सब का तय नहीं हो जायगा, मेट्रिक और मिडिल ट्रेंड टीचर्स की सीनियोरटी फिक्स नहीं हो जायगी, उस वक्त नहीं दिया जा सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : जिन केटेगरीज़ का फिक्सेशन तय हो चुका है, उनको प्रवर ग्रेड देने में क्या अडचन है ?

श्री पूनमचन्द : कौन कौन सी ग्रेड अलग हैं, यह सूचना नहीं है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि प्रवर-ग्रेड इसलिये नहीं दी गई है क्योंकि फिक्सेशन नहीं हुआ है। मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि जिन केटेगरीज़ का फिक्सेशन हो चुका है, ऐसे अध्यापकों को प्रवरग्रेड देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री पूनमचन्द : ऐसी केटेगरीज कौन सी हैं, यह मेरी जानकारी में नहीं है, जिनका फिक्सेशन पूरा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बताऊं कि अध्यापकों में ट्रेन्ड मिडिल और अनट्रेन्ड मिडिल केटेगरीज ऐसी हैं।

श्री पूनमचन्द : जिन केटेगरीज़ के लिए कह रहे हैं उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि फलां केटेगरीज़ का तय हो गया है और उनको ग्रेड्स मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य सेवा में लिये गये ठिकाना सीकर के कर्मचारी

२३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भूतपूर्व ठिकाना सीकर के किस २ विभाग के कर्मचारियों को राज्यसेवा में लिया गया है और उनकी नियुक्ति की तारीख कब से मानी गई है ?

(ख) किस किस विभाग के कर्मचारियों की सेवाएं ठिकाने की डेट ऑफ रिज़म्पशन से शुमार की गई है ?

(ग) एक ही ठिकाने के अलग अलग विभाग के कर्मचारियों के साथ भिन्न भिन्न बर्ताव क्यों किया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) भूतपूर्व ठिकाना सीकर के राजस्व विभाग के कर्मचारियों को तो उनकी तिथि से ही राज्य सेवा में शुमार किया गया है।

(ख) किसी की नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठाता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सीकर के अध्यापकों की सर्विस ठिकाने की डेट ऑफ रिज़म्पशन से शुमार की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिक्षा विभाग से मैं जानकारी करके बताऊंगा।

Page No.19

श्री भैरोंसिंह ; मेडीकल सर्विसेज भी ठिकाने की डेट ऑफ रिज़म्पशन से शुमार की गई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वैसे तो सर्विसेज़ डेट ऑफ अपोइन्टमेन्ट से शुमार की गई हैं। शिक्षा और मेडीकल के बारे में मैं जानकारी हासिल करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जिनकी सर्विसेज़ डेट ऑफ रिज़म्पशन से शुमार की गई हैं, वह गलत है; वास्तव में सर्विसेज़ डेट ऑफ अपोइन्टमेंट से शुमार होनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको पहले ही बताया कि डेट ऑफ अपोइन्टमेंट से शुमार होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : वही डेट ऑफ अपोइन्टमेंट से एक ठिकाने के लोगों की सर्विसेज शुमार की जाती हैं, कहीं डेट ऑफ रिज़म्पशन से; कर्मचारियों के अन्दर ऐसा अन्तर क्यों होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कुछ ठिकानों में डेट ऑफ अपोइन्टमेंट से सर्विसेज़ शुमार की गई हैं। लेकिन में आपको बताऊं कि जागीरदार अबोलिशन एक्ट में यह आता है कि सर्विसेज डेट ऑफ रिज़म्पशन से शुमार की जावें।

श्री दामोदरलाल व्यास : डेट ऑफ अपोइन्टमेंट से सर्विसेज शुमार की गई हैं। आप डेट ऑफ रिजम्पशन से सर्विस शुमार करने की बात बता रहे हैं, यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) अध्यक्ष महोदय....

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री श्रीनिवास, विभाजन संख्या १५६ ने दिनांक २६.४.५७ से ५.५.५७ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : Has he been sworn in?

श्री अध्यक्ष : I think, he has been sworn in.

श्री अर्जुनदास : I think it is not necessary at all.

श्री अध्यक्ष : But still it is granted.

११ ४५ म. पू०

राज्यपाल के अभिभाषण पर वादविवाद

(क्रम से)

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं निवेदन करूंगा कि अभी बोलने के लिए काफी सदस्य बाकी हैं। जो समय रखा गया

Page No.20

(श्री भैरोंसिंह)

है, उस समय के अन्दर ही माननीय मन्त्रियों को भाषणों के जवाब भी देने हैं । मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन का पहला मौका है और बोलने वाले काफी हैं, काफी सदस्य अपने रिप्रेज़ेन्टेशन प्रस्तुत करना चाहते हैं; इसलिए मैं चाहता हूं कि समय की कोताई न हो ।

(एक मामननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : जब एक माननीय सदस्य बोलते हों, तो दूसरे माननीय सदस्यों को खड़ा नहीं होना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए मेरा निवेदन है कि आज का दिन तो सदस्यों के बोलने के लिए ही निर्धारित कर दें तथा मन्त्री महोदय जवाब कल दें, तो विशेष कठिनाई नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : आज का दिन वाद-विवाद के लिए ही रखा गया है । मेरी सदन के नेता से बात हुई, वे इससे सहमत हैं कि उनकी तरफ से जवाब कल दिया जाय ।

(करतल-ध्वनि)

राजा श्री मानसिंह (वैर) : On a point order, Sir, I request that no time should be allotted to those members who will eventually oppose the voting.

श्री अध्यक्ष : It is difficult to know as to who will vote one side or the other, but time has been fixed and we will stick to it.

श्री जयेन्द्रसिंह (झालरापाटन): माननीय अध्यक्ष, जो गवर्नर महोदय के भाषण पर वादविवाद चल रहा है, इसके पक्ष में, मैं कहता हूं, कि इसके लिए जरूर हमें धन्यवाद देना चाहिये । लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिला देना चाहता हूं कि वे हो जानी चाहिए । जो मेरा इलाका है, मैं समझता हूँ वहां पर प्रगति होने का कोई सवाल नहीं है । पिछले पांच साल में वहां कोई प्रगति नहीं हुई है और न वहां के लोगों में किसी तरह का कोई उत्साह है । इसके लिए मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि झालरापाटन की तहसील में अफीम टैक्स के नाम से एक टैक्स लिया जाता है । वह टैक्स राजस्थान के किसी कोने में नहीं है । यह एक प्रकार से वहां के काश्तकारों पर बड़ी ज्यादती है । दूसरे वहां पर जंगल का कानून इतना सख्त है कि लोगों को अपनी रजाना की जरूरियात की लकड़ी भी प्राप्त नहीं होती है । पहले के समय में काश्तकारों से बिगोड़ी के नाम से से जंगल का एक टैक्स लिया जाता था जिससे कि वे अपनी जरूरियात की लकड़ी जंगलों में से ले लेते थे और जब रेवेन्यू की की वसूली होती थी उस समय वह टैक्स भी वसूल कर लिया जाता था, इससे उसको बड़ी सुविधा थी । अब जरा जरा सी बातों के लिए उनको ऊंचे अधिकारियों से मिलना पड़ता है और इस तरह अपनी जरूरियात पूरी करनी पड़ती है । इस प्रकार गांववालों को तंग किया जाता है ।

कुछ मैं अब स्वास्थ्य विभाग के लिये भी अर्ज करूंगा । तहसील छीपा बड़ोद में प्रसूति गृह खोला गया, वहां की जनता ने बड़ा उत्साह बताया, काफी रकम उसके लिये एकत्रित की, खर्च की । जब उन लोगों का डेपुटेशन उस समय के स्वास्थ्य मन्त्री के

Page No.21

(श्री जयेन्द्रसिंह-)

पास उनसे मिलने आया तो वे स्वास्थ्य मन्त्रीजी बड़े नाराज हुए, उनका यह कहना बड़े शर्म बात थी कि गवर्नमेन्ट इसमें कोई मदद नहीं करेगी। क्योंकि वहां से वेदपाल त्यागीजी चुनकर आये थे। वह पहले वेदपाल त्यागीजी की कान्स्टीट्यूएन्सी थी, इसलिये स्वास्थ्य मन्त्रीजी बड़े ही नाराज हुए और उन्होंने साफ कहा कि क्यों खोला है वहां, इसमें उल्लू बस यंगे। ऐसे शब्द उन्होंने डेपुटेशन के सम्मुख कहे, यह बड़े शर्म की बात है। एक मन्त्री के लिये ये शब्द कहना शोभाजनक नहीं। ऐसी बातों से लोगों के दिलों से विश्वास उठता है और वे प्रजातन्त्र को ढकोसला बताते हैं। ऐसी बातों से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास उठता है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बकानी तहसील में वहां की जनता ने गुरुकुल के नाम से एक स्कूल खोला.........

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : On a point of order, is the hon'ble member supporting the resolution or opposing it? I cannot make head or tail out of it.

श्री अध्यक्ष : You will discover just now.

श्री अर्जुनदास : I will reqest him to better come to this side.

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री जयेन्द्रसिंह : (जारी) मैं माननीय अध्यक्ष के द्वारा माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जरा धैर्य से सुनें, मेरा क्या मत है यह उन्हें अन्त में मालूम हो जायगा।

हां, तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बकानी की जनता ने एक गुरुकुल खोला, उसकी काफी तरक्की की और वह पुरानी संस्कृति का एक अच्छा स्कूल है, पर उसे सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। उस तहसील के गांव में पहले ही शिक्षा का अभाव है और इसे हर तरह यदि से ठुकरा या गया तो वहां की जनता में कोई उत्साह नहीं रहेगा, सरकार में कोई विश्वास नहीं रहेगा।

कोटा जिले में मनोहर थाना एक तहसील है, उसे राजस्थान सरकार ऐसा मानती है कि मानों वहां कोई रहता ही नहीं है, वह मानों राजस्थान का कोई इलाका ही नहीं है। न तो आज तक किसी मन्त्री ने वहां दौरा किया और न दूसरे अधिकारी ही वहां जाते हैं। वहां के लोग जानते ही नहीं कि आज़ादी क्या चीज है, कब मिली? मनोहर थाना दो नदियों से घिरा हुआ है। पहले वहां शहर को बचाने के लिए एक दीवार थी जो टूट गई है। शहर को बचाने के लिए अब कोई दीवार नहीं है। हर साल शहर के अन्दर पानी आ जाता है और शहर के मकानों की निचली मंजिलें पानी में ही डूबी रहती हैं। पिछली बार भी मैंने इस पर प्रकाश डाला था पर अफसोस है कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी बातें होती हैं तो आपके प्रति बड़ा अविश्वास पैदा होता है और लोगों के दिलों में अशान्ति पैदा होती है और दूसरे लोगों को मौका मिलता है कि उल्टी सीधी लोगों को भड़काते हैं इस-

Page No.22

(श्री जयेन्द्रसिंह)

लिए सरकार को चाहिये कि ऐसे मौके नहीं दे ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि करप्शन इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी हद नहीं है । ग्राम पंचायतों में सेक्रेट्रीज़ ऐसे ऐसे लोगों को रख लिया जाता है जो तीन–तीन साल के सजायाफ्ता हैं, उनको रीएम्प्लोय किया जाता है क्योंकि वे उनके खास रिश्तेदार हैं ।

मनोहर थाना में बांध बांधने की योजना है । कुछ ऐसा देखा गया है कि जहां बांध बंधवाना आवश्यक है वहां तो बांध नहीं बांधे जाते और जिन जगहों पर बांध बांधने की आवश्यकता नहीं है वहां पर बांध बांधे जाते हैं । मनोहर थाने में वैसे देखा जाय तो बांध बांधने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वहां बांध बांधने की योजना है । वहां के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया है । बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकारी अफसर उन लोगों को जाकर बहकाते हैं, उन्हें समझाते हैं, विश्वास दिलाना तो दूर रहा उल्टे बहकाते हैं, उन लोगों के दिलों में आतंक जमाते हैं कि लो अब तो बांध बंध जायगा, तुम्हारा सारा शहर डूब जायगा ! तो लोगों के दिलों में विश्वास जमाने के लिए यह आवश्यक है कि पहले गवर्नमेंट देख ले कि इस बांध के बंधवाने से क्या क्या फायदे होंगे और जो गांव डूब में आयेंगे उन्हें क्या मुआवजा दिया जायगा । यह सब पहले ही लोगों को बताकर उनके दिलों में विश्वास पैदा कर देना चाहिये । परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया, उल्टा उनके दिलों में आतंक जमाया गया है कि तुम्हारा शहर सारा का सारा डूब जायगा, इससे लोगों के दिलों में बड़ा आतंक और असन्तोष है । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे वहां का दौरा करें या दौरा न करें तो इस तरह का इन्तजाम करें कि लोगों में भ्रान्ति पैदा नहीं हो ।

जहां तक गवर्नर को धन्यवाद देने का प्रश्न है, मैं इसका समर्थन करता हूं. क्योंकि लाखों करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं । पर साथ ही यह भी अर्ज करूंगा कि कोटा डिवीजन में बिल्कुल खर्च नहीं किया जा रहा है । कोटा डिवीजन जितना अंधेरे में है उतना अंधेरे में शायद ही कोई इलाका होगा । मैं यह नहीं कहता कि और जगह उन्नति न हो, उन्नति हो पर सब जगह समान रूप से उन्नति हो; यह नहीं कि एक ही स्थान पर उन्नति की जाय, उन्नति सब जगह समान रूप से होनी चाहिये । मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोटा डिवीजन में और स्पेश्यली झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में तो एक सड़क तक नहीं बनी है, जैसा कि कल मेरे मित्र ने बताया था । ऐसी हालत रहेगी तो जनता को आप अधिक दिनों तक भुलावे में नहीं रख सकेंगे, एक समय आयगा तब जनता आपसे इन सब बातों का जवाब पूछेगी । ये बातें कड़वी जरूर हैं पर मैं सच्ची बातें सदन के सामने नहीं रखूंगा तो जिन लोगों ने मुझे यहां भेजा है उनके विश्वास के प्रति कुठाराघात होगा और अगर आपको इस सब का विश्वास नहीं है तो मेरे साथ आइये, मैं साबित करूंगा । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस वक्त वे अपना जवाब दें तो जरूर बतायें कि पिछले वर्ष झालावाड जिले के लिये क्या २ खर्च किया गया है, क्या प्रगति की और क्या प्रगति होने वाली है ? क्या क्या होने

(श्री जयेन्द्रसिंह)

वाला है, इसके सम्बन्ध में पहले ही क्यों नहीं प्रोग्राम दे देते ताकि जनता के दिलों में विश्वास पैदा हो जाय और संतोष हो कि यहर प्रगति की जा रही है ?

एक व्यक्ति ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी के पास थैली नहीं है। मैं कहता हूं कि थैली क्यों नहीं है, उनके पास तो इतनी बड़ी थैली है जिसमें आप सब समा रहे हैं! थैली तो उनके पास इतनी बड़ी है कि आज वे राजस्थान के सर्वे सर्वा हैं, राजस्थान की बागडोर उनके हाथों में है, आज चाहे जो वे काम कर सकते हैं और आज कर रहे हैं। उनका ध्यान जैसा उस जगह है उसी तरह की शुभ निगाह हमारे ऊपर भी रखें और हमारे इलाके के निवासियों के ऊपर रखें।

आपका देश कृषि प्रधान देश है। इसमें अगर कृषकों की इसी तरह से आपत्ति आवेगी और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो माननीय अध्यक्ष, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन ऐसा आवेगा कि आपको और हमको यह जवाब देना मुश्किल हो जावेगा कि आपने और हमने उनके प्रति क्या किया। मैं यह मानता हूं कि हमारे यहां अगर यही प्रगति रही तो केरल की स्थिति पैदा हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि प्रजातन्त्र काफी फले-फूले और उसके नीचे हम रह सकें, लेकिन इस तरह की बात हुई तो बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये मुख्य मन्त्री महोदय और मन्त्री महोदयों का ध्यान दिलाऊंगा कि आपको यह नहीं सोचना चाहिये कि यह चुनाव क्षेत्र भिन्न है और जिस चुनाव क्षेत्र से आप आये हैं उसी का भला हो। आपके लिये तो सारे इलाके बराबर हैं। आप मन्त्री हैं, आपके ही सारे इलाके हैं। आपको यह सोचना चाहिये कि सारे इलाके मेरे ही हैं और हम आपके मित्र हैं। जिस प्रकार से सहयोग होगा हम देते रहेंगे। यही मेरी प्रार्थना है और मुझे जो अर्ज करना था कर चुका।

(१२–३ मध्यान्ह)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने सदन में जो भाषण दिया उस पर बधाई का प्रस्ताव भी रखा गया है। मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर नहीं बल्कि उनके भाषण की दो पंक्तियें जो मुझे बहुत अच्छी लगीं और वे पंक्तियें जहां तक मैं समझता हूं सदन के सारे माननीय सदस्यों को अच्छी लगीं होंगी और उन्हीं दो पंक्तियों को रखते हुए, उन्हीं दो पंक्तियों के लिए जिन्होंने सदन के मार्ग को आगे बढ़ने को प्रेरित किया है उनको बधाई देता हूं। वे पंक्तियें मैं आपके व सदन के सारे सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा है कि :

" आप इस क्षेत्र में चाहे अनुभवी हों या हाल ही में आये हों, मैं आशा करता हूं कि आप निरन्तर स्मरण रखेंगे कि जनता ने आप पर भरोसा व विश्वास किया है और आप इस सम्मान के योग्य बनने के लिये निरन्तर परिश्रम करते रहेंगे।"

इन दो पंक्तियों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ परन्तु जहां तक उनके भाषण में जो राजस्थान की सरकार की नीति का दर्पण रखा गया है और पंचवर्षीय योजना में जो अब तक हो चुका है और उसके साथ ही साथ भावी पंच वर्षीय योजना में भी जो बातें हुई और रखी हैं, मेरा यह विश्वास है कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

जिस योजना के आधार पर अब तक काम हुआ है और जिस योजना के अनुसार आगे काम होगा, हो सकता है कि उस योजना में हम लोग, कुछ लोग मिलकर कुछ पत्थर, ईंट और मिट्टी को इधर से उधर उठा कर रखेंगे। मगर इस धरती पर रहने वाले उस मनुष्य के लिये जो धरती पर रह कर मांग करता है और जो योजना है उसके लिये कहते हैं कि आगे जाकर हम सच्चे समाजवाद की स्थापना करेंगे, यदि बेकारी की समस्या हल होगी, अनाज की पैदावार बढ़ेगी और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। तो हम समझेंगे कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा इसपर विश्वास होगा। लेकिन जो हो रहा है उससे तो हमारा विश्वास है कि आज जो स्थिति है उससे भी आगे आनेवाली स्थिति भयकर होगी और सच्चे समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकेगी। मैं जब इन बातों को कहता हूं तो बहुत सी बातें आपके और मेरे साथियों के दिमाग में आती होंगी कि इसका क्या प्रमाण है? जब मैं अध्यक्ष महोदय के सामने इन बातों को कहता हूँ तो मैं सबसे बड़ी चीज इस समाजवाद की समझता हूँ जो यह है कि जब तक जनतन्त्र में जनतन्त्र के तरीकों से काम करने की परम्परा नहीं होती तब तक सच्चे समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। मैं यह समझता हूं कि जहां तक जनतन्त्र का प्रश्न है, हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में चुनाव के बारे में चर्चा की परन्तु जो हमारा जनतन्त्र है उसमें किस आधार पर चुनाव हुआ और उनसे किन किन परम्पराओं का स्वागत किया गया, जिसका आधार साम्प्रदायिकता दूर करना था, उसके आधार पर नहीं हुआ। जिसका आधार जनतान्त्रिक परम्पराओं के आधार पर चुनाव करने का था उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि हमारा देश गणराज्य है और राष्ट्रपति गणराज्य का प्रतीक होता है और उसके साथ-साथ राज्यपाल भी गणराज्य का प्रतीक होता है और उस राज्यपाल के प्रति गण-राज्य की रक्षा होती है और वह उसका प्रतीक होता है। राज्यपाल का देखने का यह सबसे पहला कर्त्तव्य होता है कि वाकई में जनतन्त्र के उसूलों पर काम हो रहा है या नहीं? हमारे चुनावों में जनतन्त्र के उसूलों का पालन हुआ या नहीं, उसका इस चीज को देखने का प्रथम कर्त्तव्य होता है। इसके बारे में कोई उल्लेख राज्यपाल के भाषण में नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन चुनावों में जो भी बातें हुई हैं और जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया गया है खास तौर से सत्ताधारी पक्ष में और उसके साथ साथ जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है और अधिकांश सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने दुरु-पयोग किया है और जब तक इन परम्पराओं की जांच नहीं होती इसका पता नहीं लग सकता। कहा यह जाता है कि जनतन्त्र हुआ है और अगर यही परम्पराएं चलती हैं तो आम लोगों का ध्यान जनतन्त्र से हट जाता है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह कहूंगा कि इसके लिए हालांकि राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा है लेकिन सदन की ओर से इसकी जांच होनी चाहिये कि चुनाव जनतन्त्र के तरीकों से हुए हैं या नहीं? मैं यह कहता हूँ कि नहीं हुए, तो आप कहेंगे कि आप के पास इसका क्या उदाहरण है? चुनाओं की जो सीमाएं निश्चित की गई थीं वे चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आये तो बदल

(श्री मुरलीधर व्यास)

दी गई और राजस्थान में कम से कम ६० निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन हुए और इतना अधिक परिवर्तन हुआ और वह इसी दृष्टिकोण को लेकर किया गया कि विपक्षी उम्मीदवार सफल न हो पाएं, ताकि सारा ऑपोजिशन समाप्त हो जाए। इस प्रकार की परम्पराएं पड़ी है, इस प्रकार दुर्भाग्य की बातें कई हुई हैं। मैं इसके साथ साथ यह कहना चाहता हूँ कि अभी जो शासन पिछले पांच वर्षों से चल रहा है, उसका इतिहास और उसकी घटनाएं जो हुई हैं उससे कह सकते हैं कि पक्षपातपूर्ण तरीके से शासन चला है। सब के साथ समान व्यवहार नहीं रहा। आप यह कहेंगे कि आपके पास क्या उदाहरण हैं ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि पक्षपात के रूप में हमारे यहां जो भी विरोधी पक्ष के लोग हैं, सारे लोग कहते हैं। जब सारे लोग कहते हैं तो कुछ न कुछ तो उसमें सच्चाई है ही।

इस पक्षपात के साथ साथ जो विरोधी पत्र हैं, जो सरकार के और मन्त्रियों के खिलाफ लिखते हैं और जनता की आवाज को पहुँचाते हैं उनको दबाया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ मुकदमें भी चलाये जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पत्र प्रजातन्त्र में प्रजा की आवाज है, जनता की आवाज है। पत्रों को दबाना जनतन्त्र को कुचलना होगा। जब तक हमारी सरकार इस तरह की नीति अपनावेगी तो मैं यह कहूंगा कि जनतन्त्र सफल नहीं होगा। इसके अलावा और बातों को भी लें तो आप को मालूम होगा कि जितनी कमेटियें बनी हैं, चाहें वे तकावी देने के काम के लिये बनी हैं, चाहे अन्य किसी प्रकार के कामों के लिए बनी हैं उन सब में उन्हीं लोगों के द्वारा कार्य किया गया और कराया गया जो उनके पक्ष के थे और साधारणत: उनमें भ्रष्टाचार हुआ, कानूनी प्रकार से गलतियें हुईं जो सब सरकार के सामने रखी गईं।

मुझे अच्छी तरह याद है कि बीकानेर, चूरू आदि के इलाके के अन्दर जब भी कभी काल का समय आया, रिलीफ देने का समय आया तो रिलीफ के लिए पैसा दिया गया उन लोगों को जो कि उस पक्ष के अन्दर काम करने वाले हैं, जो कि जिन्दगी के अन्दर (वास्तव में) काम नहीं करते। उनका एक ही काम है कि उस मध्य में खड़े होकर लोगों को सहायता न पहुँचा कर सम्पूर्ण सहायता का स्वयं ही उपयोग करें। यह सारे साधन उनके लिए साधनजात साबित हुए हैं।

तीसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से भी देखिए कि जहां तक राजनैतिक पीड़ितों का सवाल आया तो राजनैतिक पीड़ितों को उनकी सेवाओं के लिए सहायता दी गई। अब सवाल यह है कि सहायता किनको दी ? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई के अन्दर सामन्तशाही से लोहा लिया, जिन लोगों ने उस जमाने में दिक्कतें सहीं और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन लोगों ने वास्तव में आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया उन लोगों को तो इस राजनैतिक पीड़ित सहायता से वंचित रखा गया, उनको इससे अलग रखा गया और उस जमाने के अन्दर जो कि सामन्तशाही के गुलाम रहे, जिन्होंने उस जमाने के अन्दर सरकार से मिल कर काम किया, उन्होंने आजादी में कई काम करने वाले लोगों के लिए सी० आई० डी० का काम किया, इन लोगों को राजनैतिक पीड़ितों के नाम पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

हजारों एकड़ जमीनें दी गईं और दूसरी ओर जिन लोगों ने दिक्कतें सहीं उन लोगों में से कई लोगों को यह राजनैतिक पीड़ित सहायता नहीं दी गई और उनको कतई छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं मैं यह कहना चाहता हूं कि देखने का दृष्टिकोण इतना नीचा हो गया कि गोआ के अन्दर पन्नालाल यादव जोकि कोटा से गोआ संग्राम के अन्दर गया और उसने अपना वहां बलिदान किया वह देश के अन्दर एक जागृति और राष्ट्रीय भावनाको पैदा करने की बात थी, अगर सच्चे मायने में देखा जाय तो जागृत और राष्ट्रीय भावना को पैदा करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वह पन्नालाल यादव था। जिस समय पन्नालाल यादव गोआ-मुक्ति संग्राम में गया हुआ था उस समय हमारे यहां हिन्दुस्तान के अन्दर तो १५ अगस्त के दिन, सवेरे के ८॥ बजे झण्डा लहरा रहे थे और उधर गोआ के अन्दर वही पन्नालाल यादव दुर्ग पर झण्डा फहरा रहा था, तो मौत का शिकार हो गया। इतना होने पर भी आज उस पर भी इस प्रकार का दृष्टिकोण रखा गया कि वह विरोधी पक्ष का है। उसे किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई। आज वह सारे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। उसकी तो राख गोआ के अन्दर हो गई और उसकी राख गोआ के कोने कोने में फैल रही है, परन्तु आज उसके लिए यहां कुछ नहीं। आज उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, आज उसकी औरत बेचारी लाचार पड़ी है, उसको किसी प्रकार की भी सहायता नहीं दी गई। तो यह जो सोचने का दृष्टिकोण है, इसे बदलना चाहिए।

जब यह बात मैंने आपके सामने रखी तो इन बातों के साथ साथ मैं पंच वर्षीय योजना पर भी कुछ कहना चाहता हूं। राजस्थान में पंच वर्षीय योजना के अन्दर पूरा पक्षपात किया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितना भी रुपया प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्दर लगा और अगर उस रुपये को हम राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से हिसाब लगायें तो इस हिसाब को देखने से मालूम होगा कि जयपुर के अन्दर एक व्यक्ति के उपर ३२ रुपया, उदयपुर के अन्दर एक व्यक्ति के ऊपर २१ रुपया, जोधपुर के अन्दर एक व्यक्ति के ऊपर १२ रुपया लगा, कोटा के अन्दर एक व्यक्ति के ऊपर २-२ रुपया लगा और बीकानेर के अन्दर एक व्यक्ति के ऊपर १ रुपया लगा। तो यह हमारे राजस्थान की पंचवर्षीय योजना है। मैं जब यह कहता हूं कि हर क्षेत्र के अन्दर हर एक व्यक्ति के ऊपर पंच वर्षीय योजना के अन्दर इतना रुपया लगा तो आप सोचते होंगे कि मैं क्षेत्रीय आधार पर इस बात को कहता हूं। मैं मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो राजस्थान की योजना है उस योजनाके आधार पर आपलोग कह सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार की जो योजना है उसकी काफी धन राशि हमारे यहां लगी है। मैं मानता हूँ कि गंगानगर के अन्दर काफी धन लगा है, मगर क्या उस धन के आधार पर यह सोच लिया जाय कि बीकानेर के जो दूसरे इलाके हैं या चूरू वगैरह के अन्दर जो दूसरे इलाके हैं उनको लाभ मिला है? ऐसा नहीं हो सकता। गंगानगर के अन्दर लगे धन का लाभ तो गंगानगर वाले ही उठा सकते हैं। इसी तरह से कोटा के अन्दर, चूंकि चम्बल है इसलिए दूसरे जिलों को भी उसका लाभ पहुंच जायेगा, यह कहना बिलकुल गलत है। आज

(श्री मुरलीधर व्यास)

बीकानेर जिले के बारे में कह सकते हैं तो इसी प्रकार दूसरे जिलों के बारे में भी कह सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान के अनेकों जिले हैं और जिस इलाके में काम हुआ है उसमे उसी इलाके को लाभ पहुंचेगा। सोचने का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि नहीं, दूसरे इलाके जो पिछड़े हुए है और जिन इलाकों के लिए हमारी केन्द्रीय सरकार की योजना में कहा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर जोधपुर, उदयपुर, और जैसलमेर के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें सबसे अधिक धन राज्य सरकार की योजना में दिया जाना चाहिए। परन्तु फिर भी यह अलग रखा गया। अब मैं जब इन आंकड़ों के आधार पर पंच वर्षीय योजना के तरीके से सोचता हूं तो पंच वर्षीय योजना के अन्दर जितना रुपया लगा उस रुपये में से अधिकांश रुपया सिंचाई में लगा। मैं पूछना चाहता हूं कि गंगा नहर के इलाके में जो भी नहर बनी उससे उदयपुर के अन्दर जो भी पानी दिया गया उसका क्या दुरुपयोग नहीं हुआ? मैं कहता हूं कि उसका दुरुपयोग हुआ है। आज भी उस पानी का सदुपयोग नहीं होता। जिन किसानों के खेतों के पास से और जिनकी जमीन के पास से यह नहर निकाली गई है उन किसानों से बेटरमेन्ट चार्जेज़ के नाम पर रुपया लिया जाता है। एक एक बीघा के ऊपर १५० रुपये से ४०० रुपया तक बेटरमेन्ट चार्जेज़ लिये जाते हैं। अब आप ही सोचिये कि एक आदमी के पास मान लीजिए कि दस बीघा जमीन है और उस जमीन के पास से नहर निकाल दी गई तो उसको बेटरमेन्ट चार्जेज़ के लिए कितना रुपया देना होगा? बेटरमेन्ट चार्जेज़ तो उनसे लिए जाते हैं लेकिन आज भी उस जमीन का फायदा उन किसानों को नहर के निकाल देने के बाद भी नहीं मिल रहा हैं। किसानों को पानी बिलकुल ठीक समय पर नहीं मिलता। उनको पानी मिलता भी है तो ऐसे समय पर जब कि किसान खेतों में बीज बोते हैं, उस समय तो इस पानी से उनका नुकसान होता है। दूसरी ओर जो बेटरमेन्ट चार्जेज़ सरकार ने लगाये हैं, गंगासिंह के जमाने में भी नहर बनी और आज हिन्दुस्तान की दूसरी नहरों को भी देख लिया जाय तो सभी कहेंगे कि गंगानहर से अधिक अच्छी और मजबूत नहर कहीं नहीं है। उन्होंने भी बेटरमेन्ट चार्जेज लगाये.......

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करता हूं कि यहां प्रजा सोश्यलिस्ट पार्टी का मैं एक मात्र सदस्य हूं, तो जो भी मेरी विचारधाराओं में मतभेद है उसे रखने का आप पूरा मौका देंगे। दूसरी पार्टियों को भी काफी समय दिया गया है.......

श्री अध्यक्ष: अच्छा, पांच मिनट में ही आप अपना भाषण समाप्त कर दीजिए।

श्री मुरलीधर व्यास: तो मैं आपके सामने अभी नहर के बारे में कह रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि नहर का लाभ आज किसानों को नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर उदयपुर के अन्दर आप यह देखें कि वहां नहर से जो पानी दिया गया उसको ठीक ढंग से नहीं देने की वजह से काफी नुकसान हुआ। पानी कभी तो नहर में ज्यादा छोड़ दिया जाता है तो किसानों को इससे काफी नुकसान होता है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अब मैं आपका ध्यान उद्योग–नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक उद्योग-धंधों का सवाल है, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की उद्योग नीति आज समाजवाद के आधार पर नहीं है। मैं समाजवाद के आधार पर जो यह उद्योग नीति नहीं चल रही है उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे बीकानेर के अन्दर जामसर में जिप्सम कम्पनी है। उसके अन्दर सरकार के तीस-चालिस प्रतिशत शेयर हो गये हैं और उसका मालिक बंगाल नेचुरल साइन्स नाम की एक कम्पनी है और वह कम्पनी जो वहां पर काम करती है वहां एक हजार मजदूर काम करते हैं। केन्द्रीय सरकार वहां से जिप्सम लेती है और वह भी ६ रुपया टन के हिसाब से लेती है और दूसरी ओर जो यह कम्पनी जिप्सम मजदूरों आदि से लेती है उनको १ रुपया २ आना प्रति टन के हिसाब से चुकाती है। तो अब आप हिसाब लगाइये कि एक साल के अन्दर इस कम्पनी को कितना मुनाफा होगा ? आज मजदूरों ने आवाज उठाई कि इसका समाजीकरण होना चाहिए, इसको कोओपरेटिव बेसिस पर चलाना चाहिए, इसके लिए ३५ दिनों तक हड़ताल भी मजदूरों ने की और राजस्थान सरकार ने उस हड़ताल को दबाने की कोशिश भी की। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कम्पनी, जिस समय राजस्थान का मर्जर हुआ उस समय राज्य ने आपस में सेटलमेन्ट करके बंगाल नेचुरल साइन्स कम्पनी को २० साल के ठेके पर दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां पर कोओपरेटिव सोसाइटी के आधार पर काम चले तो दावे के साथ कहता हूं कि वहां मजदूरों को १ रुपये की जगह २ रुपये की मजदूरी मिल सकती है। जो वहाँ पर रोयल्टी का रुपया करीब करीब २ लाख राजस्थान सरकार को मिलता है वह चार लाख तक मिल सकता है। जहां १५०० मजदूर काम करते हैं वहां ढाई हजार मजदूर काम कर सकते हैं। यह सब कुछ न होकर केवल एक मालिक को ही उसका मुनाफा मिलता है। इसी प्रकार राजस्थान के समस्त उद्योगों का समाजीकरण हो सकता है। जब तक समाजीकरण नहीं होगा, जब तक उद्योगों में सहकारिता के आधार पर कार्य नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में मजदूरों को लाभ नहीं मिल सकेगी।

दूसरी बात यह है कि मजदूरों का मुनाफे में जब तक हिस्सा नहीं होगा तब तक योजना से मजदूर वर्ग को राहत नहीं मिल सकेगा।

अब मैं विषमता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। राजस्थान में विषमता की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अन्दर और मजदूर वर्ग के अन्दर विषमता की समस्या बहुत फैली हुई है। लेबरर्स को भी यदि देखा जाय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को देखा जाय तो आपको पता चलेगा कि आज इस श्रेणी के लोगों को २५ रुपया माहवार मिलता है। ऐसे कर्मचारी आपको यहां और बाहर भी देखने को मिलेंगे। उनको पूछा जाय कि एक भोला नाम का कर्मचारी है। जब मैंने उसको पूछा कि तुम कितने साल से काम करते हो तो वह कहने लगा कि सात साल से काम कर रहा हूं, चालीस रुपया मिलता है, किसी को ३७ रुपया मिलता

Page No.29

(श्री मुरलीधर व्यास)

है। मैंने पूछा तुम्हारी नौकरी पक्की है या कच्ची, तो वह कहने लगा कि कच्ची है। आज उन लोगों की नौकरी में स्थायित्व ही नहीं है। इसी प्रकार की जिन्दगी बागान के कर्मचारियों की हैं। चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी हालत यह है कि घर में तो वे पति होते हैं लेकिन दफ्तर में जब वे जाते हैं तो पत्नी का काम करना पड़ता है। बच्चों के गूदड़े धुलवाये जाते हैं, उनको कपड़े धोने पड़ते हैं, बरतन मांजने पड़ते हैं, मालिश करनी पड़ती है। जिस प्रकार घर में पति-पत्नी को फटकारता है उसी प्रकार उसको फटकार सहन करनी पड़ती है। इस प्रकार न जाने कितने कर्मचारी अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं। जागीरदारों के लिये हम कहा करते थे। कि वे लोगों से बेगार लेते है लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जो काम लिया जाता है वह बेगार नहीं तो और क्या है? इस प्रकार की बेगार बिल्कुल बन्द होनी चाहिये। जब तक हमारे देश से इन परिस्थितियो को बदला नहीं जायगा तब तक गरीब जनता को आराम नहीं मिल सकता। आज अनाज की स्थिति हमारे राजस्थान में बहुत बढ़ी-चढ़ी है। अनाज के भाव निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने इस संबन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव भी सदन के सम्मुख रखा था। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि हम केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हम केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं दूसरी ओर श्री अजितप्रसाद जैन यह फरमाते है कि हमारे गोदाम अनाजों से भरे पड़े हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज मौजूद है और दूसरी ओर राजस्थान सरकार कह रही है कि हमारा पत्र-व्यवहार केन्द्र से चल रहा है; इससे यह पता चलता है कि राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेदारी केन्द्र पर डालना चाहती है। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। हमें कागजों के आधार पर बनाये हुये आंकड़े नहीं चाहिये, हमें चाहिये जिन्दगी के लिये रोटी। आज हम देख रहे हैं अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, किन्तु उससे किसी प्रकार की राहत नहीं। आंकड़े बता कर नाना प्रकार की बातों का उल्लेख करने मात्र से राहत नही मिलती। हमें देखना है कि पंचवर्षीय योजना में, हर चूल्हे पर जाकर देखना है कि हर आदमी को जिन्दगी चलाने के लिए अच्छी रोटी मिलती है या नही; इसी से सच्चे मायने में लाभ हो सकता है। हमें देखना है कि बाजार से कोई चीज लाते हैं तो वह सस्ती मिलती है या नहीं? इसी तरह से जनता को राहत मिलती है, इसके बिना जिन्दगी में कोई राहत नहीं। 10

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं अब केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक इस प्रकार से जनता को राहत नहीं मिलेगी हमारा विश्वास है कि इन योजनाओं से कोई फायदा होने वाला नही। हमें इन योजनाओं के साथ मनुष्य के जीवन की योजना का भी निर्माण करना चाहिये। जब तक कि मनुष्य के जीवन की योजना इसके साथ नही बनेगी तो केवल मिट्टी और कंकड़ से बनने वाली योजना यदि हम बना लेते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं।

Page No.30

(श्री मुरलीधर व्यास)

हमें उत्पादन के साथ साथ वितरण की योजना भी समाजवादी ढग पर बनानी होगी। जब तक हम इस प्रकार से योजना नही बनायेंगे तो किसी भी हालत में भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकेगा।

श्री बरकतुल्लाह खां (जोधपुर द्वितीय) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बड़ी बड़ी बातें कही गईं और बड़ी बड़ी बातें कहनी चाहिये भी थीं, क्योंकि राजस्थान ने पिछले पांच सालों में बहुत तरक्की की है और उम्मीद आगे के लिए भी यह जाहिर की गई है कि और भी ज्यादा तरक्की करेगा और वह तरक्की सिर्फ प्लान के जरिए ही हो सकती है। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हम ऐसा प्लान कहीं न बना दें जिससे राजस्थान की जनता डिस्टर्ब्ड हो जाय और राजस्थान की जनता यह सोचने लग जाय कि हम अलग अलग हैं। पिछले पांच सालों में जो रुपया प्लान पर खर्च किया गया है उसको देखा जाय तो पता चलता है कि कुछ डिवीजन्स में ज्यादा खर्च किया गया है और दूसरे डिवीजन्स में कम खर्च किया गया है। यह हो सकता है कि किसी डिवीज़न पर ज्यादा खर्च किया गया हो; जैसे चम्बल वेली प्रोजेक्ट बन सकता है तो वह केवल कोटा में ही बन सकता है और दूसरे स्थान पर नहीं। जावर माइन्स का काम कहीं हो सकता है तो वह उदयपुर में ही हो सकता है, गंग नहर का काम हो सकता है तो वह बीकानेर डिवीजन में ही हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे जो इलाके हैं उनकी प्रोग्रेस इन्हीं तरीकों से हो सकती हो, यह बात नहीं। इस प्रकार की चीजों के होने से लोगों के दिमाग में डेलीब्रेटली यह बात घुस जाती है कि हमारे इलाके को इगनोर किया जा रहा है। वास्तव में देखा जाय तो यह शायद डेलीब्रेटली ऐसा नहीं किया जाता। सम टोटल इसका असर यही होता है। मैं समझता हूँ, जरूरत इस बात की है कि प्लान को हमें इस तरीके से बनाना चाहिये। उसके साथ साथ हमें यह देखना होगा कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं वे इलाके कहीं बिल्कुल पिछड़े हुए न रह जायं। इसलिए प्लान बनाते समय यह ध्यान में रखना होगा। एक इलाके और दूसरे इलाके के बीच में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये। जहां हम बड़ी योजनायें बनाते हैं, वहां हमें छोटी छोटी योजनायें भी बनानी चाहिये। बड़े बड़े इर्रिगेशन प्रोजेक्ट के साथ माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट स्केयरसिटी एरियाज़ में होनी चाहिये। पिछले माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट की कुछ स्कीम जोधपुर, बीकानेर के लिए थी लेकिन वे प्लान्स कहां रह गये पता नहीं। इन माइनर इर्रिगेशन योजनाओं से बीकानेर, जोधपुर को कोई फायदा नहीं पहुँचा। जहां तक इस तरह की योजनायें नहीं बनेंगी, सड़कों के लिए ज्यादा रुपया रखना, एनीमल हस्बेन्ड्री के लिए ज्यादा खर्च करना आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे राजस्थान की उन्नति हो सकती है।

दूसरा सवाल है कि खुराक की बढ़ती हुई कीमतें। हम यह देख रहे हैं कि अनाज की कीमतें बराबर बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि इसके अन्दर कुछ नेचुरल कॉज़ेज़ हों; कहीं वर्षा ज्यादा हुई, कहीं दावा पड़ा, इससे भी अनाज की कीमतें बढ़ सकती है, कुछ बनियों ने धान को इकट्ठा कर लिया। इसके साथ साथ सरकार का फर्ज यह है कि अनाज की कीमतें ज्यादा न बढ़ें। इसके लिए उपाय करने चाहिये, नहीं तो जितने भी

(श्री बरकतुल्लाहखां)

प्रोग्राम्स हैं वे फेल हो जायेंगे। मिसाल के तौर पर मैं जोधपुर का जिक्र करना चाहता हूँ। वहां १५ चीप ग्रेन शोप्स खोली गई हैं। अब शायद वहां पांच और बढ़ा दी गई लेकिन इन २० दुकानों के जरिये जो अनाज दिया जाता है वह सिर्फ ५०० टन है। २ लाख की बस्ती को सिर्फ ५०० टन अनाज दिया जाता है। इससे वहां की अनाज की कीमतों में कोई असर नहीं पड़ता और न यह भी होता है कि डिज़र्विंग केसेज़ को अनाज मिल जाये इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि चीप ग्रेन शोप्स ज्यादा से ज्यादा खोली जायें ताकि मार्केट के अन्दर अपरटेन्डेन्सी रुके। अगर सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं तो छोटा-मोटा राशनिंग का डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। इसके अन्दर हमें यह देखना होगा कि चीप ग्रेन शोप्स से जनता को जो जो फायदा मिलना चाहिये वह मिलता है या नहीं ?

इसके बाद मैं हैल्थ के लिए कहूँगा। राजस्थान में चिकित्सा की बहुत जरूरत है। राजस्थान के रहने वालों की तन्दुरुस्ती बेहतर बने लेकिन अगर तन्दुरुस्ती के बारे में सोचना है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम इतने डॉक्टर्स लायें कहां से ? अभी हमारे राजस्थान में सिर्फ एक ही मेडीकल कॉलेज है, उससे इतने डॉक्टर नहीं निकल सकते जो पूरे राजस्थान के लिए काफी हों। दूसरे प्रांतों से डाक्टर्स का मिलना नामुमकिन है, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेज के खोलने के बारे में फिर इसके लिए जोधपुर की तरफ आना पड़ेगा क्योंकि इत्तफाक से जोधपुर के अन्दर दो फर्स्ट क्लास अस्पताल मौजूद हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। अगर इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहां एक मेडीकल कालेज खुलना जरूरी है।

मेरे कुछ दोस्त शायद यह समझते हैं कि मैं जोधपुर के लिए वकालत करता हूँ। मेरे उधर बैठे हुए कुछ बुजुर्ग हंस भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो आर्ग्युमेन्ट्स आप अपने इलाके के लिये ठीक समझते हैं तो वही आर्ग्युमेंट्स यहां क्यों नहीं आप ठीक समझते ? तो मैं अर्ज कर दूं कि बरेदस्त अगर आप कोई मेडीकल कॉलेज खोलना चाहते हैं तो जोधपुर में आप मजे से खोल सकते हैं और इन दो अस्पतालों का फायदा उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिये।

जहां सर्विसेज़ का जिक्र किया गया वहां एक बात मैं अर्ज करूंगा कि इलेक्शन से पहले यह सुनने में आया था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेन्ट्स जयपुर हटाकर अलग २ बड़े बड़े शहरों में चले जावेंगे। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक था उसने इसे पूरा करने की कोशिश की। पर बदकिस्मती से सरकारी अफसरों को शायद यह चीज सूट (suit) नहीं की कि कैपेटल को छोड़कर दूसरे छोटे मोटे शहरों में जाया जाय इसलिए उन्होंने इस स्कीम को टारपीडो किया या डर यह है कि चन्द दिनों बाद इसे टारपीडो कर दिया जावेगा। इसलिए सोचना यह है कि इन तमाम रुपयों का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है तो उन मकानों का और जायदादों का फायदा उठाना चाहिये, जो स्टेट की प्रोपर्टी है और जो दूसरे दूसरे शहरों में मौजूद हैं और जिनकी कीमतें दिन-ब-दिन घटती जा रही है और इस तरह से जो हमारा नेशनल असैट था वह लाएबिलिटी के रूप में बदला जा रहा है। अगर उनका फायदा उठाना चाहेगी सरकार

(श्री बरकतुल्लाहखां)

तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वहां भेजने पड़ेंगे। पर बदकिस्मती तो आज यह है कि जो भूले-भटके कुछ डिपार्टमेंट्स बाहर शहरों में रह गये हैं उनको भी समेट कर जयपुर में लाने की कोशिश की जा रही है।

अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा जोधपुर की प्रोब्लम की तरफ दिलाना चाहता हूं। दो साल पहले यह तय किया गया था कि हेमावास को जवाई बांध से कनेक्ट कर दिया जावेगा और तब उसमें इतना पानी आ जावेगा कि वह पानी सारे जोधपुर शहर के लिये काफी होगा। पर आज तक इस बारे में कोई खास काम नहीं किया गया, बल्कि यह बताना चाहता हूँ कि जहां सरकार ने अपने बोनाफाइड इन्टेन्शन से जोधपुर शहर की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की, नये नल लगाने की कोशिश की, पर किन्हीं न किन्हीं तरीकों से आज वे नहीं लग पाये। वह गरमी का मौसम फिर आ गया है। नलों पर अब लम्बी लम्बी क्यू लगेगी, रोजमर्रा के झगड़े होंगे, घड़ों का प्रोसेशन होगा और इस सदन में प्रश्न पूछे जावेंगे। सरकार ने कोशिश की कि नये नल और बड़े नल लगा दिये जावें, पर बदकिस्मती से तमाम कोशिशों के बावजूद भी यह नहीं हो पाया। मुझे यकीन है कि आसानी से बहुत पानी मिल सकता है और यह मसला हल हो सकता है अगर सरकार थोड़ा जोर दे।

इसी तरह से बिजली की समस्या है। रोज बिजली बन्द होती है, चलती है। सरकार ने कहा था कि वहां थरमल स्टेशन खुलेगा उससे बिजली मिलेगी पर आज तक यह नहीं हुआ और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वहाँ लोगों को रिलीफ नहीं मिल सकता। तो वहां के लोगों की शिकायतें तब तक जायज होंगी और आपको इन पर सोचना पड़ेगा।

आज जहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्लानिंग की बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहां हमें यह सोचना चाहिये कि प्रेजेन्ट डे डेमोक्रेसी पचायतों पर फला फूला करती है और उसकी हालत उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक पंचायतों के पास काफी रकम टैक्सों के रूप में न मिलती हो। मैंने सुना था, सरकार ने यह तय किया था कि हर गांव में जहां पंचायत हो वहां से जो लैण्ड रेवेन्यू कलेक्ट होती है उसमें एक रुपये में से दो पैसा पंचायत को देंगे। पर साल भर गुजर गया, अभी तक किसी पंचायत को कोई रुपया नहीं मिला। जब कि हम खुद जानते हैं कि ऐसी ऐसी स्टेटें मौजूद हैं जो २० से २५ फी सदी पंचायतों को देती हैं; अगर हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करना है और देहातों तक इसका फायदा पहुँचाना है तो पंचायतों के हाथ में पावर और फाइनेन्स दोनों देने पड़ेंगे और इस तरह से उनको ट्रेन करना पड़ेगा। अगर इसके लिये तैयार नहीं होंगे तो यह डेमोक्रेसी फोर्स बन कर रह जावेगी और इसके द्वारा जितना फायदा जनता को पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुँच पावेगा।

इस सदन में करप्शन पर बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि करप्शन का अजीब ढंग होता है। जब ट्रेजरी बैंचों पर हम बैठ जाते हैं तो इस करप्शन का रंग नजर नहीं आता और जब ट्रेजरी बैंचों से हट जाते हैं तो हर चीज में

(श्री बरकतुल्लाहखां)

करप्सन दिखाई देता है। जो ट्रेजरी बैंचों से दूर हैं वे हमेशा यह शिकायत करते हैं कि करप्शन ज्यादा है और जो उन पर बैठ जाते है वे कहते हैं करप्शन नहीं है। मैं समझता हूँ कि करप्शन तो है, पर वह न तो इतना जोर शोर के साथ है जितना हम ख्याल करते हैं और न इतना कम ही है जितना कि ट्रेजरी बैंचें सोचती हैं। पर करप्शन को सिर्फ यह कह कर कि इस तरह से मिटा देंगे एन्टी, करप्शन बोर्ड खोल कर या और कुछ करके, तो वह मुमकिन नहीं है। इसके लिये कुछ बेसिक चेन्जेज़ करने पड़ेंगे, अफसरों के दिमाग में यह चीज डालनी पड़ेगी कि टैकिनकिल ग्राउन्ड्स पर करप्शन से आप बच नहीं सकोगे, इसके साथ ही कॉन्स्टीट्यूशन में एमेंडमेन्ट करना पड़ेगा। इसके जरिये इस समय जो सेफगार्ड्स और प्रोटेक्शन सर्विसेज को दिये गये हैं वे इतने ज्यादा हैं कि जिनके जरिये कभी भी करप्शन करके वह टैक्निकल ग्राउन्ड पर अगर कोई मामूली सा फ्लॉ रह गया तो वह कोर्ट से बच जावेगा। इसलिये जरूरी यह है कि हम लोग दरख्वास्त करें पार्लियामेन्ट से कि इस कान्स्टीट्यूशन को इस मामले में बदलें और इसके साथ साथ जो अफसर रिक्रूट किये जा रहे हैं या जो हो चुके हैं उनके दिमाग में भी यह भावना पैदा करनी पड़ेगी कि वे मिशनरी स्पिरिट से काम करें, मसीनरी स्पिरिट से नहीं, इसके बिना ये सर्विसेज़ ज्यादा नहीं चल सकेंगी।

इसके साथ ही सर्विसेज़ का और पोलिटिशियन्स का जो अनहोली एलायेन्स होता जा रहा है उसको भी रोकिये। पोलिटिशियन्स को सर्विसेज़ का एडवान्टेज नहीं लेना चाहिये और सर्विसेज को भी पोलिटिशियन्स का मुंह नहीं देखना चाहिये, दोनों को एक दूसरे से अलग रहना चाहिये। जिस वक्त यह चीज आप कर गुजरेंगे उस वक्त सर्विसेज़ में भी सैल्फ रेस्पेक्ट पैदा हो जावेगी और आज उनको जो डर है कि अगर एलायन्स, पोलिटिशियनों से गटजोड़ नहीं रक्खेंगे तो हमारा ट्रान्सफर कर दिया जावेगा; यह कर दिया जावेगा, वह कर दिया जावेगा, तो वह डर भी दूर हो जावेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सपोर्ट करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी जायज मुश्किलातें हैं उन पर गौर किया जावेगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम)
Mr. Speaker, on this resolution of thanks for the Governor's Address which he delivered to this House, we have had the advantage of having heard the Governor himself and also speeches from both sides. In his speech the Hon'ble Governer did tell us what the Rajasthau Government has done, but he himself could not tell us what was his personal contribution to all these things. I believe the only thing that the Hon'ble Governor has been doing is to come and address this House and to give us one At Home every year. Apart from these two things, the Hon'ble Governor has done nothing, and very probably he feels that he is not supposed to do anything else beyond these two things only, Sir. My own feeling is that in this

Page No.34

(श्री अर्जुनदास).

State, as we find in Rajasthan, we need a Governor who should interfere in good many things rather than keep quiet or keep sleeping at his residency only, Sir. On a fundmental point, I personally believe it is a mistake to appoint ex-Chief Ministers as Governors in India at all, Sir. The Chief Ministers always desire that Governors should not interfere......

श्री अध्यक्ष : I wish the Hon'ble member would not make such references when a man of choice has been made Governor.

श्री अर्जुनदास : I was only suggesting the policy, that is what should be the policy to be adopted in India.

श्री अध्यक्ष : The policy about the appointment does not rest with the State Government. It rests with the president whose conduct cannot be discussed in this House.

श्री अर्जुनदास : I was only suggesting that the Governor should interfere in our administration and should take keen personal interest in the activities of this State and the activities of the Cabinet, Sir. We had the advantage of being told that the Rajasthan Government has done so many things. I for one at least feel that nothing substantial has been done in this State during the past 5 years. To say that the State has done this thing or that thing is like a man who sleeps and poses that he has done something. What has been done is substantially or not, let us take each branch of the administration separately, and the only answer would be that we had really failed in our duty to the public. The State has not been able to do anything substantial towards the public, Sir.

The first would be the administration itself. What has the Government done to improve the administration ? What has the Government done to improve the confidence of the publie in the Government itself ? I believe, the Government itself is behaving in such a manner that it is lacking the confidence of the public. My attention was drawn to the case of Shrimati Lila Devi's residential building in C quarters, Jaipur town. Unfortunatly, our Assistant Finance Secretary happened to be her neighbour. He has been creating trouble against the construction of her building and the funniest part of it is that he makes revision application to the Hon'ble Ministers. I could not find any provision of law under which revision of the case could be made. There is no provision under which the revision application could be made to the Hon'ble Minister, and as such

Page No.35

(श्री अर्जनदास)

no such provision was qouted in the revision application itself. Then the final order has been passed by the Secretary and not by the hon'ble minister-in-charge. The secretary is no-body to pass the order one way or the other. The Secretary has passed the order directing the Municipal Committee to demolish the premises of Shrimati Lile Devi. I had also an opportunity to see that building. I wanted to see the building before I quote the instance here. At least I can believe it was a case of a Government servant banning the other person whether the law permits or not, is a matter of indifference. Therefore, I am submitting that when we find things like that at the top what can be expected from bottom. The bottom can be expected even worse. This particular instance is enough to tell you as to what the disease is and where remedy could be found out.

Then I will come down to the next point, police. We have been hearing that the police is indulging in good many atrocities, and one of the easiest way is to call anybody to the Police station, give him thrashing and let him go without keeping any note on the record whether he was called and there is no evidence about it also As against it the Government may tell that good many persons try to go over to the Police station and interfere with the Police Station. For that my own suggestion is that you can remove this disease only when you keep up a book at the entrance in which it should be entered as to which person enters the Police Station, at what time he entred, at what time he left the place and for what purpose he went to the Police Station; whether he was called by the Police or whether he went of his own accord. Unless you do that you cannot possibly diminish the atrocities of the Police. And as I understand, the Police is gaining upperhand every now and then. Tho Police is mis-behaving and the mis-behaving are found on increase rather than on decrease. We do desire to decrease them, but we believe the Hon'ble Home Minister will rise and do his best to decrease them. I am seeing that the Government is not taking any step to decrease it. Unless you follow my suggestion you cannot possibly reduce the atrocities of the Police, Sir.

Then there was also a discussion about bribery. It is true, the bribery is on the increase, but why so, and what steps the Government have taken to diminish this disease of bribery ? I believe the Government has taken absolutly no step so far, nor does the Government feel

(श्री अर्जुनदास)

like taking any step. Why do they not feel taking any step ? At this stage we have only to suggest that from all that we see, we can prove that the Government does not feel like taking any step to avoid this corruption which is ever increasing in this big state of Rajastnan. I believe, greater the disease greater the remedy, serious the disease serious the remedy. The disease is certainly serious and the remedy will have to be found out, and the Government should find out some remedy to check this disease. We cannot avoid any remedy on the ground that it might affect the honest Government servants. That is no answer at all. It is true that there can be some Government servants who are really honest. That does not mean that because a little percentage of honest Government servants might be affected, we should sleep over this point. It does not matter if a little percentage of honest persons are likely to taken ill. You must be clear about it. You are sleeping over this matter. Unless you take a very severe step, you cannot check this desease. Because I am one of the public I could know where we have got the pain. I know, I have got to make the payment or my clients have to make the payment. The Government is sleeping over the matter. I had expected to know in the Hon'ble Governor's address as to what steps have been taken by the Government during the last 5 years to check this corruption. In the State of Rajasthan practically no step has been taken, no prosecutions worth the name have been lanched by Government.

So far the administration is concerned, I believe, it is very necessary at this stage that the Judiciary should be separated from the Executive. The man in the Judiciary should not have the opportunity to look at the executive for promotion and other facilities. And because this has not yet been done, I believe, the services are not at their best, and public also cannot have impartial justice until and unless immediate separation of Judiciary from the Executive is done. While speaking about administration I would like to make another suggestion with regard to Ajmer Electric Supply Co., Sir. The licence of this Company is about to expite, and, I believe efforts are being made not only with empty hands, but with bags of money, to be that the licence of this Company is renewed for another period. Serious efforts are being made not empty han-

(श्री अर्जुनदास)

ded but with money in their pockets to force the Government to renew the licence.

And I who happened to come down from Ajmer know what the miseries of Ajmer town people are with regard to electric supply. This Electric Supply Company of Ajmer is nothing but a gang of gangsters who play fraud on the public with open permission from the Government and one of the frauds that they commit is with regard to industrial motor connections. For every horse power connection they charge standing charges every month. They take some money on horse power connection rate also. Whether the consumer actually consumes electricity or not, yet he has got to pay about five rupees per horse power of the connection which he keeps. Why allow them to have these over and above the charges on account of electricity actually consumed ? The rates at Ajmer are also higher. Apart from this, another thing which I might bring to the notice of the Government is that if anybody were to take connection from this Company the Company gives him an estimate of costs. After the connection has been given no consumer has so far been supplied with the Bill of costs. Estimate is onething while the actual bill is another thing. On account of estimate they take something more than what they expect to spend but the worst thing for the Ajmer town people has been the non-supply of the Bill of costs by the Electricity Supply Company. In my particular case I once wrote to them when they gave me a connection to give me the bill of costs, but they refused to give. Then I told them that their estimate on the particular item has not been spent at all. Then they said, "We don't make a refund", of that particular item which I was able to point out to them. What is this state of affairs ? It is nothing but playing with the public mony which is flowing in their pockets and still if the Government were to renew their licence it will be playing with the people of Ajmer. As against this I may suggest that the best course may be to take over this concern of Ajmer Electric Supply Company and give it to the Municipal Committee to carry it on, probably make a profit and in any case run it for the welfare of the peolpe of Ajmer. Why not nationalize it and give it to the Ajmer Municipal Committee which may run it for the advantage of the people of Ajmer instead of allowing this industrialist (Company) or big moneyed man to make heavy profits hereinafter ?

Then with regard to the bus-service, Sir, I don't know as to

Page No.38

(श्री अर्जुनदास)

what the policy of the Govrnment is, but all that we find is not worth appreciation, Sir. Sometime ago I found that station wagons were plying between Ajmer and Jaipur. It was a satisfactory service and many of us tried to take advantage of it. It runs faster and with greater comfort and we are prepared to pay just a little more than the present bus service charges. Nobody mind it but since a few days it has been stopped. I made enquiries and was told that the Rajasthan Government oesd not probably feel like allowing these station wagons to ply freely from one place to another. I expect the Government to change their rules and regulations and allow these Station wagons to ply freely because they are much more serviceable than these big buses which have necessarily to stop at many a places to pick up passengers at intermediate stations.

At this stage I would also like to bring to the notice of the Government the position of liquor 'thekas' in this State. I understand that drinking at public places is prohibited but a good deal of black marketing is going on so far as this country liquor is concerned. At various places we find that liquor 'thekas' sell liquor not in doses but they are permited to sale in much samilier quantities than what the Government has permitted. Another thing is that they make provision for the customers to sit there and consume the liquor before they can go away. I understand that it is not legally allowed. The law does not permit it yet it is an open secret with everyone of us and anybody can see it on every liquor 'theka'. I have seen it at various places and thus I can say that it is going on. If the Government is not able to prohibit it, it is the fault of the Government and not that of 'thekas'. Therefore, I expect the Government to remain vigilant on things like this and not to allow such things to go on, when the Government does not appreciate such things atleast verbally. I don't know whether it appreciates in practice but atleast outwardiy the Government say that they do not. But they are going on during the day and night time. Everyone of the customers know that they have to go to a liquor shop, sit there, drink ard go home. In the way anything may happen to him. Why this is so? The Excise people are in league with the liquor 'thekedars'. The Excise people could not be in league with them unless they are paid and paid heavily.

(घंटी)

I would suggest that of course when they suggest that the Honb'-ble Governor should be thanked, he

(श्री अर्जुनदास)

should be thanked for one little duty of addressing this House only. We have not found anything substantial for which he could be thanked. Therefore, on the question of form we can thank him but on the matter we cannot.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, गत २५ तारीख को श्रीमान् राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण सदन के समक्ष हुआ, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। यह समर्थन एक रस्म के तौर पर नहीं, अपितु मैं यह अनुभव करता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कई दृष्टियों से हमारे लिये बहुत ही अनुकरणीय है। इस भाषण में राज्य सरकार की न तो कोई अतिरंजित अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण सराहना ही की गई है, और न इसके संबंध में कोई ऐसा चित्र ही रखा गया है, जिसको हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ मान सकें, बल्कि इस अभिभाषण के अन्दर नपी-तुली भाषा में राज्य सरकार का सही तौर से चित्र चित्रित किया गया है और मैं यह आशा करता रहा हूँ कि हम सदन में बैठने वाले सदस्य भी यदि इसी भावना से इसके पक्ष या विपक्ष में अपने भाव प्रकट करते तो अधिक उपयुक्त होता। मैं यह देख रहा हूं कि जहां एक ओर राज्यपाल महोदय के भाषण का समर्थन करते हैं, उसकी अच्छी बातों को बतलाते हैं और उसमें जो कमियें हैं उन पर भी प्रकाश डालते हैं वहां दूसरी ओर हमारे विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य इसमें अधिकांश त्रुटियें ही त्रुटियें देख रहे हैं। इसमें वे केवल असहमति ही प्रगट कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट शब्दों में उसका विरोध भी कर रहे हैं। मैं भी उन माननीय सदस्यों के साथ अपना विरोध प्रदर्शित करता, अगर मैं यह देखता कि इस भाषण के अन्दर खाद्यान्न स्थिति पर पूर्णतया संतोष प्रगट किया गया है, यदि इसमें यह भी मान लिया गया होता कि यहां से भ्रष्टाचार का सर्वथा उन्मूलन न हो चुका है; अगर इस भाषण में यह कह दिया गया होता कि राजस्थान में एक भी बेकार आदमी नहीं है अथवा यहां उद्योगों की पूर्ण उन्नति हो चुकी है, बल्कि इस भाषण में जहां राजस्थान सरकार की सफलताओं पर जितनी किस फलता अब तक प्राप्त कर चुकी है, प्रकाश डाला है, वहां आगे के लिए भी केवल आशा ही बांधी गई है। साथ ही साथ उन त्रुटियों पर भी पूर्ण रूप से प्रकाश डाला है जो हमारे राज्य के अन्दर अब तक बनी हुई हैं।

विरोधी पक्ष की ओर से जो विरोध हुआ है, उसमें विशेषतया तीन प्रकार के विचार प्रगट किये गये हैं। कुछ विरोध तो इस आधार पर किया गया है कि कहीं खास खास स्थानों पर कुछ काम नहीं किया गया है, चाहे वह छोटा गांव हो, चाहे वह तहसील हो, या वह जगह किसी माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र हो। वह शायद यह अपेक्षा करते होंगे कि यह जो १२ पृष्ठ का राज्यपाल का भाषण है, उसमें हर गांव और तहसील का, उन सब का उल्लेख होना चाहिए। मैं समझता हूं कि राज्यपाल का जो भाषण होता है वह सार्वजनिक दृष्टि से और पूरे राज्य की दृष्टि से बनाया जाता है तथा उसमें कितना रुपया किस किस कार्य के लिए व्यय हुआ है, उन कार्यों में अब तक क्या प्रगति हुई है, इसका उल्लेख होता है। खास खास स्थानों पर कितना काम हुआ है, इस सब का उसमें उल्लेख नहीं होता। इस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आधार पर जो विरोध प्रगट किया है, मैं समझता हूं, वह उचित नहीं है।

दूसरी तरह का विरोध प्रगट करते हुये कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के भाव प्रगट किये हैं कि आज की जो व्यवस्था है उससे पुरानी व्यवस्था, जो राजा महाराजाओं की व्यवस्था थी, कहीं ऊंची रही थी। मैं उन माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं, कि मनुष्य स्वभावत: पुरातन प्रेमी होता है। वह पुरानी बातों को अच्छी समझता है लेकिन हम और आप, जो इस सदन में बैठे हैं, पुराने रजवाड़ों के रहने वाले हैं, छोटी और बड़ी रियासतों के रहने वाले हैं, उन रजवाड़ों की व्यवस्था के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय वहां शांति और व्यवस्था ज्यादा अच्छी होती थी, उस समय ज्यादा डाके नहीं होते थे, ज्यादा चोरियां नहीं होती थीं इस तरह की चीजें कुछ माननीय सदस्यों ने कहीं। मैं यह मानता हूं कि कुछ राज्य सरकारें, पुरानी रियासतें इस मामले में अच्छी थीं, लेकिन साथ ही हम यह कहने से नहीं चूक सकते कि कुछ और खास कर छोटी रियासतें ऐसी थीं, जहां पर डाके और चोरों का आतंक फैला रहता था। बल्कि मुझे तो यह कहने में भी संकोच नहीं कि कहीं कहीं के शासक तो डाकुओं को पनाह तक देते थे। यह भुला देने की चीज नहीं है, याददाश्त में रखने की है।

इसी तरह शिक्षा के सम्बन्ध में कहा गया है कि उस समय शिक्षा की व्यवस्था कहीं अच्छी थी। जहां तक मुझे स्मरण है, शिक्षा की दृष्टि से शायद सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान पिछड़ा रहा है और राजस्थान की कई रियासतें तो काफी पिछड़ी रही हैं। उनकी मनोवृत्ति के परिचय के लिए मैं आपको बतला दूं कि रियासतों में उस समय बाहर के कई महानुभाव गये और उनकी महाराजाओं से निजी रूप बातें में हुई, उनसे हम यह समझ सकते हैं। एडगर लोर, एक अमरीकन ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है "इन-साइड एशिया"। इस पुस्तक में राजस्थान के कुछ राजाओं से हुई मुलाकात का हाल लिखा है, जिसमें एक राणा से पूछा गया कि आपकी रियासत में शिक्षा का पर्सेन्टेज क्या है? तो राणा साहब जवाब देते हैं कि इस प्रकार के फिगर मैं अपने दिमाग में रखकर नहीं फिरता, शिक्षा उतनी ही दी जाती है जितनी कि बच्चों के लिए जरूरी है और अधिक पढ़ लिख कर वे आलसी न हों। इसी प्रकार एक दूसरे महाराणा साहब के बारे में बतलाया गया है। जिस समय बिजोलिया आन्दोलन चल रहा था उस समय वहां महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी स्वर्गीय महादेव भाई देसाई आते थे उन्होंने महाराणा साहब से राज्य में शिक्षा के सम्बन्ध में सवाल पूछा तो उसका जवाब दिया गया कि जब ये लोग पढ़ते नहीं, तब इतना आन्दोलन करते हैं, अगर इन्हें शिक्षा दी गई, तो हमको शायद गहरी नींद भी नहीं सोने देंगे। इसीलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि पुराने समय से आज इस जनतंत्र की समानता करना कोई समय के उपयुक्त बात नहीं है।

इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्थान, अथवा भारत वर्ष की तुलना रूस और चीन से की है। रूस और चीन की प्रगति पर बड़ा गर्व वे अनुभव कर रहे थे हमारे कुछ माननीय सदस्य। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि चीन और रूस की स्थिति को

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। हमारे देश की स्थिति सरी है व दूरूस और चीन की स्थिति दूसरी है। चीन का उदाहरण मैं आपको बतलाऊं कि वहां हमारे जैसा जनतंत्र नहीं है। आप सभी जानते है कि चीन के लोगों को इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं कि वे किसी भी प्रकार अपनी इच्छानुसार का पहनावा पहनें। आज इस सदन में आप सफेद टोपियां देख रहे हैं, पगडियां भी देख रहे हैं और साफे भी देख रहे हैं और हमारी बहिनें साड़ियां पहिने हुए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की साड़ियां हैं। चीन के अ दर ऐसी छोटी सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं है। वहां चीन के अधिनायक का आदेश होता है कि सबको एक प्रकार का रंगा हुआ कपड़ा पहनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं चीन होकर आये है, वे मेरी बात का समर्थन करेंगे। वहां के लोग नीला पेंट और नीला बंद गले का कोट पहनते हैं, सब एक प्रकार का ही कपड़ा पहनते है, यहां तक कि वहां माता-बहिनों को भी इसी प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते है। हमारी माता बहिनें साड़ियां पहनती हैं, सलवार पहनती हैं और राजस्थान में तो घाघरा और चूंदरी का भी रिवाज है, वहां इस प्रकार का नहीं है। वहां इस प्रकार का भी हुक्म दिया जा सकता है कि चाय के अन्दर चीनी मत डालो, तो वहां के लोग बगैर चीनी के चाय पीयेंगे। ऐसा वहां पर अधिनायकवाद है, उसका मुकाबला हमारे जनतंत्र से करें कि इतनी उन्नति नहीं हुई है, यह ठीक नहीं वहां पर किसानों को वे मजबूर कर सकते हैं कि वे सब मिलकर सामुहिक खेती करें। हमारे यहां पर इस प्रकार की चीज नहीं है। इसी प्रकार रूस का उदाहरण दिया गया। मैं समझता हूं कि वहां से अधिक कठोर अनुशासन और कहीं नहीं है। वहां के सम्बन्ध में एक बात बतलाऊं कि प्रथम महायुद्ध के बाद चर्चिल ने वार गिल्ट नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया और सिद्ध किया था कि रूस के २२ लाख आदमियों का खून करने का जिम्मा अकेले लेनिन पर था और उन २२ लाख आदमियों में बड़े बड़े जागीरदार और राजवंश के सरदार लोग ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेसर, पूंजीपति, पादरी और किसान भी शामिल थे, किसानों की भूमि जबरदस्ती ली गई थी। आज वहां पर आप कलेक्टिव और कोआपरेटिव फार्मिंग देखते हैं, वह शांति से वहां पर कायम नहीं हुई थी, डेमोक्रेसी के तरीके से नहीं हुई, इस प्रकार की धारा सभा, विधान सभा या पार्लियामेन्ट से नहीं हुई थी, बल्कि अधिनायकवाद के जरिये हुई थीं। इसलिए जो हम अपनी व्यवस्था की तुलना करते हैं उन देशों से, मैं समझता हूं, यह हमारी भूल है। इन सब चीजों के होते हुए भी हम पूर्णत: संतोष प्रगट नहीं करते कि जैसी हमारे राज्य की व्यवस्था है, वह संतोषजनक है। मैं समझता हूं कि राज्यपाल ने जो चीज कहीं है, और जिस ओर इंगित किया है, उसका हमको भी अधिकार है कि सरकार की जो त्रुटियां है, राज्य व्यवस्था की जो कमियां है, उनकी ओर, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करें। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में मिलता है। यद्यपि जहाँ तक विकास का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि राजस्थान में सिंचाई का काम बहुत पड़ा हुआ है। हमारे राज्य में सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांध; भाखरा, नांगल, चम्बल बनने जा रहे हैं, इसके साथ ही

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान केनाल की भी हम कल्पना कर रहे हैं। इन बांधों से हमारे राज्य के अन्दर जहां बड़ी बड़ी नहरें निकलने की सम्भावना हैं, वहां इनसे बिजली भी अधिक पैदा होगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान एक बड़ा विस्तृत प्रदेश है, चम्बल सब जगह नहीं जाती, सतलज का पानी या विद्युत भी सब जगह नहीं पहुँच सकते, जवाई और भाखरा बांध का पानी व विद्युत भी राजस्थान के एक कौने से दूसरे कौने की तरफ नहीं जायेंगे, अत: इसके उपरान्त भी बहुत सा भाग ऐसा बच जायगा, खासतौर से भरतपुर और अलवर का इलाका, जिस तरफ से कि मैं आ रहा हूं, वह न चम्बल का न भाखरा बांध का और न जवाई का पानी पहुँच सकेगा और न विद्युत ही पहुंच सकेगी। इसलिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उन इलाकों के लिये अभी से कोई दूसरी व्यवस्था की जाये वहां के किसान पानी के लिये सबसे ज्यादा लालायित हैं। प्रकृति ने समीप में जमुना नदी जरूर दे दी है, इससे यह सोचा भी गया है और प्रयत्न भी किया गया है कि उससे कोई नहर लाई जाये पर जिस तरह की नहर आने का आयोजन है उससे जनता को विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि जिस समय स्वयं इन्द्रदेव काफी पानी बरसायेंगे तभी उस नहर से पानी इकट्ठा किया जायगा। इसको छोटी नहर की योजना कहते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ी नहर की योजना और विचाराधीन है, पर इसमें क्या प्रगति हुई यह देखना है? देहली, पंजाब और यू. पी.; इन दोनों तीनों प्रान्तों से बच कर पानी आ सकेगा कि नहीं? इसके बारे में आश्वासन राज्य सरकार की ओर से मिले तो जनता को बड़ा सन्तोष होगा।

जहां तक बिजली का सवाल है, वह केवल पंखों, प्रकाश और अन्य सुविधा देने वाली चीजों के लिये ही आवश्यक हो, ऐसी बात आज नहीं है। आज तो किसान भी बिजली चाहता है, वह आज अपने कुओं से पानी अपने बैलों के जरिये या रहट के जरिये ही नहीं निकलना चाहता बल्कि जिस तरह शहरों के आस-पास स्विच ओन करने से कुओं में से पानी आता है उसी तरह आज के गांवों का किसान भी यह मांग करता है और चाहता है कि वह भी अपने कुओं से बिजली के जरिये पानी निकाले।

बम्बई या और जगह जहां कि सस्ती बिजली पैदा की जाती है, उससे मुकाबला करें तो वहां २ पैसा यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है; तो यहां उद्योगों के लिये भी दो आना, तीन आना पर यूनिट के हिसाब से मिलती है, जो उद्योग की दृष्टि से गांवों के किसानों और दूसरे लोगों के लिये लाभ प्रद नहीं है। कृषि की तरक्की के साथ साथ गांवों में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाना आवश्यक है और मैं बहुत जरूरी समझता हूं, इसके लिये भी गांव में सस्ती बिजली की आवश्यकता है। वह पानी की बिजली ही हो सकती है। जहां पानी की बिजली पैदा होती है उसके गांवों में जाने से तो उन्हें लाभ होगा ही परन्तु जहां पानी की बिजली नहीं पहुँच सके अथवा जहां देरी से बिजली जाये, जैसे हो सकता है भाखरा बांध की बिजली कहीं कहीं १० या १५ साल में पहुंचे, तो इस बीच में वहां के लोगों को सस्ती बिजली पहुंचाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ताकि वहां के लोग बिजली से अपनी जमीन की सिंचाई कर सकें और छोटे उद्योग धंधों से लाभ उठा सकें।

Page No.43

(श्रीजुगलकिशोर चतुर्वेदी)

अब मैं सड़कों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सडकों का जहां तक सम्बन्ध है हमारे विकास कार्य में सड़कें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हमारा राजस्थान प्रदेश पहले सड़कों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है, आज सन्तोष जनक गति से इस दिशा में प्रगति हो रही है पर इसके साथ ही यह कहने में मुझे हिचकिचाहट नहीं कि सड़कें आगे बनती जाती हैं और थोड़े ही समय बाद पीछे से टूटती जाती हैं। इसी प्रकार क्या भवन निर्माण और क्या दूसरी चीजें उनके बारे में जनता की यह आम शिकायत है और मेरी भी यही शिकायत है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कि ये सडकें और भवन और दूसरी चीजें जितनी पुख्ता और टिकाऊ होनी चाहिये, उतनी पुख्ता और टिकाऊ नहीं होतीं।

इसी तरह शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के विस्तार का जिक्र किया है, पर मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। आज जो शिक्षा हमारे देश में दी जा रही है वह आज से सवा सौ डेढ़ सौ, वर्ष पहले लॉर्ड मेकॉले ने यहां के निवासियों को परावलम्बी, परमुखापेक्षी बनाने के लिये चालू की थी, दुर्भाग्य से हम उसी को चलाये जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री और मुख्य मंत्री तथा दूसरे नेतागण भी शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं पर इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया कारण कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने का काम जिन लोगों को सौंपा जाता है वे भी ओक्सफोर्ड और केम्ब्रिज युनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और उनकी ही छाप उनके दिमाग पर जमी हुई है। उनके दिमाग में यह ख्याल ही नहीं आ सकता कि नालन्दा और तक्षशिला जैसी शिक्षण संस्थाएं भी हो सकती हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा, खाना, कपड़ा, कागज और किताबें दी जाकर बिना गरीब और अमीर का भेदभाव किये सब को समान रूप से दी जा सकती है जिनमें भगवान् कृष्ण और सुदामा जैसे विद्यार्थी निकलते थे। आज हमारे यहां शिक्षा की पद्धति वही है जो लार्ड मेकाले ने हमारे देश के नवयुवकों में अंग्रेजियत लाने के लिये, शक्ल सूरत से खरे हिन्दुस्तानी रहते हुए भी विचारों से अंग्रेज बनने के लिए, चालू की थी। वही आज भी हमारे यहां चालू है। मैं तो खास तौर से राजस्थान में शिक्षा पद्धति में आमूल चूल क्रान्ति चाहता हूं। जिस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य मद्रास में मुख्य मन्त्री थे तो इस प्रकार की क्रान्ति शिक्षा में लाना चाहते थे, पर दुर्भाग्य से वे फिर मुख्य मन्त्री नहीं रहे। वे चाहते थे कि हमारे बालक शिक्षा पाने के बाद नौकरियों के पीछे चक्कर न लगायें, बाबुगिरी या कानिस्टेबली के पीछे न दौड़ें बल्कि वे बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्वथा स्वावलम्बी हो सकें, वे अपने हाथों हर काम करने के लायक हों, अपने अपने पैत्रिक पेशे को अधिक अच्छे ढंग से कर सकें, लेकिन यह चीज नहीं हुई।

पंचायतों के सम्बन्ध में भी मैं कुछ बातें कहूंगा। पंचायतों के जहां तक अधिकारों का प्रश्न है, कुछ माननीय सदस्यों ने उनके अधिकारों को कम करने की बातें कहीं हैं; मैं कहता हूं कि पंचायतों के अधिकारों को

Page No.44

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कम करने की बात सोचना तो घड़ी की सुई को पीछे की ओर घुमाने के समान होगा। पंचायतों की पद्धति में मैं जरूर सुधार चाहता हूं। पंचायतों के चुनाव होते हैं, उसमें वोटर्स लिस्ट का उपयोग नहीं होता है और जिसके फलस्वरूप यदि गांव में रहने वालों की संख्या १,००० ही हो और दूसरे दिन चुनाव के अवसर पर २,००० आदमी आ जाते हैं...........

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहां माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है और उसके लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूँ,

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री होतीलाल।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं हरिजनों की आवाज सदन तक पहुंचाने के लिये तीन दिन से बराबर मांग कर रहा हूं लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री होतीलाल।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण का प्रश्न है, इसके मोफिक और विरोध में काफी विचार सदन में व्यक्त किये जा चुके हैं और खास तौर से जो सदस्य कांग्रेसी सदस्य कहे जा सकते हैं, उनमें से भी दो तरह की विचारधाराएं सदन में आई हैं। कुछ एक सदस्यों ने भाषण का समर्थन किया और कुछ एक सदस्यों ने "समर्थन" शब्द कहते हुये दरअसल इस भाषण का विरोध किया है। इसके बारे में सदन के सामने यह कहूंगा कि यह जो दो तरह के विचार रखे गये हैं ये किसी खास मकसद के लिये रखे गये हैं ! इसका कारण मैं सिर्फ यह समझ पाया हूं कि कुछ असंतुष्ट हैं और कुछ लालसा में हैं। लालसा इस बात की कि अभी हमारी केबिनेट पूरी नही हुई है। असंतोष इस बात का कि कुछ को यह विश्वास हो गया है कि उनकी गिनती किसी भी तरह इस लालसा पर शामिल नहीं होगी और इस तरह की खींचातान हम इस पार्टी में देखते हैं जो आज हमारे प्रान्त का शासन करती है तो इस खींचातान के बाद हमको क्या अच्छा शासन मिलेगा, इसका अनुमान हमें लगा लेना चाहिये।

वैसे तो बहुत सारी चीजें कह दी गई हैं और बहुत कम चीजें कहनी बाकी रह गई हैं और मैं तो यह समझता हूं कि मेरे लिए तो सिर्फ लोकल समस्यायें ही कहने को बाकी बच रही हैं। मैंने राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा, सुना। ६७५ मील लम्बी सड़कें बनाई और १,००० मील के करीब पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई है। लेकिन जहां तक सवाल उस क्षेत्र का है, जहां से मैं आया हूं, उस जिले का है जिस जिले में मेरा क्षेत्र है, वहां पर मैं समझता हूँ जितना वे राज्य को देते हैं उसका १।४ (चौथाई) हिस्सा भी उन पर नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टुकड़े हैं जिनको नये बनाने की बात तो अलग रही पुरानी सड़कें जिन पर इस जिले का सबसे ज्यादा ट्रैफिक है और वह ऐसा

Page No.45

(श्री होतीलाल)

टुकड़ा है जिस पर राज्य के बाहर के आदमियों का भी आने जाने का अवसर प्राप्त होता है और वह स्टेशन रोड से जयपुर रोड को मिलाता है, १० वर्षों से जब से कांग्रेस राज्य आया है उसकी मरम्मत तो दूर रही उस पर एक टोकरी मिट्टी भी नहीं डाली गई है।

कुछ सड़कें जरूर बनाई गई हैं, लेकिन वे इस दृष्टिकोण से नहीं कि उससे पब्लिक को कोई फायदा होगा या सहूलियत मिलेगी या उस पर ज्यादा ट्रैफिक चलेगा। सड़कें जो भी कुछ बनाई गई हैं वे वोट गेटिंग पोलिसी (Vote getting policy) को ध्यान में रखते हुए एक दो जगह बनाई गई हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान एक ऐसी सड़क की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि कम से कम इस जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क होगी और वह होगी नदवई वाया कुम्हेर होते हुए मथुरा में सोरेव एक टाउन है उसको जोड़ने को। यह एक २०-२५ मील का एरिया ऐसा है जहां के लोगों की ज्यादातर आना-जाना, रिश्तेदारी, बिजनेस वगैरह मथुरा डिस्ट्रिक्ट से है और काफी ट्रैफिक उस कच्चे रास्ते पर है, पक्का रास्ता कोई भी नहीं है। नहरों के बारे में काफी कहा गया है। भरतपुर में नहरों का प्रश्न नहीं उठता, पुराना सिस्टम वहां पर बांध का मौजूद है, उसकी देखभाल भी ठीक तरह से नहीं हो सकती है, उनकी तरक्की की बात तो अलग रही। इसके अलावा एक बात जरूर मेरे ध्यान में है और वह यह कि एक नहर जरूर पिछले चुनावों के समय पर बनाई गई थी और वहां उसका उदघाटन उस वक्त के माननीय मंत्री भोलानाथ जी ने किया था और उन्हीं के नाम पर उसका नाम "Bholanath folly" पड़ गया। वह इसलिए कि वह ऐसे स्थान से निकाली गई है जिसमें से कोई पानी आता नहीं। वह सिर्फ वोट गेटिंग पोलिसी के लिहाज से और लोगों को यह दिखाया गया कि आपके यहां नहर निकाल रहे हैं, बनाई गई। पानी उस नहर में उसी हालत में चल सकता है जब भरतपुर में बाढ़ आती है। आप इससे अन्दाजा लगावेंगे कि लाखों रुपया महज चुनाव में वोट गेटिंग पोलिसी के लिए राज्य का खर्च किया गया। इसके अलावा बड़े बड़े वायदे भी इन चुनावों में किये गये हैं।

उपमंत्री (श्री भीखा भाई) On a point of order, have the state Government spent money on election propaganda as the Hon'ble Member has said just now ?

श्री होतीलाल : यह तो मैंने इसलिए कहा कि चुनावों के वक्त में नहर खोदी गई और अब भी उसकी युटिलिटी कुछ नहीं दिखाई देती, तो मैंने यह अन्दाज लगाया कि महज चुनावों के लिए ही वह नहर बनाई गई थी।

मुख्यमंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह कौन से चुनावों की बात है ?

श्री होतीलाल : मैं सन १९५२ के चुनावों की अर्ज कर रहा हूं। इन चुनावों के समय की बातों को अब सदन के सामने रखूंगा। बड़े बड़े पर्चे निकाले गये थे और वायदे किये गये थे और छोटी बड़ी नहरें दिखाई गई थीं और यह कहा गया था ये ये योजनायें राज्य सरकार के

(श्री होतीलाल)

सामने हैं और यमुना से पानी भरतपुर के इलाके को लाया जावेगा। लेकिन जब हमने राज्यपाल के भाषण को सुना तो देखा कि इसमें उन नहरों के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। उसके लिए भी मैं सदन के नेता से यह निवेदन करूंगा कि इन योजनाओं के बारे में भी आश्वासन हां या ना में दिलाएं; आया दरअसल वे योजनाएं जो आपने बताई थीं सही थीं या सिर्फ चुनावों के समय के लिए ही थीं?

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, एक बहुत अहम जरूरत भरतपुर के कालेज में डिग्री साइन्स क्लासेज खोलने की है। करौली में साइन्स की कोई डिग्री क्लास नहीं, न धौलपुर में ही कोई ऐसी कॉलेज है। वहां के विद्यार्थियों को १०० मील जाना पड़ता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि भरतपुर में डिग्री की साइन्स क्लास होनी निहायत जरूरी है। वैसे तो कुम्हेर टाउनमें चुनावों के दौरान में आश्वासन दिया गया था और वह भी भारत सरकार के राज्य मन्त्री का आश्वासन था कि वहां पर हाई स्कूल खोला जावेगा। मगर वह चीज भी मैं राज्यपाल के भाषण में नहीं देखता। मैं उचित समझता हूँ कि वहां पर हाई स्कूल शीघ्र खोला जावे, वहां कि पब्लिक उचित कॉन्ट्रीब्युशन (Contribution) करने के लिये तैयार है और वहां पर स्कूल के लिए बिल्डिंग मौजूद है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत राज्य सरकार को वहां पर हाई स्कूल खोलने में नहीं होगी और स्कूल चलने के लिए वहां पर चार-पांच मिडिल स्कूल उस एरिया में हैं, जो उस हाई स्कूल को फीड कर सकते हैं।

इसके अलावा मेडिकल कालेज के बारे में जरूर रेफ्रेन्स राज्यपाल के भाषण में था लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भरतपुर में विक्टोरिया अस्पताल रियासत के जमाने में ऐसा अस्पताल था जहां न सिर्फ भरतपुर के ही मरीजों को राहत मिलती थी लेकिन यू. पी. के आगरा और अलीगढ़ के मरीजों को भी वहां राहत मिलती रहती थी। लेकिन जब से राजस्थान राज्य बना तब से उसकी तरक्की होना तो दूर रहा उसका स्तर पहले से भी अधिक गिर गया है। सिवाय एमर्जेन्सी केसेज के, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा खराब हो गया है कि बगैर लिये दिये उसमें हर मरीज को एडमिशन नहीं मिल सकता है। जहां तक वहां के पी. एम. ओ. साहब के बारे में कहूं वह तो समझ में नहीं आया कि वे इस पद तक पहुँच कैसे गये? मैंने जहां तक जानकारी की है वे न तो वैद्य ही हैं और न डाक्टर ही। ऐसी सूरत में जहां हम यह उम्मीद करते थे कि आजादी के बाद हमारी सहूलियतें बढ़ेंगी, रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा और हमको मेडिकल एड पहले से अच्छी मिलेगी, उसके बजाय हम देखते हैं कि इस वक्त मेडिकल की हालत पहले से भी गिर गई है।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि भरतपुर के होस्पिटल में करीब १२५ या १२६ बेड्स हैं और उनको 'ए' क्लास किया जा सकता है, सिर्फ ५० बेड्स और बढ़ाने के बाद में। लेकिन मुझे यह विश्वास नहीं होता कि उस होस्पिटल का नम्बर अलवर या कोटा के होस्पिटल से पहले आ सकेगा, जब कि वहां पर ८० या १०० के करीब ही बेड्स हैं। राज्य सरकार की नीति से कुछ ऐसा भान भरतपुर के बारे में होता है। इतना ही नहीं, शिक्षा, सड़क, सिंचाई आदि में भी हमको

Page No.47

(श्री होतीलाल)

पीछे छोड़ा गया है, व भरतपुर को निग्लेक्ट किया गया है। पिछले चुनाव में कुछ कांग्रेस को शिकायतें थीं लेकिन इस दफा तो हमने रेडीमेड मिनिस्टर्स आपकी कांग्रेस को दिये हैं लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि कैबीनेट में हमारा रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया। इसके अलावा और भी वायदे चुनाव के दौरान में सीमेन्ट फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री वगैरह के लिए कांग्रेस संस्था ने दिये, जिनकी हुकूमत आज हमारे राज्य में है लेकिन कोई भी जिक्र गवर्नर महोदय के भाषण में नहीं मिला और मैं तो यही समझा....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह रेडीमेड मिनिस्टर क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : Order ! order please !! आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री होतीलाल : (जारी) मैं तो यही समझा कि गवर्नर महोदय के भाषण में इनका तो जिक्र अवश्य होगा। इसके अलावा मैं पंचायतों के बारे में, कुछ और विरोधी सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उन पर जरूर बोलना चाहूंगा। लेकिन मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं। उन्होंने ऐसा कहा कि पंचायतों को जो पावर्स दिए हैं वे बंदर के हाथ में कुल्हाड़ी दी है। मैं इसका इत्तिफाक इसलिए नहीं करता कि डी-सेन्ट्रेलाइज़ेशन की तरफ सरकार का जरूर एक कदम है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि संयत, नियंत्रण के तहत पंचायतों को और भी अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये और अगर डी-सेन्ट्रेलाइजेशन नहीं किया जायगा तो गाँव वालों की हालत किसी भी तरीके से सुधरने की आशा नहीं की जा सकती। लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से यह कहूंगा कि म्युनिसिपेलीटीज़ की तरफ इतनी तीव्र आलोचना की नजर से नहीं देखा गया। जितना गबन, जितना भ्रष्टाचार, जितनी बेईमानी म्युनिसिपेलीटीज में होती है उतनी गांव की पंचायतों में नहीं होती है। किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि म्युनिसिपेलीटीज़ के पावर्स को कर्टेल किया जाय। मैं इस पर सिर्फ यही कहूंगा कि यह एक अर्बन तथा रूरल एरिया में डिफरेंस करने के लिए इस तरह की चीजें कहीं। कुछ सदस्य नहीं चाहते कि रूरल एरिया के अन्दर पावर्स पहुँचें। हो सकता है कि किसी पंचायत में कोई पंच व्यक्तिगत रूप से खराब हो और वह अपनी पॉवर्स का मिस-यूज़ करे, तो ऐसी हालत में सरकार को उसे सजा देनी चाहिए। मगर इसके माने यह नहीं कि पंचों को पॉवर्स ही नहीं दिये जाय। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। विन्ध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर दिल्ली में रिश्वत लेते पकड़े गये और उन पर केस चला और इसमें उनको सजा हुई, तो इसके माने यह नहीं कि मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहिए। जरूर बनना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अभी दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

इसके अलावा मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि पचायत विभाग में कुछ ढीलापन जरूर है। वैर तहसील सरपंच के खिलाफ रिट पिटीशन हुई, हाईकोर्ट में उसका फैसला अभी ६ महीने पहले हो गया लेकिन आज

(श्री होतीलाल)

तक उस हाईकोर्ट के डिसीजन को कैरी आउट नहीं करवाया गया है।

इसी तरह से करप्शन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इतना मैं जरूर मानता हूं कि सरकार ने कुछ कदम करप्शन को खत्म करने के लिए उठाये हैं और इसके लिए एक विभाग भी अलग खोला है जो कि एन्टी-करप्शन के नाम से मशहूर है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि जो सिस्टम रखा है और जैसा कि एक सदस्य ने भी कहा कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी का जो सिस्टम है वह ठीक नहीं है, मैं भी इससे सहमत हूं। इस डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी से तो एक प्रकार से इस एन्टी–करप्शन विभाग का असर ही मिट जाता है। अब डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के दो ही माने हो सकते हैं, एक तो यह कि केस की प्रोसीडिंग्स में डिले किया जाय या फिर इस विभाग के ऊपर विश्वास ही नहीं किया जाय। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

केवल एक मिनट और बोलूंगा।
कि जो यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का सिस्टम है उसको रखा ही न जाय। एक चीज आखिर में मैं यह कहूँगा कि समाजवादी समाज के विकास की ओर गर्वनर महोदय के भाषण में कहा गया। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैंने एक डी० सी० सी० की बैठक भरतपुर में देखी और यह डी० सी० सी० उसी पार्टी का एक अंग है जिसका शासन आज हमारे प्रांत में है। उस बैठक में कुछ सदस्य वे भी थे जो कि यहां भी मौजूद हैं। उसमें ऐसे कुछ एलीगेशन्स आये........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अभी एक ही मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइये, आपका समय खत्म हो गया।

श्री होतीलाल (६३) : मैं एक ही मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

(विराम)

श्रीमती डा० चन्द्रकला (किशन पोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् राज्यपाल ने कृपा पूर्वक जो अभिभाषण सदन में दिया उसका विचार करते हुए मैं उस पर होने वाले प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान में अब तक हुए कार्यों का विवरण देते हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों की होती हुई प्रगति, राजस्थान की वर्तमान स्थिति और भावी विकास योजनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इससे हमें भविष्य के लिए बहुत बड़ी आशा बंधती है। इस भाषण के संबंध में यहां पर होने वाले वाद–विवाद को, चर्चाओं को बहुत ध्यानपूर्वक मैं सुनती रही, उनका मनन करती रही। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सफलताओं को मापने के लिए जो मामदण्ड हमने निर्धारित किया है वह मापदण्ड शायद कुछ सही नहीं है। अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा दे देना, उसके आंकड़े बता देना, उस पर होने वाले व्यय का उल्लेख कर देना ही हमारी सफलताओं के द्योतक नहीं हैं बल्कि जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में ही बता दिया

Page No.49

(श्रीमती चन्द्रकला)

है कि हमारे कामों की जांच जीवन के अति उच्च मापदण्ड से होनी चाहिये । इसी तरह से हमें अपनी सफलताओं की जांच उसी मापदण्ड से करनी होगी । वह जांच कौन करेगा ? हम उसके निर्णायक नहीं हो सकते हैं, हम उसकी जांच नहीं कर सकते । तो फिर इसका फैसला कौन करेगा ? इसका फैसला करेगी जनता । जनता कौन—खेतों में धूप, सर्दी और बरसात को सहकर हल चलाने वाले किसान, मशीनों की घड़घड़ाहट में खून पसीना एक करने वाले मजदूर, रेल में तीसरे क्लास के डिब्बे में चलने वाले यात्री, तम्बोली और पानों की दुकान पर बैठने वाले आदमी । वह आवाज है जो हमारा फैसला करेगी । वह जनता की आवाज है । यह जनता की आवाज इसलिये आवाज होती है, जो बहुत कम बोलती है, कभी कभी बोलती है । जिसको हम महत्वहीन कह सकते हैं क्योंकि वह हमारे जैसे स्तर की नहीं मानी जा सकती । लेकिन वास्तविक आवाज वही आवाज है, जो इसका निर्णय दे सकती है । वे बोलें या नहीं बोलें, हमें सिर्फ देखना यह है कि वास्तव में जनता को लाभ हुआ या नहीं ? हम ईमानदारी से इस बात को सोचें कि हमने जनता जनार्दन की आवाज कहां तक सुनी और उनकी रोटी की समस्या को कहां तक हल कर पाये ? सर्व साधारण को तन ढांकने के वास्ते हमने व्यवस्था की है या नहीं, उनके निवास के लिये घरों का प्रबन्ध है या नहीं, उनके रोग निवारण के लिये दवाखानों की सुविधा है या नहीं, ये चीजें हम कहां तक दे पाये हैं, यह हमें देखना है । हम यातायात के साधनों का विकास कर जनता जनार्दन को सुखी सम्पन्न बना सके हैं या नहीं, इन सब बातों का जवाब जो जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे हमें तरह तरह का मिला है । अध्यक्ष महोदय, उन कई बातों का समर्थन करने की इच्छा होती है ।

हमारे देश में सब से बड़ी समस्या खाद्य समस्या है । श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस चीज का उल्लेख किया है । उन्होंने कहा कि हम निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाये हैं, योजनाओं का पूरी तरह से विकास नहीं हो सका हैं, प्रकृति के हमारे अनुकूल नहीं होने से, वर्षा के अभाव से, ओले और दावा लगने से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा है । मैं मानती हूं कि ये चीजें हुई, लेकिन प्रकृति की प्रतिकूलता ही इस बात के लिये दोषी नहीं, हमारे यहां जो अन्न पैदा होता है या जो बाहर से अनाज मंगाया जाता है उसका संग्रह, संरक्षण और वितरण हम ठीक प्रकार से कर पाये हैं या नहीं, यह भी हमें देखना होगा । हमें राज्यपाल महोदय यहां यह भी बताते हैं कि हम केन्द्र से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, यह ठीक है । दूसरी ओर हम रोजाना अखबार में देखते हैं, भरतपुर, अलवर की मंडियों से हजारों मन चना बाहर जा रहा है । इसी प्रकार सीमा से बहुत सारी आवश्यक सामग्री निकलती चली जा रही है । क्या इस प्रकार की कार्यवाही रोकने के लिये कुछ उपाय कर पाये हैं या नहीं, यह हमें देखना होगा । जब तक इस प्रकार की प्रवृत्तियां चलती रहेंगी, सस्ते अनाज की दुकानें खोल कर भी जनता को फायदा नहीं मिल सकेगा, इसके लिए जहां हमें जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है वहां राष्ट्रीय चारित्र्य विकास की भी आवश्यकता है । इसके साथ साथ हमारी सरकार को कड़ा कदम उठाकर इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है ।

(श्रीमती चन्द्रकला)

इसके अलवा रोटी की समस्या के साथ पानी की समस्या भी कुछ कम नहीं है हमारे प्रांत में। कुछ दिनों पहले वाटर बोर्ड का गठन हुआ था, उसके विषय में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वाटर बोर्ड आज अपनी अन्तिम घड़ियां गिन रहा है। उसकी अतीत कहानियां कौन नहीं जानता ? बात यह है कि हमारा शासन इन समस्याओं को हल करने में, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पक्षपात से कितना ऊपर उठ पाया है, ईमानदारी को काम में कितना ला सके हैं, भ्रष्टाचार को रोकने में कितना प्रयास किया है, तो हमें मालूम पड़ता है कि सभी समस्याओं में इन बातों का समावेश मिलेगा। इसका ज्यादा विवरण देने की आवश्यकता नहीं।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में अपूर्व सफलता का उल्लेख करते हुए संतोष प्रगट किया है। हो सकता है कुछ नामी नामी डाकू या उपद्रव करने वाले हों उनको खत्म कर दिया गया हो या उनको जेल में बन्द कर दिया गया हो, लेकिन हमें देखना यह है कि क्या वास्तव में जनता अपने आपको सुरक्षित अनुभव करती है या नहीं ? मुझे चुनाव के सिलसिले में कुछ गांवों में जाना पड़ा। एक गांव में मैं गई। वहां क्या देखती हूं कि दो बार डाका पड़ा और करीब दो-ढाई लाख का माल डाकू लोग ले गये, उसका पता अभी तक नहीं चला।

इसके साथ साथ जब मैं एक दूसरे गांव में गई तो वहां एक चोरी हुई थी। मैने वहां के लोगों से कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिये, आपका माल बरामद हो जायगा। वहां के लोगों के ये शब्द थे कि माल का हमें पता है कि कहां चला गया। अगर हम पुलिस में इत्तला कर देंगे तो जो माल मिलने वाला है वह हजम हो जायगा, वे लोग आपस में बांट कर खा जायेंगे। यह मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहती किन्तु वास्तव में जो सत्य है, जो लोगों की धारणा है वही मैं आपके सामने प्रगट कर रही हूँ। जनता को इन रक्षकों पर कितना भरोसा और विश्वास है ? हम जब विश्वास के लायक नहीं बन सकते तो कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, यह देखने की बात है।

इसके अतिरिक्त जो भी योजनायें बनाई जाती हैं उनमें जब तक हम पक्षपात रहित होकर काम नहीं करेंगे तब तक उन्नति नहीं हो सकती।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कुछ जन-कल्याण की बातों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उदयपुर क्षेत्र के पांच गांवों को आदर्श गांव बनाने की योजना की गई है। अच्छा यह होता, हर डिवीजन के एक एक गांव को आदर्श गांव बनाने की योजना बनाई जाती। यह तो मानना ही चाहिए कि जो सत्तारूढ़ सदस्य हैं और जो सरकार चलाते हैं वे पहले नागरिक होते हैं और किसी क्षेत्र के रहने वाले होते हैं लेकिन जब उन पर सरकार चलाने का उत्तरदायित्व आ जाता है तो वैसी हालत में जब तक वे पदारूढ़ रहते हैं उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है, उनकी क्षेत्रीय भावना खत्म हो जाती है और वे पूरे राजस्थान के हो जाते हैं और उनको इसी तरह सोचना भी चाहिये और इसी तरह से कार्य भी करना चाहिये। हमको छोटी छोटी बातों

(श्रीमती चन्द्रकला)

के लिये कोई चेक चाहिये, जनता का समर्थन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जनता के सामने थोड़ा सा टुकड़ा फेंक देते हैं और उनको अपनी ओर खींचते हैं, इस तरह से हम एक प्रकार से रिश्वत देने वाले बन जाते हैं। आज जब हम ही रिश्वत देने वाले बन जाते हैं तो जनता को किस तरह से ऐसी बातों से रोक सकते हैं ?

इसके अलावा बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कही जा चुकी हैं। पंचायतें प्रजातन्त्र की मुख्य आधार—शिला हैं। पंचायतों को अधिकार जरूर दिये गये हैं लेकिन पंचायतों के चुनाव में जिस तरह की भावनायें काम करती हैं उससे गांव गांव में फूट के बीज पैदा हो चले हैं, बड़े बड़े लोग इन पंचायतों के चुनाव में हस्तक्षेप करने लगे हैं। इन चुनावों के ढंग को देखते हुए हमें यह लगता है कि जो रोग आज तक शहरों में फैला हुआ था वह अब गांवों में भी फैलने लग गया है।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने प्रशासनिक मामलों में लालफीताशाहीको खत्म, करने के लिये भी संकेत किया है। इस बात के लिये निश्चित रूप से मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अभिनन्दन करती हूं। राज्यपाल महोदय को भी इसमें भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा जिसके फलने-फूलने से राज्य को बहुत नुकसान पहुँच सकता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जब तक हम ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य नहीं करेंगे तो प्रान्त का भला नहीं हो सकेगा। पक्षपात रहित होकर ईमानदारी के साथ हमें अपनी प्रतिष्ठा बनानी होगी। यह ठीक है कि हम ईमानदार होंगे, सच्चे और पक्षपात रहित होंगे तो हमारी प्रतिष्ठा बनेगी। लेकिन यदि हम पर जनता का भरोसा नहीं है, यदि हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, यदि हम जनता में प्रिय नहीं हैं तो हमें यह अवश्य सोचना चाहिये कि कहीं न कहीं कोई बात हो सकती है।

(घंटी)

२—म० प०

अध्यक्ष महोदय, मुझको, ये सब बातें जो मैंने कहीं हैं, यदि न कहनी होतीं तो मैं बहुत ही आनन्द के साथ सोचती हूं कि आप सब इसका समर्थन करते परन्तु इन सब बातों को दोहराने के बाद में तहे दिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के भाषण पर वाद-विवाद का तीसरा दिन है। इस लम्बे समय में सदन के सभी सदस्यों ने खुले दिल से राज्यपाल के भाषण की विवेचना की और विवेचना भी साधारण ढंग से नहीं, बल्कि बाज बाज ने तो इस बुरी तरह से विवेचना की कि हम नहीं कह सकते कि वे राज्यपाल के भाषण पर इतनी बुरी तरह से विवेचना करने से उनका क्या अभिप्राय है ?

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बहुत ही सरल और सिम्पल शब्दों में और भाषा में राजस्थान की वर्तमान परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराया है। इस नये चुनाव के पश्चात् इस वर्तमान विधान सभा में जो राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों से प्रतिनिधि आये उनके सम्मुख राज्यपाल ने राजस्थान के पिछले पांच वर्षों के समय में जो उन्नति

(श्री रामचन्द्र)

हुई उसका नक्शा रक्खा है और अगले पांच वर्षों में उन्हें क्या करना चाहिये उसके लिये उन्हें अवगत कराया है। इसके वास्ते हम सब राज्यपाल के बहुत ही आभारी हैं और मैं राज्यपाल के प्रति जो प्रशंसा करने का रिजोल्युशन उपस्थित किया गया है उसका, मैं ही नहीं बल्कि जिस समाज की ओर से मैं प्रतिनिधि बन कर आया हूं उस हरिजन समाज की ओर से भी, जो शिक्षा के अभाव से इस स्टेज पर आने के अयोग्य है और इस कारण से जो इसका समर्थन नहीं कर सकेंगे, उन सब की ओर से मैं राज्यपाल के भाषण का अपने हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं।

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

१.५४—म० प०

राज्यपाल ने अपने भाषणमें जो कि उन्होंने २५ तारीख को इस सदन में देने की कृपा की और राजस्थान के भिन्न भिन्न पहलुओं का जो दिग्दर्शन कराया मैं बराबर इस बात को बड़ी उत्सुकता से देख रहा था कि देखें राज्यपाल इस स्थान के हरिजन समाज के प्रति अपने क्या उद्गार प्रकट करते हैं ? लेकिन मुझे उनका भाषण सुन कर अधिक आशा नहीं हुई। उन्होंने केवल यह बतलाया कि जन कल्याण के वास्ते अर्थात् राजस्थान की ५० लाख जनता के लिये, जो पिछड़ी हुई और अनुसूचित कहलाती है, पिछले पांच वर्षों में १०३ लाख रुपया खर्च किया गया और अगले पांच वर्षों में २२८ लाख रुपया खर्च किया जावेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का आपके द्वारा इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त राजस्थान की इस पचास लाख पिछड़ी जनता की जो बुरी अवस्था है और जो वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से गुजर रही है, उनके वास्ते इतनी थोड़ी रकम खर्च करना, यह राजस्थान सरकार के लिये उचित नहीं है। अगर हिसाब लगाया जावे तो पचास लाख जनता के वास्ते १०३ लाख रुपया यानी पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति पर दो रुपया जो कि साल के लिये अगर आप हिसाब लगावें तो ६ आने प्रति वर्ष होता है, खर्च किया जावेगा, जो महीने में केवल दो पैसा खर्च पड़ा ; इससे अन्दाज लगा लीजिये कि हरिजन समाज के प्रति राजस्थान में अब तक सरकार ने क्या उदारता बरती है। हां, अलबत्ता अगले पांच वर्षों में दो पैसे के बजाय एक आना प्रति व्यक्ति खर्च करने का विचार वह रखती है। यह भी बहुत ही कम है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके थ्रू (through) राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरिजन समाज की इस वक्त आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो गिरी हुई दशा है उसको ठीक तरह से सुधारने के लिए सदन के तमाम मेम्बरों ने और राजस्थान सरकार ने दस वर्षों में, संरक्षण देकर, दूसरे भाइयों के समान बनाने का वादा किया है। पर मुझे डर है कि इस थोड़ी सी सहायता से राजस्थान के हरिजन समाज अपने अन्य भाइयों के बराबर न हो सकेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि हरिजन समाज के प्रति जैसा कि उदार भाव अब तक रहा है वह भाव बढ़े और उनकी दशा को और अधिक उन्नति बनाने में आप सहयोग दें।

Page No.53

(श्री रामचन्द्र)

अब आपको मैं हरिजन समाज के प्रति, जो इस वक्त बहुत सी कठिनाइयां आ रही हैं और जिनकी वजह से हरिजन समाज यथार्थ उन्नति नही कर सका है ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज प्रातःकाल दलित वर्ग संघ की ओर से एक मीटिंग बुलाकर मुझे यह आदेश दिया गया है कि मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान राजस्थान के हरिजन सभा की वर्तमान दशा की ओर आकर्षित करूं। इसलिए मैं आपका ध्यान राजस्थान के हरिजन समाज की वर्तमान दशा के प्रति आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

इस वक्त हरिजन समाज जिसमें कि १६ लाख अनुसूचित जाति, ३२ लाख अनुसूचित जनजाति, और ३ लाख पिछड़ी हुई जातियां; कुल मिलाकर ५१ लाख जनसंख्या है जो सारे राजस्थान का १/३ भाग है वह एक बहुत ही प्रिकेरियस (Precarious) हालत में है, बहुत ही करुण दशा में से गुजर रहा है। इन जातियों को विशेष अधिकार केवल १० वर्षों के लिए दिये गये हैं और भारत के संविधान के अनुसार यह आश्वासन दिया गया था कि इन पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को और भारत के अन्य जातियों के समान परिस्थिति में लाने के लिये १० वर्ष तक संरक्षण दिया जावे। उस काल में से ६ वर्ष का काल तो गुजर चुका है केवल चार वर्ष का काल और रह गया है। अगर मैं यह कहूं कि इस अल्प-काल में, अगर हरिजन-समाज के लिये विशेष उदारता से काम नहीं लिया गया तो हरिजन समाज आज से चार वर्षों के बाद एक बहुत ही भयंकर दशा में पहुंचने वाला है उससे रक्षा करना आपका कर्तव्य है।

इन लोगों की विशेष असुविधायें, जिनकी वजह से ये पिछड़े हुए हैं, वे सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक हैं। मैं, अध्यक्ष (सभापति) महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हरिजन समाज की उन्नति तब तक न हो सकेगी जब तक कि उनकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी, और तब तक दूसरे प्रकार की उन्नतियां भी उनमें होनी असम्भव हैं।

हरिजन समाज की आर्थिक उन्नति होने के कई तरीके हैं। पहला यह है कि इन हरिजनों के जो सम्बन्धित धन्धे हैं उनमें अधिक से अधिक वृद्धि की जाय। इन १६ लाख हरिजनों में, जो कि राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों में बसे हुए हैं, करीब ८ लाख तो ऐसे हैं कि जिनका काम चर्म उद्योग से है। बहुत से चमड़ा रंगते हैं, बहुत से रंगे हुए चमड़े के जूते और अन्य वस्तुयें बनाते हैं। राजस्थान सरकार कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है लेकिन राज्यपाल के भाषण को पढ़ने से मालूम पड़ा, जिसको मैंने कई बार पढ़ा तो देखा कि चर्म उद्योग को इसमें कोई स्थान दिया गया है। मुझे पढ़कर दुख हुआ, कि आठ लाख जनता का चर्म उद्योग जो मुख्य व्यवसाय है, जिस पर उनकी आर्थिक स्थिति निर्भर है, राजस्थान सरकार ने उस ओर से बिलकुल आँखें मूंद रखी हैं। यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां खादी और कपड़े के लिए, ऊन के लिए, भेड़-पालन के लिए लाखों खर्च किया जा रहा है वहां हरिजनों के चर्म उद्योग को उन्नत करने के लिए राजस्थान सरकार कोई ठीक कदम नहीं उठा रही है। इसलिए अध्यक्ष (सभापति) महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चहता हूं कि यह राज-

Page No.54

(श्री रामचन्द्र)

स्थान का एक प्रमुख कुटीर उद्योग है और इस चर्म उद्योग को प्राथमिकता देने और इसको प्रोत्साहन देने ही से हरिजनों की दशा सुधरेगी और साथ ही साथ मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आपके द्वारा इस ओर भी खींचना चाहता हूं कि चर्म उद्योग न सिर्फ एक कुटीर उद्योग है किन्तु यह तो बड़े स्केल पर चलाने की वस्तु है और राजस्थान में इसके लिए सब साधन उपलब्ध हैं । चर्म उद्योग को चलाने के लिए तीन आवश्यक चीजें चाहिये; कच्चा चमड़ा, रंगने का सामान और लेबर। राजस्थान एक पशुपालक प्रदेश है। यहां पर पशु-पालन राजस्थान के प्रत्येक किसान का धंधा है और उसके जीवन का एक खास जरिया है । यहां पर हर साल लाखों जानवर वैसे ही मरते हैं । उनका चमड़ा यहां पर उद्योग के काम में न लाकर बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है । अगर इसी चमड़े को बाहर न भेज कर राजस्थान में ही बड़े चमड़े के उद्योग के रूप में, जैसे कि कलकत्ता और आगरा में चलाये जाते हैं, वैसे खोल दिये जांय तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह राजस्थान का प्रमुख उद्योग न सिर्फ हरिजनों की उन्नति का ही साधन होगा बल्कि यह राजस्थान का प्रमुख उद्योग होगा और इससे सबको फायदा मिलेगा ।

(घंटी)

टाइम हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कह सका । और अधिक बातें हरिजनों पर ही न कहकर और कुछ कहूंगा ।

करप्शन का घृणित अपराध बताया गया है । मैं भी इसको एक घृणित अपराध मानता हूं, मैं इसको अच्छा नहीं मानता । इसको दूर करने के साधन हैं और उनको काम में लाना चाहिए । लोगों ने कई प्रकार के साधन बताये लेकिन मैं आप के द्वारा राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक करप्शन को दूर करने में जनता का सहयोग नहीं लिया जायगा तब तक यह भयंकर बीमारी और यह भयंकर पाप राजस्थान से दूर नहीं होंगे । इसलिए मेरा सुझाव है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एन्टी करप्शन बोर्ड बनाये जांय, उनमें आधे सदस्य जनता के विश्वास-पात्र प्रतिनिधि हों और आधे सरकारी । यह एन्टी करप्शन बोर्ड करप्शन करने वाले आदमियों की छाती पर बैठा रहेगा और इस प्रकार से घृणित कार्य को करने वाले इससे डरते रहेंगे । मुझे आशा है कि इस प्रकार राजस्थान से यह भयंकर बीमारी और पाप दूर हो सकेगा ।

दूसरा मेरा यह सुजेशन है, शिक्षा प्रणाली पर । राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में शिक्षा के सम्बन्ध में दिग्दर्शन कराते हुए कहा कि राजस्थान में सैकड़ों स्कूल-पाठशालायें खोली जा रही हैं और इस प्रकार राजस्थान में शिक्षा का प्रचार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा के विषय में........

(घंटी)

क्वान्टिटी की ओर ध्यान न दें किन्तु क्वालिटी की ओर ध्यान दीजिये । जब तक शिक्षा में क्वालिटी पैदा नहीं होगी तब तक वह राज्य के लिये

(घंटी, घंटी)

(श्री रामचन्द्र)

उपयोगी नहीं होगी। आज सब अनुभव करते हैं कि स्टेन्डर्ड आज शिक्षा का गिर गया है। जो पहले मिडिल के बराबर था उसका स्टेन्डर्ड मेट्रिक के बराबर रह गया है।

(घंटी)

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह): आपका समय हो चुका।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री पुरुषोत्तम लाल (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, (सभापति महोदय) राज्यपाल को धन्यवाद का प्रस्ताव जो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण में जो शब्द राज्यपाल ने, जो हम नये आये हुए प्रतिनिधियों के बारे में कहे हैं और विशेष तौर से बधाई दी है और इस ओर हमारी सफलता की भी उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, और हम उनका अभिनन्दन करते हैं। हमें यह देखना है कि इस अभिभाषण में जो उन्होंने राज्य की व्यवस्था और कानून के बारे में उल्लेख किया है, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे राजस्थान राज्य में व्यवस्था का जहां तक ताल्लुक है वहां तक हमारी सरकार ने उस पर पूर्ण रूप से काबू पाने के लिए बहुत कुछ किया है और कुकृत्य करने वालों की मनोभावना को बदलने के लिए भी कार्य किये हैं, और उनकी और कठोरत्तम कदम उठा कर भी कार्य किये हैं, किन्तु उन्हीं से सन्तोष नहीं लेना होगा, क्योंकि ऐसी घटनायें दूसरे राज्यों में बहुत कम हुई प्रतीत होती हैं; जैसे मनुष्यों को उठा कर ले जाना ऐसा दूसरे प्रान्तों में नहीं देखा गया है। चूंकि हमारे प्रान्त में ऐसी घटनायें हुई हैं जिनको दर गुजर नहीं कर सकते हैं और उनकी ओर हमको सतर्क रहना होगा और जो लोग उनको प्रोत्साहन व सहायता देते हैं उनको और भी सतर्क रहना पड़ेगा, तब ही राज्य की व्यवस्था ठीक चल सकती है।

इसके अलावा आयोजना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। मैं उसके प्रति इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल ने बहुत कुछ इसके बारे में कहा है कि हमने इस आयोजना में ८५ प्रतिशत खर्चा किया है किन्तु मैं यह दिग्दर्शन कराना चाहता हूं कि हम इस योजना को खाली एक अंकगणित गणना से ही गिनें तो कुछ कामयाबी हासिल नहीं करते जब तक कि कितना रुपया खर्च करके कितना फ़ायदा जनता को पहुंच सका है यह न बता दें, जनता को सन्तोष नहीं हो सकता। इस भाषण में यह कहीं नहीं बताया गया है कि ८५ प्रतिशत खर्चा करके जनता के लिए क्या क्या सुविधायें हमने प्रदान की हैं। मैं महसूस करता हूं कि इसका उल्लेख होना आवश्यक था।

जो सिंचाई योजनायें हमारे प्रदेश में लागू की गई हैं वे सराहनीय हैं किन्तु यह देखना होगा कि जो बड़ी २ योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और जब ये परिपूर्ण हो जायेंगी और तब जो उत्पादन बढ़ेगा उसके बारे में मंडियों के लिए क्या व्यवस्था की है, कारखानों के लिए क्या व्यवस्था और

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

या योजनायें तैयार की हैं। होगा यह कि हजारों बीघा काश्त हो जायगी, उत्पादन भी बढ़ जायगा लेकिन उसकी खपत के लिए हमारे पास साधन नहीं होंगे और गन्ने के उत्पादन होने पर हमारे यहाँ कोई सुगर मिल नहीं होगी। इस प्रकार के साधन नहीं होंगे तो हमारे लिये कष्ट साध्य होगा और हमें फिर ५ साल तक आगामी योजना की बाट जोहनी होगी। और तब तक काश्तकार बर्बाद हो जायेगा। इसलिए मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सिंचाई की योजना के साथ साथ दूसरे साधन जो आवश्यक हों उनकी भी तैयारी अभी से कर लें ताकि जनता को आगे कष्ट न उठाना पड़े। बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं के साथ साथ जहां कि उनके प्रयोग से लाभ नहीं होने वाला है या जहाँ सिंचाई का पानी नहीं पहुंचने वाला है रेगिस्तान के उस भूभाग की ओर भी पानी दूसरी तरह से पहुँचाने की ओर ध्यान देना चाहिये। मैं जिस तहसील से चुनकर आया हूं उस रूपनगढ़ तहसील में इन बड़ी सिंचाई योजना का नाम भी नहीं है। वहां पर सलीमाबाद नाम का गांव ऐसा है जहां पर लगभग ४०० कूए पानी से लबालब भरे रहते थे लेकिन आज देखते हैं तो वहां पानी बिल्कुल नहीं है और वहां के लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं और कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि सलीमाबाद से जो रूपन नदी जाती है उसमें फ्लश स्पट बनवा दी जायगी तो उससे वहां की जनता को फायदा होगा। वहां पर जो १०-१५ गांव बर्बाद हो रहे हैं और जिनमें ५०० कूए सूख रहे हैं वे वापिस आबाद हो जांएगे और सरकार को सांभर में पैदा होने वाले साल्ट में भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो छोटी छोटी सिंचाई के कुओं को तकाविये दी जाती हैं उसमें भी डिले की जाती है और इसके लिए ऐसा ही प्रोसीजर बनाया है, इसके लिये मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि जल्दी जल्दी तकावी देने के लिये ऐसे नियम बनाये जांय जिससे कि लोगों का कष्ट शीघ्र दूर हो।

इसके साथ ही मैं चिकित्सा की ओर ध्यान दिलाता हूं। हमारी राजस्थान सरकार ने बहुत से अस्पताल, औषधालय और चिकित्सालय खोले हैं लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि जो चिकित्सालय आदि खोले जाते हैं उनमें जाकर सरकार यह भी देख ले कि उनमें क्या व्यवस्था है? आज जब मैं उन चिकित्सालयों की ओर देखता हूँ तो प्रतीत होता है कि रूपनगढ़, जहां से मैं आया, हूँ वहां दो ढाई साल से कोई डाक्टर नहीं है। क्या इसी प्रकार दवाखाने खोल कर हम जनता को बताना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने इतने दवाखाने खोले हैं या औषधालय खोले हैं कि जिनमें ५०० रुपये साल की सिर्फ दवाइयें दी जाती हैं। किशनगढ़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया है जहां पर साल भर में ५०० रु. की दवाइयें दी जाती हैं। क्या ३०,००० की आबादी वाले स्थान के लिये ५०० रु. की दवाइयें साल भर के लिये काफी हैं? जहाँ पर दो ढाई साल तक डाक्टर नहीं पहुंच पाते हैं और जहां दवाइयों का साधन बराबर नहीं है वहां सरकार को शीघ्र साधन पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिये।

इसके अलावा मैं शिक्षा की ओर आपका

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

ध्यान दिलाना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी वही दौर दौरा है जिसके लिए हमें सोचना है कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन हम किस तरह कर सकते हैं ? जिस तरह अभी एक माननीय मित्र ने कहा था कि लार्ड मैकॉले की नीति ही शिक्षा के मामले में रहेगी तो हम उत्थान नहीं कर पायेंगे। हमारा देश इस शिक्षा से पतन की ओर जा रहा है, यह बात बिल्कुल सत्य है और मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ एक राजस्थानी होने के नाते। राजस्थान का इतिहास सारे हिन्दुस्तान से जुड़ा हुआ है। शिक्षा की दौड़ में राजस्थान भी कभी पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिये। राणा प्रताप के क्षेत्र से आने वाले हमारे सदन के नेता इसमें आमूल चूल परिवर्तन करके नया रास्ता बतायेंगे जिससे देश को फायदा हो सके। साथ ही जो स्कूलें खोली जांय उनकी दशा की ओर भी देखना चाहिये। किशनगढ़ में इन्टर कॉलेज है लेकिन वहां से इन्टर में पढ़ने के लिये लगभग २०० लड़के अजमेर रोजाना जाते हैं क्योंकि वह कॉलेज में न तो कोमर्स क्लासेज़ हैं और न साइन्स की क्लासेज हैं। इस तरह का कालेज खोलने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहां पर कॉमर्स और साइन्स विभाग खोलकर जनता को सहूलियतें प्रदान करें।

अब इससे आगे मैं भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस अभिभाषण में बतलाया गया है कि भ्रष्टाचार के बीज को नष्ट किया जायेगा। मैं इसके लिए सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा संकल्प किया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बीज नहीं बल्कि वट वृक्ष है। इसकी डालियें नीचे लुढ़क लुढ़क कर जमीन में जड़ जमाती जा रही हैं। जब तक इसके लिए सदन के सभी लोग मिल कर उसको मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो यह मिट नहीं सकेगा। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इसे मिटाने में सरकार को सहायता देंगे और इसका कारण ढूंढेंगे। कारण सिर्फ यही नहीं है कि कर्मचारियों को तनख्वाह कम मिलती है, इसलिये तनख्वाह बढ़ाने से काम चल जायगा। तनख्वाह बढ़ाने से ही इसका हल नहीं होगा। आज मैं देखता हूं कि हजार रुपये पाने वाले कर्मचारी भी भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ तनख्वाह बढ़ा कर ही हम इसको मिटा देंगे। ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियों में भी यह अपना घर कर ले इसलिए अभी से हम सब प्रयत्न करेंगे तो यह मिट सकता है अन्यथा वही हाल होगा जैसा दूसरे हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है, और दूसरे देशों के लोग हमारी ओर निगाह किये हुए हैं कि हम इसको कैसे मिटाते हैं ? मैं आशा करता हूँ कि भ्रष्टाचार को मिटाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

जागीर पुनर्ग्रहण के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने यह प्रगति का काम किया है लेकिन जमींदारी प्रथा अभी तक चालू है। इसलिए जमींदारी प्रथा को जल्दी से जल्दी नष्ट करने के लिए विधेयक पेश करके इस प्रथा को मिटा कर राजस्थान की जनता को फायदा पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

इसी तरह मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार ने बहुत लम्बी

(श्री पुरुषोतमलाल)

सड़कें बनाई हैं। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि रेगिस्तान की जो हालत है उस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। रूपनगढ़ से नावां तक कई गांव गुजरते हैं। बरसात में उधर से आने-जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्योंकि रास्ता बन्द हो जाता है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो ऐसे इलाके हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाये। किशनगढ़ से करकेरी, सिलोरा से श्रीनगर आदि छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके लिए सरकार ने कहा था कि वहां सड़क शीघ्र ही बनायेंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनाई गई। मैं आशा करूँगा कि अब जल्दी ही बना देंगे।

इसके साथ साथ मैं नल और बिजली के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमारे पास लम्बी लम्बी स्कीमें तो हैं लेकिन काम धीरे-धीरे होता है। किशनगढ़ में जब मैं पोपुलर मिनिस्ट्री में था, ८-९ वर्ष पहले, तब वहां वाटर वर्क्स बनाने की सेंक्शन दी गई थी, लेकिन उसका अब तक भी पता नहीं है और अभी काम शुरू होने पर सिर्फ २ साल में पानी का एक हौज तैयार किया गया है, उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस प्रकार ढिले करने की नीति से काम करेंगे तो जनता का विश्वास खोना पड़ेगा। मैं आशा करूंगा कि अब इस ओर शीघ्र ध्यान देंगे।

इसी प्रकार बिजली के बारे में भी बताना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में हम मन्त्री महोदय से दो-चार महीने पहले मिले थे। हमारे वहां पर आठ आना युनिट बिजली के चार्जेज लिए जाते हैं इस बाबत अर्ज भी की थी और वहां बिजली का यह हाल है कि कभी घंटे भर आ जाती है तो फिर तीन-तीन दिन तक गायब रहती है, इसका कोई नोटिस सरकार नहीं लेती है; लेकिन यदि जनता पैसे नहीं देती है तो कनेक्शन काट दिया जाता है और पेनल्टी ली जाती है। सरकार के बिजली घर के लिए कोई कानून कायदे लागू नहीं होते हैं। सरकार द्वारा वादा किया गया था कि २ महीनों में नया बिजली घर चालू कर देंगे लेकिन अब तक कोई नया बिजली घर चालू नहीं हुआ। मैं प्रार्थना करूँगा कि जो वादा किया गया है उसे पूरा करने की शीघ्र कृपा करेंगे।

अब मैं अन्त में उन मजदूर और मालिकों के बीच के सम्बन्ध के बारे में और उद्योग-धन्धों के बारे में कह देना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार कई उद्योग-धन्धे खोलने के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें बना रही है, लेकिन राजस्थान में बड़े बड़े उद्योग पहले से मौजूद हैं। जो बर्बाद हो रहे हैं इसका मैं उदाहरण बताता हूँ कि किशनगढ़ में एक किशनगढ़ मील कपड़े का है, वह मील काफी वर्षों से है। जब कि राजस्थान में कोई मील नहीं थी तब से यह बनी हुई है। वह राजस्थान में सबसे बड़ी मील है। उसकी आज क्या दुर्दशा हो रही है। अगर वह मील पूरी चलती रहे तो उससे सैन्ट्रल गवर्नमेंट को भी ३५ लाख रुपये की आय हो सकती है। ३५ लाख रुपये को किस तरह से बरबाद किया जा रहा है। आज वह मील बन्द है। हमारी सरकार कहेगी कि उससे ३५ लाख रुपये कैसे मिल सकते हैं? मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस मील में कुछ ३६२ लूम है, २६ हजार स्पेन्डिल हैं? एक लूम पर एक रोज में एक शिफ्ट में ५० गज कपड़ा बनता है और

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

एक गज कपड़े पर ढाई पौने आना एक्साइज ड्यूटी लगती है। तीनों शिफ्टों का इस हिसाब से इतना कपड़ा बनता है कि जिससे लगभग ३५ लाख रुपये की वार्षिक इक्साइज ड्यूटी का नुकसान हो रहा है। सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है और ३५ लाख रुपये का नुकसान किया जा रहा है। जब कि हम आज देखते हैं कि नये नये उद्योग-धन्धे चलाये जा रहे हैं जब कि हम पुराने धन्धों को, जो पहले चले हैं, उनको बन्द करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि किशनगढ़ की मील राजस्थान में सबसे पुरानी है और सबसे बड़ी है, वह बन्द पड़ी है।

(घण्टी)

उस मील के बन्द होने से किशनगढ़ के तीन हजार मजदूर आज बेरोजगार हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मजदूर और मालिकों के सम्बन्ध इस प्रकार के बने हुए हैं, कि वे बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो फोर्मर राजस्थान की मिनिस्ट्री थी उस समय सुखाड़िया अवार्ड दिया गया था, मजदूरों का ५४ रुपये वेतन निधारित किया गया था। आज ४५ रुपये से ज्यादा नहीं मिलते हैं। इससे मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का मजदूर और मालिकों का आपसी व्यवहार है। हम चाहते हैं कि मजदूर और मालिकों का सम्बन्ध अच्छा हो। आप समाजवाद भी लाना चाहते हैं, समाजवादी तरीके की व्यवस्था भी कायम करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इस ओर आप ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं दिया तो रूस और चीन जैसा साम्यवाद यहां आ जायगा। आप चीन और रूस की ओर देखने को कहते हैं, लेकिन ऐसे साम्यवाद में बोलने की स्वतन्त्रता तो नहीं होगी, कपड़े पहनने की स्वतन्त्रता नहीं होगी। लेकिन रोटी और कपड़े की समस्या तो हल हो ही सकती है। आज जनता योजनाओं की ओर नहीं देखती है, बल्कि रोटी और कपड़े की ओर देखती है। हमें यहां पर इस तरह से बोलना चाहिए जैसे कि जनता का एक प्रतिनिधि बोलता है। हमें देखना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है ? एक रोगी यह नहीं देखता कि दवा आयुर्वेदिक है या यूनानी है, चाहे दवा तुलसी हो चाहे बनप्सा हो, वह तो बीमारी को मिटाना चाहता है। जनता अपनी भलाई के काम चाहती है, वह चाहे जैसे वाद से काम हो।

(घण्टी)

इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार के जो उद्योग-धन्धे पहले से हैं, उनको पनपाना चाहिए और सरकार को यह भी चाहिए कि चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, जिनको वेतन बहुत कम मिलता है, जैसे कि अभी बाहर सदस्यों से प्रार्थनायें करते रहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान सरकार उनको तनख्वाह बढ़ाने की ओर भी ध्यान देगी और जो सुझाव मैंने रखे हैं, उन पर ध्यान देगी। इन चन्द शब्दों के साथ धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास करेगा।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष (सभापति महोदय) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है ; मैं भी तीन दिन से प्रयत्न कर रहा था कि मुझे बोलने का मौका मिले। अब यह मौका

(श्री अनोपसिंह)

मुझे मिला है। सभापति महोदय, आपके सामने अब तक ऐसे भाषण हो चुके हैं जिनमें राज्यपाल महोदय को उनके भाषण के लिए धन्यवाद दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि मुझे भी मौका मिले कि मैं भी धन्यवाद दूं। पहले इसके कि मैं धन्यवाद दूं मुझे कुछ सुझाव आपके सामने पेश करने हैं। सबसे पहले यह ख्याल मुझे हुआ कि कहीं राज्यपाल महोदय के सामने उनके पुराने भाषणों की कोई प्रति तो नहीं आ गई क्यों कि इस भाषण में वे ही प्वाइन्ट्स, वे ही समस्याएं और वे ही ब्योरे हैं, जो पहले भी भाषणों में हम कई बार पढ़ चुके हैं जैसे पंच वर्षीय योजना, डाकुओं का सफाया, एकीकरण से उत्पन्न समस्याएं, सरकार की सफलताएं और असफलताएं। इस प्रकार के विषय हम कई भाषणों में देख चुके हैं और वे ही इस बार सुनने को मिले। खैर, यह जो कुछ भी हुआ सो हुआ।

अब मैं सबसे पहले जिस बात के ऊपर अध्यक्ष महोदय, अपने विचार व्यक्त करूंगा वह है पंच वर्षीय योजना, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेरे सदस्य भाई बोल चुके हैं और जिस पर राज्यपाल महोदय ने भी सबसे ज्यादा जोर दिया है। पंच-वर्षीय योजना में जो सफलता हुई है उसके ऊपर बधाई दी गई है। जब पंच-वर्षीय योजना आपके सामने आई, तो अध्यक्ष महोदय, हमें देखना चाहिए था कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना सफल हुई या असफल रही, इसका आप निर्णय कर लें। मैं अर्ज करूंगा कि पहली पंच-वर्षीय योजना कुछ हद तक सफल रही है, जिसके ऊपर धन्यवाद दे दिया जाय, ऐसी कोई खास बात देखने में नहीं आती। इसके कारण दो-तीन हैं और वे ये हैं कि हमारे यहां जो प्रशासनिक प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वह इतना ढीला है, उसमें एक दो पेंच इतने ढीले पड़े हैं, जिसकी वजह से जो चीज जहां होनी चाहिए, वह वहां नहीं। जो खर्च होना चाहिए और जिस मौके पर खर्च होना चाहिए वह खर्च नहीं होता है और उसके बाद ही सब कुछ होता है। दूसरी चीज, जो सबसे ज्यादा हमारे लिये अड़चन बनकर बैठ गई है वह है भ्रष्टाचार, जिसके ऊपर आगे अर्ज करूंगा। इसके पहले मैं अर्ज कर दूं कि जो हमारी पंच-वर्षीय योजना है उसकी सफलता को नापने के लिए कोई माप-दंड होना चाहिए जिससे यह जान सकें कि हमारी पंच-वर्षीय योजना सफल हुई या असफल रही ? मैं कहता हूं कि क्या सरकार के पास उनको मापने के लिए कोई माप दंड है अथवा कोई आंकड़े हैं; क्या ऐसे फिगर्स हैं, जिनसे मालूम पड़े कि जनता का वाकई लिविंग स्टेन्डर्ड, जीवन स्तर कुछ ऊंचा उठा है। यदि इस प्रकार का कोई माप दंड है, तो मैं मानूंगा कि कोई प्रगति हुई है और वाकई योजना सफल हुई है, लेकिन अगर आप यह मानें कि उसमें जितना खर्च कर सकते हैं, उतनी ही योजना सफल होती है यह गलत है। जैसा कि राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है, प्रथम पंच-वर्षीय योजना में ६०.४८ करोड़ की नियत राशि में से हमने ८५ परसेन्ट खर्च कर दिया। मैं मानता हूं कि खर्च कर दिया लेकिन क्या यह सही ढंग से खर्च हुआ, वाकई जहां यह पैसा लगाना था, वहां आपने उस रुपये को खर्च कर दिया, जिस चीज को बनाने के लिए वह रुपया खर्च हुआ क्या उसमें सफलता रही ? जो रुपया खर्च हुआ अगर उससे वह चीज नहीं बनी, जो कि बनाना चाहते थे,

(श्री अनोपसिंह)

तो हम बधाई देने को तैयार नही हो सकते। इसके आगे, अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि हमारी बहुत सी योजनाओं मे लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। अगर यह रुपया वाकई ठीक तरह से लगाया जाय तो वाकई मैं यहां नहीं आपके घर जाकर, मन्त्री महोदय के घर जाकर उनको बधाई देने को तैयार हूं। अगर यह नहीं होता है और जो चीज जहां बनाना चाहते हैं, वहां पर वह नही बनती है, तो उसको मै सफलता मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब कहा गया कि पंच-वर्षीय योजना में हजारों—लाखों एकड़ भूमि सींची गई। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहूंगा कि क्या वह जमीन, जो सींची गई, वाकई बंजर थी ? क्या उस जमीन पर खेती की जाती थी ? अगर उस जमीन के अन्दर कुछ पैदा होता था, वहां पर खेती होती थी, उस जगह में थोड़ी सिंचाई करके अगर कोई चीज नई पैदा कर दी, या यह कह दिया गया कि इतनी ज्यादा जमीन सींची गई और उससे इतनी ज्यादा पैदावार हो गई, लेकिन इस बात के लिये कोई आंकड़े नही हैं। अगर एक जमीन में पहले २० लाख मन पैदावार होती थी, और अब इतना पैसा खर्च करने के बाद ५ लाख मन ज्यादा पैदावार हो गई तो माना जा सकता है कि उसमें कुछ प्रगति की। लेकिन अगर २० लाख मन पैदा जब पहले हो रही थी, वहां अब २२ लाख मन पैदावार हो रही है तो यह वाकई कोई प्रगति नहीं है। इतना ज्यादा खर्च करने के बाद यह कोई प्रगति नहीं है। मेरे एक पूर्व वक्ता ने, एक ने क्या बहुत से वक्ताओं ने, एक क्या बहुत से वक्ता आये, सदन के सामने इस बात की बहुत अधिक चर्चा की कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे अनुमान से आगे बढ़ गई, हमारे अनुमान से आगे इसमें हमें सफलता प्राप्त हुई। श्रीमन् राज्यपाल के भाषण में एक जगह ऐसा ही कहा गया है :

"शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूतिगृह व शिशु कल्याण, गांवों का पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, इत्यादि क्षेत्रों में की जाने वाली कार्यवाहियों का एक नया महत्व हो गया और वे उस ग्रामवासी के जीवन का अभिन्न अंग बन गई जो उन्हें अब तक दूर से ही यदि सन्देह पूर्वक नहीं तो लापरवाही से देखता था।

मैं अर्ज करूंगा मन्त्री महोदयों और सदस्य महोदयों से कि ग्रामवासियों के लिये पहले जो चीज दूर थी वह अब भी दूर ही है, वह अगर किसी के नजदीक आई है तो उनके नजदीक आई है जो शहरों में बसते हैं या जिनका उनसे लगाव है, या जहां से ऐसे मन्त्री महोदय या ऐसे सदस्य आये हैं जो सरकारी पार्टी के नुमायन्दे हैं, जिन पर सरकार महरबानी रखती है।

सफाखाने खुले, स्कूलें खुलीं, प्रसूति गृह खोले गये पर ये ग्रामवासियों के जीवन के अभिन्न अंग बन गये हैं, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं तो ग्रामवासियों को इनसे उतने ही दूर देखता हूं जितने कि ये पहले थे क्योंकि ग्राम वासी को कभी यह विश्वास आया ही नहीं कि यह प्रथम पंच वर्षीय योजना मेरी है, इसमें जो पैसा लगाया जा रहा है वह मेरा है, यह मेरे फायदे के लिये है, यह विश्वास ग्रामवासियों में पैदा नहीं किया गया, यह विश्वास उनमें नहीं डाला गया और यही कारण है कि पंचवर्षीय योजना जिस उत्साह और जिस जोश के साथ

(श्री अनोपसिंह)

चलनी चाहिये थी और जितने सफल प्रयत्न हुये हैं उनके अनुसार जो सफल आंकड़े आने चाहिये थे वे नहीं आये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह अर्ज करूंगा कि अगर पंचवर्षीय योजना को सरकार सफल करना चाहती है तो यह जरूरी है कि हम सदस्यों में, जो यहां बैठे हैं, उनमें जोश डालें कि यहां से निकल जाने के बाद भूल न जांय कि हम कहां से आये हैं, बल्कि उनमें यह विश्वास पैदा करें, जोश पैदा करें कि वे यह समझें और आम लोगों में यह भावना पैदा करें कि यह पंचवर्षीय योजना उनकी खुद की एक योजना है जो उनके फायदे के लिये, उनके खुद के घर में, उनके खुद के देश में, उनकी प्रगति के लिये, उन्नति के लिये, उनके द्वारा, उनके प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई है और उन्हीं के पैसों से चलाई जा रही है। यह जोश पैदा कर दें तो मैं शायद एक साल बाद फिर यहां हाजिर होऊं तो आपको बधाई दे सकूं। पर आज तो नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम में रहने वाला आदमी हूँ। यह नहीं है कि मैं बुलगानिन साहब की तरह रशिया से आया हूँ और चाऊ एन लाई यहां आते हैं और उनके सामने जिस तरह के आंकड़े टाइप करके रखे जाते हैं उस तरह मेरे सामने रखे जायं और मैं मानलूं, मैं गांव का रहने वाला हूँ और अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां क्या क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है, राज्य कर्मचारी वहां क्या करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इन सब चीजों की जानकारी मैं रखता हूं और यह चीजें मैं सदन के सामने रखूंगा। यह बात जरूर है कि बुलगानिन साहब मान लेंगे कि इन्डिया ने यह प्रगति कर ली है पर जिन आंकड़ों से बुलगानिन साहब को समझाया जाता है मुझे मत समझाइये। मैं गांव का रहने वाला हूँ। कम से कम अपने घर में तो सच बोलिए कि सीधी-सच्ची बात यह है कि इतना हमने किया है, इतना ही हम कर पाये हैं और अब यह तुम कर सकते हैं या नहीं। तो यह तो हम मान सकते हैं कि सच्ची बात कही गई है।

मैं मानता हूँ कि श्रीमन् राज्यपाल ने कई जगह कहा है कि हम कई जगह यह कार्य नहीं कर सकें तो यह राज्यपाल से ट्रू कन्फेशन (True confession) किया है। पर जिस तरह बुलगानिन साहब के सामने मोटे मोटे आंकड़े रखते हैं वैसे ही हमारे सामने रखें तो मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूँ और न बधाई ही देने को तैयार हूं।

हमारे यहां सफाखाने, स्कूल, प्रसूति गृह वगैरह हैं, बड़े बड़े साइनबोर्ड लगे हुए हैं, यह प्रसूति गृह का साइनबोर्ड है, यह स्कूल का बोर्ड है, यह सफाखाने का बोर्ड है, यह शिशु-कल्याण का है, पर देखता हूं कि वाकई में उनसे ग्राम-वासियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। स्कूल का बड़ा सा साइनबोर्ड लगा हुआ देखता हूँ, स्कूल है तो टाट पट्टियां गायब है, टाट पट्टियां हैं तो मास्टर गायब है और अगर मास्टर है तो लड़के गायब हैं और इतना होते हुए भी आंकड़ों में दर्ज है कि इतने से इतने स्कूल हैं, हैं अवश्य पर इनसे वाकई जनता को जो पढ़ाई, शिक्षा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। इसलिए मैं अर्ज करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि असली फैक्ट्स जो हैं अर्ज करने दीजिये, इसके बाद हम बधाई देंगे।

कस्बों में भी मैंने देखा है कि प्रसूति गृह

(श्री अनोपसिंह)

का बोर्ड, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, पूछता हूँ कि यहां कोई दाई है, कोई मिडवाइफ हो, तो जवाब मिलता है कि कोई नहीं है। जब मैं पूछता हूं कि बच्चे कैसे होते हैं तो जवाब मिलता है कि बिना नोटिस के ही बच्चे हो जाते हैं; वे नालायक बच्चे हैं जो बिना नोटिस दिये ही हो जाते हैं।

किसी कस्बे में सफाखाना है तो वहां पूंछता हूँ कि यहां दवाइयां भी हैं कि नहीं, तो जवाब मिलता है कि हमने दवाइयों के लिए लिखा तो था परन्तु जयपुर से कोई जवाब नहीं आया है। एक केस ऐसा हुआ है कि मैं एक सीरियस बीमार को गाड़ी में बिठा कर, लेकर आया, बालोतरा जैसे शहर में, जो काफी बड़ा कस्बा है। डाक्टर साहब के सामने उस मरीज को ले जाकर रखा और बीमार को देखकर डाक्टर साहब ने कहा कि सीरियस बीमार है, पेनेसिलीन का इन्जेक्शन लगेगा। मैंने कहा दे दीजिये, यह भी क्या कोई मोटी चीज है, १० आने का है; तो डाक्टर साहब ने कहा कि तुम लेकर आओ, १० आने की चीज है पर हम खर्च नहीं कर सकते। मैंने कहा कि क्या आपके पास कुछ नहीं है तो उत्तर दिया कि मेरे पास सफाखाना है। समझ लीजिये कि इसका मतलब क्या होता है ?

स्कूलों में मास्टर हैं तो लड़के गायब हैं, लड़के हैं तो मास्टर गायब हैं, लड़के हैं व मास्टर हैं तो टाट पट्टियां गायब हो जाती हैं और उस चीज के लिए यह व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी बुनियादी चीज है, शिक्षा हमारी बुनियादी चीज है। आपकी प्रजातान्त्रिक प्रणाली, कोओपरेटिव मूवमेंट, पंचायत मूवमेंट और पंचवर्षीय योजना में सब शिक्षा पर डिपेन्ड करते हैं, इसको नहीं सुधार तो आपकी पंचवर्षीय योजना कोरी कागज ही कागज पर रह जायगी और मेरे पास जो मोटा पोथा पंचवर्षीय योजना का है उसको यदि दीमक खा जाय तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं।

इसलिए मैं अर्ज करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि अगर शिक्षा को नहीं सुधारेंगे तो पंचवर्षीय योजना कोई कामयाब नहीं हो सकेगी। मास्टरों का बड़ा परिवार है तो उनकी तनख्वाह नहीं, तनख्वाह है भी तो इतनी कम है कि वे अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते। इसलिए मैं तो राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इन मास्टरों को शिक्षण दें, तो उस शिक्षण के साथ साथ परिवार नियोजन का भी शिक्षण दें ताकि बड़ा परिवार ही नहीं हो और उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बरी हो जायें।

इसके बाद कृषि को लीजिये····

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : आपका समय हो गया है।

श्री अनोपसिंह : कल और लोगों को भी १५-१५ मिनिट दिये हैं। तीन दिन की इन्तजार के बाद तो मौका मिला है। मुझे भी १५ मिनिट तो कम से कम दीजिये।

श्री सभापति : आपको १५ मिनिट मिल चुके हैं।

श्री अनोपसिंह : ५ मिनिट और बोलूं अगर इजाजत हो तो।

(श्री सभापति की मौन स्वीकृति के पश्चात्)

(श्री अनोपसिंह)

अब कृषि के बारे में अर्ज करना है। कहते हैं कि इम्प्रूव्ड टाइप के बीज और हल देते हैं और आंकडे व फीगस भेज दिये जाते हैं। पर मैं अर्ज करूंगा कि जिस समय जमीन में बीज बो दिया जाता है तो इम्प्रूव्ड हल भी पहुँच जाते हैं, बीज भी पहुंच जाता है, अमोनियम सल्फेट भी पहुंच जाता है, फोस्फेट पहुंच जाता है। फसल जब कट कर साफ हो जाती है तो वह बोरियों में पड़ी रहती है। जिस समय कृषक को मिलना चाहिये उस समय नहीं मिलते हैं। तकावी का यह हाल है कि अगर उसके पास बैल नहीं हैं तो उस किसान को अपनी सारी पैदावार महाजन के पास रखने के बाद पैसा मिलता है पर उसे तकावी नहीं मिलती। तकावी उनको मिलती है जिनके उच्च अधिकारियों से सम्बन्ध ठीक हैं, यह नहीं है कि सम्बन्ध ठीक नहीं हो तो भी तकावी मिल जाय। अध्यक्ष महोदय, चीज हर एक मिलती है और वह उस वक्त मिलती है जब पेट भर जाता है और उस समय एक मिठाई की तश्तरी आपके सामने आती है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो कुछ भी हो वह मौके पर हो। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का यह फर्ज होता है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जहां जिस चीज की जरूरत हो वहां पहुंचाई जावे और अगर जरूरत के के समय नहीं पहुंच पाती है तो वह बधाई देनेवाली नहीं चीज होगी।

इसके आगे मैं फिर अर्ज करूंगा कि भेड़-पालन व्यवसाय जो है उस पर राज्यपाल महोदय ने बहुत जोर दिया है कि उसको बढ़ाया जावे। भेड़-पालक हैं वे तो इस तरह फिरते हैं कि उनका यहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं था, उनकी कोई चीज नहीं थी, उनका दुःख दर्द कहनेवाला यहां पर कोई नहीं था। आज भी वे लोग अपनी भेड़ों को किसी जगह चराने के लिये चले जावें तो सारी की सारी भेड़े पंचायत के केटल पोन्ड में डाल दी जाती हैं और मान लें कि उस व्यक्ति के पास १०० भेड़ हों तो १०० भेडों के हिसाब से उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह का पंचायत राज्य का एक छोटासा नमूना आपके सामने अर्ज करता हूं। फिर बिचारे भेड़ पालक किस तरह से अपने भेड़ों के व्यवसाय को बढ़ावें।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह): माननीय सदस्य अपने भाषण को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री अनोपसिंह (जारी): मेरे पास बहुत से पोइन्ट थे मगर समय की कमी के कारण मैं यही कहूंगा कि श्री गुरुमुखनिहालसिंहजी ने यहां पर हमको दर्शन देकर हमारी प्रेरणा बढ़ाई है, उसके लिये उन्हें अवश्य धन्यवाद देंगे लेकिन जहां तक राज्यपाल के के भाषण का सम्बन्ध है मैं इसका समर्थन नहीं करता।

श्री भंवरलाल (हिन्डोली): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि हमारी राज्य सरकार ने गत वर्षों में जो अभूतपूर्व उन्नति की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। हमारा राजस्थान अलग अलग राज्यों में बिखरा हुआ था, लाखों की जन-संख्या को राजस्थान में निर्माण करके बहुत बडा कार्य किया है। सिचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण के क्षेत्रों में सरकार ने अभूतपूर्व उन्नति की है। यह ठीक है कि हर एक काम में खामियें रहती हैं परन्तु खामियें रहते हुए

(श्री भंवरलाल)

भी कार्य होते हैं, उनको हुए कार्य कहना चाहिये। इसलिये मैं आपके सामने रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू। परन्तु एक बात मैं अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमको अपने अच्छे कार्यों के लिये गर्व करना चाहिये वहां अपनी कमियों की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

राज्यपाल के अभिभाषण में श्रम जीवी मजदूरों के प्रति ४॥ लाइनें ही लिखी हैं और उसमें यह लिखा है कि मजदूरों और मालिकों के संबन्ध संतोषजनक रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि सरकार ने शायद मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच अच्छी तरह से अभी तक नहीं की है या इस ओर सरकार अभी तक अनभिज्ञ है? मेरे एक मित्र ने भाषण में कहा था कि हमारे प्रान्त में मजदूरों की तथाकथित स्थिति शांत श्मशान की शांति की तरह है। मैं उनके कथन का अनुमोदन करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कहिये, मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूं जहां मजदूर बस्तियें है और मजदूर ही मजदूर रहते हैं। मैं लाखेरी का जिक्र करना चाहता हूं जो बूंदी जिले में है और जहां पर चार हजार मजदूर सीमेन्ट का काम करते हैं। वहां पर देखने से पता चलता है कि १० वर्षों में जो मजदूर रात और दिन काम करते हैं वहां पर उनके मकानों के सुधारने में कोई प्रगति नहीं हुई है। माननीय सभापति मैं आपके द्वारा माननीय चीफ मिनिस्टर को याद दिलाना चाहूंगा कि वे ८ वर्ष पहले श्रम मंत्री थे उस समय उन्होंने वहां के मजदूरों को कहा था कि चूने वाले टापरे (कच्चे झोंपड़े) हैं, उनके स्थान पर क्वार्टर बनवाये जावेंगे। मगर आज भी वे गरीब मजदूर वहीं पर उसी प्रकार की टापरियों में रह रहे हैं। ८ वर्ष हो गये हैं, कई मजदूर मर गये हैं और जो जिन्दे हैं वे आतुरता से मुख्य मंत्रीजी की राह देखते हैं कि मुख्य मंत्रीजी के वहां पधारने पर उनसे कहें कि ८ वर्षों में हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सका है। जो लोग पत्थर फोड़ कर सीमेंट पैदा करते हैं उनके लिए १० फुट लम्बा चौड़ा टापरिया जो चूता है उसको ठीक नहीं करा सकते हैं। वह गर्मी में तपता रहता है। मैं आपसे अदब से अर्ज करूंगा कि मजदूरों के लिए कोई खास प्रगति नहीं की गई है।

मकानों की समस्या के बारे में मैंने अर्ज किया और यह अर्ज करूंगा कि वहां पर आपको स्पष्ट रूप से दो क्लास नजर आवेंगी। एक तो मजदूर जो गरीब हैं और दूसरे ऊंचे कर्मचारी जो बंगलों में रहते हैं और आराम करते हैं। वहां पर स्पष्टतः आपको स्वर्ग और नरक का अनुभव होगा। आप देखेंगे कि एक तरफ तो ऊंचे कर्मचारी वहां पर मौज करते हैं तो दूसरी तरफ पत्थर फोड़ने और मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए, जब वे मेहनत करके घर लौटते हैं तो उनके लिए ४ फीट ऊंची और ७ फीट लम्बी झोंपड़ी या टापरी से ज्यादा उनको नसीब नहीं होती जिसमें वे जाकर सो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पति, पत्नी, बेटा, सास-सुसर आदि सभी उसी टापरी में जाकर अपना जीवन बसर करते हैं और इस आजाद देश में हम स्वतंत्रता की साँस ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र तक नहीं हुआ, उसके प्रति असंतोष जाहिर नहीं करना और उसके खिलाफ यह कहना कि

Page No.66

(श्री भंवरलाल)

मजदूरों का और मालिकों का सम्बन्ध संतोष-जनक रहा है, उचित नहीं है।

दूसरी ओर उन मजदूरों की छंटनी की जा रही। है और बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई जा रही हैं; मशीनीकरण किया जा रहा है और सैकड़ों मजदूरों को बेकार किया जा रहा है। जब एक एक मशीन आती है तो १००, १०० मजदूरों का काम करती है और उनको बेकार कर देती है। मजदूरों को मशीनों के आने से बेकारी का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा अगर आप मजदूरों की बस्तियों में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि १००, १०० व्यक्ति आपको गर्मियों में नल के नीचे बैठे मिलेंगे और उनको नदी का गरम गरम पानी पीने को मिलता है, जब कि बड़े बड़े उच्च कर्मचारियों को कूए का, बर्फ के समान पानी पीने को मिलता है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यदि आपको प्रत्यक्ष स्वर्ग और नरक का दृश्य देखना है तो लाखेरी में जाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि वहां पर स्वर्ग और नरक का दृश्य मौजूद है।

मजदूरों के मकान बड़े करने और क्वार्टर बनाने की बात जब होती है और दौड़ धूप होती है तो मालिक अधिकारियों से मिल लेते हैं और कुछ नोट दे देते हैं और कह दिया जाता है कि मजदूरों को राहत है, लेकिन वह वास्तव में राहत नहीं है। वह राहत एक प्रकार की आग है और मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में वह कभी भी भड़क सकती है और अशान्ति उत्पन्न कर सकती है।

अब मैं दूसरी तरह के मजदूरों का जिक्र करूंगा। जो मजदूर नहर पर काम करते हैं और मेरे उसी क्षेत्र में हैं जो बूंदी जिले में है। चम्बल नहर पर काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार जानवरों की तरह से खरीदते और बेचते हैं। किसी व्यक्ति को १००) या ५०) पेशगी दे देते हैं और जब वे किसी दूसरे ठेकेदार के यहां काम करने के लिए जाते हैं तो पहले ठेकेदार को दूसरा ठेकेदार रुपये चुका कर उसको बाद में अपने यहां काम करने के लिए ले जावेगा। इसके अलावा ठेकेदार उन लोगों को १५) या १४) एक हजार फुट की मजदूरी देते हैं और २३) रुपये प्रति हजार फुट मजदूरी लेते हैं। वे मजदूर लोगों से १२ इंच के फुट के बजाय १५ इंच के फुट से काम लेते हैं। इसलिए वहां पर भारत सेवक समाज ने चम्बल मजदूरों के नाम की समिति बनाई है। मजदूरों को २०) प्रति हजार फुट मजदूरी दी जाती है। इस संस्था को आगे बढ़ कर समाप्त करना चाहते हैं। सरकार को इसे सहयोग देना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि इसको सहयोग नहीं मिल रहा है। इस समिति ने मजदूरों के विकास के लिए १५) रुपये प्रति हजार फुट के जो ठेकेदार देते थे उसके बजाय २०) रु० प्रति हजार फुट दिलाती है, उनके लिए उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन का प्रबन्ध किया और मजदूरों को दो प्रति सैकड़ा से रुपया देना प्रारम्भ किया। उसने मजदूरों को यह समझाने का प्रयत्न किया कि वे मनुष्य हैं उनको बिकना नहीं चाहिए, उनको सहकारी समितियें बना कर रहना चाहिए और बीच के लोगों के शोषण से बचना चाहिए।

उनको हमारे सिंचाई विभाग में इंजी-

(श्री भंवरलाल)

नियर लोग फेल करने की कोशिश करते हैं। वह सोचते हैं कि यह चम्बल समिति कहां से आ गई ? क्योंकि इसने हमारे रिश्वत के द्वार बन्द कर दिए। आप ही बताइये चम्बल समिति कैसे इन लोगों को रिश्वत खाने के लिए छूट दे सकती है ? यह किसी को क्यों और कैसे रिश्वत दे सकती है और किसी को क्यों रिश्वत देगी ? अगर किसी को रिश्वत देंगी भी तो उसका इन्द्राज कहां करेगी, उसको कौन सी रोकड़ में लिखेगी। वहां सब को रिश्वत चाहिए। छोटे से छोटे कर्म-चारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी को रिश्वत चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि एक ओर तो हम बात करते हैं कि समाजवादी समाज की रचना हो और वह समाजवादी समाज की रचना तो हमें करनी ही है और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार इस काम को कर लेगी लेकिन हम जनता के विश्वास पर यहां आते हैं। वैसे हजारों लोग ही हैं, हम यहां आते हैं, लोग हमें विश्वास के साथ चुनते हैं और हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उनकी कठिनाइयों को आपके सामने पेश करें। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मजदूरों पर जो घोर अन्याय होता है उसको दूर करने के लिए मैं एक सुझाव देता हूँ कि हमारे इस सदन के सदस्यों की एक समिति बनायें जो मजदूरों की हालत को देखे और उनके घरों पर जाकर उनकी वास्तविक दशा को देख कर उनकी हालत की जांच करे और उनकी हालत सुधारने के लिए सरकार को एक उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। हम यहां बैठे हैं, इसी कारण हमें मजदूरों की हालत का वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। हम सभी लोग जहां से चुन कर आते हैं वहां पर भी मजदूर रहते हैं परन्तु मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि मैं जिस क्षेत्र में आया हूं उस क्षेत्र में बड़े बड़े कारखाने हैं और वहां मजदूर रहते हैं। वहां कारखाने के मजदूर भी रहते हैं, चम्बल नहर के मजदूर भी रहते हैं और जितने भी मजदूर रहते हैं उन पर जुल्म होता है और मैं इस बात को मानता हूं कि सीधे हाथ कोई काम नहीं करता है। जब तक हम छोटे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा हमारे माननीय मुख्य मन्त्री से और हमारी सरकार से यह अर्ज करना चाहता हूं कि मजदूरों के लिए अगर हमें समाजवादी समाज की रचना करनी है तो मजदूरों को प्रोत्साहन देना होगा और साथ ही सरकारी क्षेत्रों में भी आपको छोटे कर्म-चारियों की श्रम तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। आप ही देखिये कि एक कॉन्सटेबल को चालीस रुपये ही कुल मिलते हैं और उसकी एवज में उसको रात दिन काम देना होता है। वह चपरासी बेचारे आफिसरों के घरों पर काम करते हैं और ऊपर से उनको लताड़ पड़ती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं जल्दी ही समाप्त करता हूँ।

हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां चपरासी को पांच रुपये रिश्वत देते पकड़ा गया, मगर हम बहुत ही कम देखते हैं कि आज कोई ऑफिसर एक हजार रुपया रिश्वत लेते पकड़ा गया। जब हम देखते हैं कि रिश्वत लेने वाले आदमी बड़े ही ज्यादा हो सकते हैं और छोटे कर्मचारी कम, तो मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे

(श्री भंवरलाल)

पहले हम सरकारी क्षेत्रों में इस बात का कदम उठायें कि छोटे आदमियों को हम ऊपर उठायें और जो बड़े आदमी हैं, आफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहों को कम करें। जैसा कि हमारी सरकार ने ५) रुपये बढ़ाये, यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। मगर यह जो पांच रुपया बढ़ाया वह काफी नहीं है। उनके जीवन को देखते हुये मैं अपील करना चाहता हूं कि जो बड़े आदमी हों उनकी तनख्वाहों को कम किया जाय और छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। हमारे पूंजीपति भी कानून को अपना हथखण्डा बना लेते हैं। कानूनों के अन्दर से भी यह पूंजीपति कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं और फिर कानून की आड़ में वह मजदूरों पर हमला करते हैं।

मैं जहां रहता हूं वहां बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं। ये कारखाने वाले कानून के द्वारा मजदूरों को बहुत दबाते हैं। आप ही देखिये, वे क्या करते हैं? वे अपने यहां जिन व्यक्तियों की भरती करते हैं उनको टेम्परेरी रखते हैं ताकि संगठित न हो सकें ताकि वे कोई आवाज न उठा सकें। इसलिए सभापति महोदय, मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की अवस्था पर बहुत जल्दी ध्यान देना चाहिये और अगर इनकी अवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो मजदूरों के अन्दर क्रान्ति होगी और उसके बाद यह सारे नहर के मजदूर और जो यह छोटे मजदूर हैं उनमें निश्चित रूप से क्रान्ति होगी और वह हमारे लिये ठीक नहीं होगा। इतना कह कर मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सूबेदार सिंह (बाड़ी) सभापति महोदय, राजप्रमुख महोदय का जो भाषण हुआ है इसमें पिछली पंचवर्षीय योजना और आगे के पांच वर्षों में जो कार्य किया जायगा उसका ब्योरा है। वैसे तो उसमें शक नहीं है कि राजप्रमुख महोदय ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों में जो सरकार ने विकास किया है वह कम नहीं है लेकिन फिर भी जो मेरे मित्र, माननीय सदस्यगण अपने अपने क्षेत्र से आये हैं उन्होंने अपनी अपनी कमियां सभी जगह की हाजिर की हैं। यह ठीक है, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। लेकिन फिर भी मैं अपने यहां की बात बताना चाहता हूं। राजप्रमुख महोदय ने अपने भाषण में बतलाया है कि पांच करोड़ रूपया खर्च करके ६७५ मील लम्बी सड़कें राजस्थान में बनी हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ उसके लिए बड़े ताज्जुब की बात है कि वहां एक इंच भी नई सड़क नहीं बनी है। वहां पर जो पुरानी सड़कें मौजूद थीं उनकी भी पूरी तरह मरम्मत नहीं हुई है। आप देखिये कि एक टुकड़ा गजपुरा से सरमथुरा तक करीब ३५ मील लम्बा है, उसकी मरम्मत ही नहीं हुई। दूसरी एक तालाबशाही से बसेड़ी तक करीब १२ मील लम्बी सड़क है जिस पर कम से कम आठ-दस बस सर्विसें चलती हैं लेकिन उसकी भी मरम्मत नहीं हुई है। इसी प्रकार हमने कई बार जब से धौलपुर स्टेट मत्स्य में मर्ज हुई थी हम बराबर यह कहते आ रहे हैं कि कोई सीधा रास्ता धौलपुर से भरतपुर जाने का बनाया जाना चाहिये। धौलपुर से भरतपुर जाने के लिए उत्तर प्रदेश बीच में पड़ता है और इस तरह से उत्तर प्रदेश की सीमा में से निकलते समय अनेक कठनाइयां सामने आती हैं। हमारे मंत्री महोदय जी भी भरतपुर से धौलपुर आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश से होकर आना

Page No.69

(श्री सूबेदारसिंह)

पड़ता है। बसेड़ी और बयाना से जो १४-१५ मील लम्बा रास्ता पड़ता है अगर उसमें से रास्ता निकाल दिया जाय तो उत्तर प्रदेश बीच में नहीं पड़ता है। इस तरह से एक ऑफिसर जो भरतपुर से धौलपुर को जाता है वह अपने ही इलाके में होकर जा सकता है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि एक ओर तो राजस्थान में पांच करोड़ रुपये की लागत से ६५५ लम्बी सड़कें बनाई जायें, वहां दूसरी ओर यह छोटा सा टुकड़ा करीब १४-१५ मील लम्बा है वह नहीं बनाया जा रहा है जो कि बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि जो भी नई सड़कें बनती हैं वे बिगड़ती जा रही हैं।

इसी प्रकार से शिक्षा संबंधी बातें कही हैं। इस बारे में यह निश्चित है कि आज के युग में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ही नहीं सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूलें खुल जाती हैं लेकिन वहां की भी स्थिति बहुत ही सोचनीय है। आजकल जो अध्यापक पढ़ाने के लिए आते हैं वे स्वयं ही शिक्षा देने में निपुण नहीं होते। कुछ मित्रों ने अभी ठीक ही कहा है कि वे अधिकतर दिनों में गायब और गैरहाजिर रहते हैं। मैं आप से सच कहता हूं कि वे शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा देने के लिए तो जो वयोवृद्ध या एक्सपर्ट हों वे शिक्षा अच्छी दे सकते हैं। अगर हम इन बालकों से शिक्षा दिलावेंगे तो निश्चय ही हमारे देश का भविष्य खतरे में है। मैं आशा करता हूँ कि स्वयं ही नये पढ़कर जो आये हों उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि दूसरों को अच्छी शिक्षा दे पायेंगे ? आप देखें कि जिन लोगों को छोटी तनख्वाहें मिलती हैं वे कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं ? जिनको अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं या जो व्यापारी लोग हैं या जो पैसे वाले हैं वे तो अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी एज्युकेशन दे सकते हैं लेकिन गरीब तबके का आदमी क्या करे ? बेचारा क्लास फोर सर्वेन्ट है वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन पढ़ाने में मजबूर है। वह जयपुर की सेंटजेवियर (स्कूल) में नहीं भेज सकता है। आप ही सोचिए कि पंखा चलाने वाले कुली का लड़का राजस्थान का या देश का सेक्रेटरी या कलेक्टर या गवर्नर कैसे हो सकता है? एज्युकेशन इतनी महंगी कर दी कि वह पढ़ा ही नहीं सकता। आप देखें कि महाराजा कृष्ण जिनको भगवान कहते हैं, उनके साथ सुदामा पढ़ते थे। उस समय एज्युकेशन और किताबें फ्री थी।

३—म० प०

आज जब देश में समानता लाने के लिये राजा लोगों को खत्म किया, जागीरदारियां खत्म कीं, जमींदारियों को हटाया, लेकिन विषमता इससे हटी नहीं। आज हम एक ओर देखते हैं कि एक राज्य कर्मचारीको को २ हजार, ३ हजार रुपया मासिक मिलता है और दूसरी ओर एक चपरासी को २५), ३०) रुपया (माहवारी) मिलता है, यह इतना अन्तर है, यह विषमता की बहुत बड़ी खायी है ! मैं मानता हूँ कि जिसकी योग्यता ज्यादा हो उसको कलेक्टर बनाया जाय, उसको शासन का काम सौंपा जाय किन्तु एक गरीब चपरासी है जो बाहर आवाज लगाता है वह भी एक इन्सान है, उसके नाते, मानवता के नाते उसका रहन-सहन भी बराबर का होना चाहिये। उसके बच्चों को भी एज्युकेशन की सुविधा मिले।

(श्री सूबेदारसिंह)

उसके बच्चे भी आगे जाकर जज बनें, चीफ सेक्रेटरी बनें; उसके लिये भी ये मार्ग खुले रखे जायं। जब तक आप तनख्वाहों में इस प्रकार की विषमता रखेंगे, यह कदापि नहीं हो सकता। इससे देश में समाजवादी व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आज जो विषमता फैली हुई है उसे हम भूल नहीं सकते।

इर्रिगेशन को लीजिये। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया और कहा कि हमने पांच सालों में बड़े बड़े बांध बनवाये, नहरें बनवाईं मेरे इलाके में भी एक बहुत बड़ा बांध बनने जा रहा है, उसी के बारे में मैं अर्ज करने जा रहा हूं। जहां राजस्थान में आबपाशी के जरिये किसानों की मदद की जानी चाहिये वहां दूसरी ओर आबपाशी पर लगान लिया जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि हमारे क्षेत्र में नदी नाले या झरने का पानी जो बेकार बहता रहता है, जिसका किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता, बेचारा वहां का किसान बड़ी मेहनत से उस पानी को खेती के काम में ले लेता है तो उस पर आबपाशी लग जाती है, यह दुख का विषय है। पुराने जमाने में जब राजा लोगों का राज्य था उस समय यदि इस प्रकार पानी का उपयोग कर लिया जाता तो किसी भी प्रकार की आबपाशी नहीं लगती थी। आज वे किसान लोग उस जमाने को याद करते हैं और कहते हैं कि इस राज्य से तो राजाओं का राज्य ही अच्छा था। अगर राज्य-सरकार नालों और झरनों को बाँध कर, मशीन फिट करवा कर पानी देती तो उसका आबपाशी का लगान वसूल भी किया जा सकता था लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज स्थिति यह है कि गरीब किसान पानी लेने से वंचित रह जाता है क्योंकि नाजायज तरीके से ज्यादा रेट सरकार ले लेती है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय आबपाशी के रेट्स बहुत कम थे, भरतपुर में दो रुपया बीघा था, अब धौलपुर में ४ रु०, ५ रु० प्रति बीघा कर दिया गया है।

पुराने जमाने में जिस जमीन को एक पानी मिलता था उस एक पानी के लिये आधी आबपाशी लेने का महाराणा का ऑर्डर था, पानी जिसको नहीं मिलता था उससे आबपाशी नहीं ली जाती थी। लेकिन आज सुनने वाला नहीं। सुनते जरूर हैं, कानों से सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हमारे मंत्री महोदय भी सुनते हैं लेकिन उनसे भी होता कुछ नहीं। हम बड़े ताज्जुब की बात यह देखते है कि जिन खेतों में होकर नहर जाती है उसका खेत बर्बाद हो जाता है क्योंकि जमीन सील खा जाती है, कोई फसल पैदा नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से किसान लोग ऐसी जमीन में धनिया वगैरह बो लेते है और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट उससे आबपाशी ले लेता है। एक ओर व्यवस्था ठीक की जा रही है तो दूसरी ओर व्यवस्था में यह फर्क हो रहा है। इन सारी बातों से परेशानियां बढ़ती जाती हैं। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो अनियमित रूप से आबपाशी वसूल हो रही है उसको रोकना चाहिये। अगर हम रोकते नहीं है तो जनता में असन्तोष बढ़ता है।

गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में डकैतों के बारे में कहा कि पाँच वर्षों के अन्दर डाकुओं का बहुत सफाया हो गया है। मैं यह मानता हूँ कि वास्तव में डाकुओं का

(श्री सूबेदारसिंह)

सफाया हो गया है और खास कर धौलपुर के इलाके में तो हो गया है, अब हमें देखना यह है कि डाकू बनने की प्रवृत्ति कैसे होती है, डाकू किन परिस्थितियों में बनते हैं ? मुझे इस बारे में इत्मिनान है कि डाकू पुलिस द्वारा बनाये जाते हैं। गावों में जो छोटे-मोटे झगड़े होते हैं उनमें पुलिस वहाँ के लोगों को नाजायज तौरसे तंग करती है। उन पुलिस वालों से तंग आकर लोग घर-बार छोड़ देते हैं और संगीन मामले में फँस जाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि हमारा इलाका मध्य-भारत और उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है वहां जब पुलिस का डाकुओं से मुकाबिला होता है तो देखा यह जाता है पुलिस द्वारा पन्द्रह-बीस गोलियां चलायी जाती हैं और रजिस्टिर में दर्ज २७०० गोलियां कर दी जाती हैं और वे बाकी की गोलियां डाकुओं को मिलती हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि पुलिस क्या करती है ? हमारे यहां कांग्रेसी कार्यकर्त्ता श्री बृजवल्लभजी हमारे साथी थे। उन पर इस बारे में एक केस चलाया गया कि डाकुओं को राइफल तुम्हारे यहाँ से दी गई। वास्तव में बात यह थी कि दो राइफलें डाकुओं को दे गईं और वह भी पुलिस की जीप में आकर दी गईं और उन डकैतों ने उन राइफलों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इन साथी को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया। जज साहब के यहां उनके मुकदमें की हिअरिंग हुई, डाकुओं के बयान लिये गये और वह आदमी छूट गया। जहां तक डाकुओं की अव्यवस्था का सवाल है धौलपुर में यह समस्या खत्म दी गई।

भ्रष्टाचार के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा। भ्रष्टाचार कोई नहीं चाहता लेकिन कुछ विवशता ऐसी हो जाती है, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि भ्रष्टाचार रोकने की गुंजाइश ही नहीं होती। यातायात के संबन्ध में मैं अर्ज करूं कि इस मामले में बहुत भ्रष्टाचार होता है। बसों का राष्ट्रीयकरण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, हमारी सरकार को भी इस ओर कदम उठाना चाहिये। हम राजस्थान में अजीब तमाशा देखते हैं और सुनते हैं कि फलां फलां रोड पर बस चलाने का परमिट लेना है, इतना रुपया खर्च करना होगा। अगर बसों का राष्ट्रीयकरण हो जाय तो इस प्रकार का करप्शन बन्द हो सकता है और बस सर्विसेज़ का हाल क्या होता है कि बसों में लोग परेशान होते हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को ले लीजिये। इसके लिए जनता में इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि इसमें पूरा रुपया खर्च होता ही नहीं। दस प्रतिशत तो अकाउन्टेन्ट को, कुछ इन्जीनियर को चला जाता है; इस प्रकार चालीस प्रतीशत रुपया इन लोगों में चला जाता है। अगर सड़कों का भार पंचायतों को दे दिया जाता है टेक्निकल एडवाइस इन्जीनियरों से जरूर ली जा सकती है; लेकिन सारा भार पंचायतों पर छोड़ दिया जाता है तो बीच की ठेकेदारी एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा हो जाय तो लेने-देने का सवाल ही नहीं उठता। जब हम करप्शन की बातें देखते हैं तो हमारे लिए यह शर्म से झुकने की बात है।

जब राजस्थान में रियासतों का विलीनीकरण हुआ उस समय यह कहा गया था कि जिन जिन राज्यों का विलीनीकरण हुआ है उनकी राजधानियों का अवश्य ध्यान रखा जायगा। धौलपुर ऐसी जगह नहीं कि यहां

(श्री सूबेदारसिंह

सब डिवीजन न बनाया जाय। मेरा निवेदन है कि कलेक्टोरेट बनाया जाय। वह ऐसा स्थान है कि भरतपुर जाने में आगरे का चक्कर लगाना पडता है, पुलिस की भी ज्यादा फोर्स रखनी पडती है। लोग दिल्ली और बम्बई से आते-जाते रहते हैं इसलिए धौलपुर को कलेक्टर का हैडक्वार्टर रखना जरूरी है।

बिजली के बारे में अर्ज करूं कि धौलपुर में बिजली का हाल यह है कि यदि सूर्य नारायण उदय नहीं होते हैं तो वहां २४ घंटे अन्धकार ही बना रहेगा। वहां इंजन चलते नहीं। वहां एक कम्पनी है, उसके मैनेजर से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा है कि साठ जेनरेटर राजस्थान सरकार ने खरीदे हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि उसमें से एक जेनरेटर हमें मिलने वाला नहीं। जब तक बिजली का प्रबन्ध नहीं होगा उद्योग-धन्धे पनप नहीं सकते।

बान्डी एक कस्बा है, वहां एक हजार लुहार काम करते हैं लेकिन लोहा-कोयला आज तक सरकार से नहीं मिला है। वहां भी अधिक पावर नहीं दिया गया। वैसे तो पुराने जमाने में वहां के फाइनेन्स सेक्रेटरी श्री कलाधर थे। उस समय महाराजा से उन्होंने कहा कि अगर यहां कारखाने लग जायेंगे तो आठ आठ रुपये में नौकर नहीं मिलेंगे। लेकिन ले-देकर एक ग्लास वर्क्स वहां पर चला तो उसका भी हाल बुरा ही हुआ। उसको दी जाने वाली बिजली की रेट का हिसाब तय नहीं हुआ।

(घंटी)

मैंने भी इस बारे में कोशिश की। पर रेट तय नहीं हुई। व्यापारी को व्यापार के पोइन्ट आफ व्यू से बाजार में कम्पीटीशन करना पड़ता है और वह एक एक पैसे का हिसाब लगाता है। उसको पड़ता पड़ता है या नहीं? व्यापारी कभी घाटा उठाकर धन्धा नहीं चलाएगा। तो फिर ऐसी हालत में वे अपना कारखाना उठाकर बम्बई ले गये। ड्यूमेक्स कम्पनी के साथ उन्होंने अपना कारखाना लगाया। वहां उनको डेढ़ पैसे में बिजली मिलती है। तो आज हमारी यह हालत है कि एक ओर इन्डस्ट्री लगाने की बातें कर रहे, हैं दूसरी ओर लगी लगाई इन्डस्ट्रियों को हटा रहे हैं।

यह कारखाना साइन्टिफिक एपरेटस बनाने के लिये मशहूर था। लोगों की, व्यापारियों की इस पर ललचाई आंखें लगी हुई थीं। मध्य भारत और देहली के डाइरेक्टर उनके पास आते थे और कहते थे कि यहां से कारखाना ले चलो, आपको यहां क्या मिलेगा, आप चलो दिल्ली, वहां कारखाना बनाओ और इस प्रकार वह दिल्ली तो नहीं गया, बम्बई चला गया और यहां का एक अच्छा कारखाना समाप्त हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार उद्योग-धन्धे पनपने वाले नहीं हैं। यह कह कर मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) : आदरणीय चेयरमेन महोदय, आज सदन के समक्ष हमारे साथी सदस्य ने जो गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन मैं हृदय से करती हूं। जब कि सम्पूर्ण राजस्थान का प्रतिनिधित्व ग्रहण कर हमारे साथी सदस्य इस सदन के प्रांगण में इकट्ठे हुए और शपथ लेकर

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

कार्य-क्षेत्र में बढ़ने के लिये तत्पर हुए तो ऐसे अवसर पर हमारे गवर्नर का भाषण हमें, जिसमें कि उन्होंने अपने राजस्थान के पिछले पांच सालों के कार्यों का लेखा-जोखा दिया है तथा आगे आने वाले समय के लिये हमारे सामने चित्र रक्खा है, एक प्रोत्साहन देता है इसमें हमारी सफलताओं और असफलताओं दोनों का उल्लेख है। सफलता जहां हमारे जीवन में नवीन उत्साह भरती है वहां असफलता हमारे हृदयों में नया दृढ संकल्प करके आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। इस तरह हम देखते हैं और अगर संक्षेप में कहा जावे तो राज्यपाल का भाषण हम में प्राण रस भी भरता है, प्रेरणा भी देता है।

उन्होंने अपने भाषण में कई चीजों पर प्रकाश डाला है, कई चीजों की तरफ संकेत किया है। लेकिन समय थोड़ा होने से मैं केवल दो-एक पर ही अपने विचार रक्खूंगी।

चेयरमैन महोदय, यह बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात ही नहीं बल्कि इससे बड़े दुख की बात और हो नहीं सकती कि आज गौतम और बुद्ध के देश में बेईमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस राजस्थान में ही नहीं, अपितु भारत भर में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है और दिन दिन बढ़ता चला जा रहा है। यदि इसका उपचार समय पर नहीं किया गया तो निस्सन्देह हमारी प्रगति के लिये यह घोर घातक सिद्ध होगा। आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार इस ओर प्रयत्नशील है और इसका उपाय भी कर रही है। स्पेशल पुलिस, एन्टी करप्शन विभाग आदि नियुक्त भी किये गये हैं पर फिर भी हम देखते हैं कि वह सफलता नहीं मिल रही है जिसकी कोशिश हम कर रहे हैं। यह प्रश्न गम्भीर है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। केवल राजस्थान सरकार के प्रयास से ही यह भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। यदि हम सोचेंगे तो इसकी सतह में गहराई से जाना पड़ेगा। यह केवल राज्य की ओर से दूर नहीं हो सकता। यह सामाजिक कलंक है। इसको दूर करने के लिये समाज में आन्दोलन करना पड़ेगा। इस सदन के सदस्यों को और हरेक सामाजिक कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह कटिबद्ध हो और इस आन्दोलन में प्रविष्ट हो। इसका क्या कारण है? इसके मूल में जाते हैं तो लगता है कि धर्म की भावना का अभाव होता जा रहा है, पैसे के प्रति मोह बढ़ता जा रहा है, पैसे का महत्व बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि आज हर व्यक्ति पैसे की तरफ भागता है। भगवान और धर्म का भय, नैतिकता का भय दूर भागता जा रहा है। पैसा ही हमारा साध्य और साधन बन गया है। पैसा ही हमारा उपास्य और उपासना बन गया है। चरित्र बल को लोग भूलते जा रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। जो जब तक चरित्र बल को पैसे पर प्रधानता नहीं देंगे तब तक यह भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि चरित्र बल को महानता दी जावे, पैसे पर ही मान-सम्मान का माप नहीं बनाया जावे। यदि आप चाहें कि राजस्थान आगे बढ़े और भ्रष्टाचार दूर हो तो हरेक का कर्तव्य है कि इस आन्दोलन में दूसरे के प्रति; दूसरे के कर्तव्यों के प्रति न देखें अपना जो कर्त्तव्य है, अपना जो हिस्सा है उसको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हों। भ्रष्टाचार के मामलों में आज हम छोटे छोटे अधिकारियों को दबाते हैं, पर बड़े बड़े अपराधियों की ओर नजर नहीं डालते। छोटे छोटे बिच्छुओं को कुचल डालते हैं पर

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

बड़े बड़े विषधरों से डरते हैं। उन विषधरों पर हाथ डालते आप डरते हैं क्योंकि भय है कि कहीं वे अपने ऊपर ही आक्षेप कर दें। इस अवस्था में शासन के हमारे संचा–लकों से यह निवेदन करूंगी कि वे न्याय की दृष्टि से सब के साथ एक सा बर्ताव करें।

हमारे सदन के कई सदस्यों ने अपने इस वाद–विवाद में कई बार, जहां तक अफसरों का सम्बन्ध है उनके ऊपर ही सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। भ्रष्टाचार एक ओर से कभी नहीं होता, दो ओर से पनपता है और दोनों ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। ऐसी अवस्था में यदि हम एक पक्ष पर आक्षेप लगाते हैं तो यह न्यायसंगत बात नहीं होगी। सदन के सदस्यों ने अपने भाषण के बीच में यह भी कहा कि यदि भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो हमें सारे अफसरों का ट्रान्सफर कर देना चाहिये। मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं। यह भ्रष्टाचार ट्रान्सफर से दूर नहीं हो सकता। ट्रान्सफर किसी हद तक भले ही दूर कर सके पर वह केवल एक साधन नहीं बन सकता। आजकल जो इस तरह की ट्रान्सफर की नीति अपनाई जाने की बात कही जाती है वह न्याय–संगत नहीं है। आखिर हमारे अफसर भी केवल कर्मचारी और अफसर ही नहीं हैं, गृहस्थी भी हैं उनके बाल-बच्चे भी होते हैं। उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसी सूरत में अगर उनका जल्दी जल्दी ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो लाजिमी तौर से बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखते हुए उनको साथ में जगह जगह लिये लिये नहीं फिर सकते और इस दृष्टि से उन्हें दो दो जगह गृहस्थी रखनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में जब इन दो गृहस्थियों का खर्चा चलाने के उपाय उनके सामने नहीं? वे देखते तो उन्हें भ्रष्टाचार की शरण लेनी पड़ती है। इस दृष्टि से ये ट्रान्सफर भ्रष्टाचार को दूर करने में मदद नहीं देते बल्कि उसे पनपाने में अपना सहयोग देते हैं।

इसी तरह से हमारे एक साथी सदस्य ने यह भी कहा कि हमें अपने संविधान में संशो–धन करने की अपील करनी चाहिये। उनका यह कहना था कि अक्सर यह होता है कि evidence न मिलने से मुलजिम कोर्ट से छूट जाते हैं और उनको पकड़ नहीं पाते। अधिकारियों को Summarytrial का अधिकार मिलना चाहिये। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो बेसिक प्रिन्सिपल लॉ का है वह हरेक के लिए लागू है। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त हैं और वे मिलने चाहिये। इससे वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। इसलिए केवल विभागीय जांच से कन्विन्स हो जाने मात्र से किसी को सेवा से च्युत कर दिया जावे, यह न्यायोचित नहीं होगा, कभी यह भी हो सकता है कि वह विभागीय जांच भी भ्रष्टा–चार से प्रभावित हो, इससे हम इन्सान को इन्सान नहीं समझेंगे और हमारे संविधान में जो बेसिक चीज है उसका पालन न होगा। आवश्यकता यह है कि हमने अपराध साबित हो जाने पर दण्ड के रूप में जुर्माने का प्रोवि-जन जो रक्खा है उसको हटा दें। पकड़ा जावे उस पर जुरमाना नहीं करना चाहिये, बल्कि कठोर कारावास की सजा देनी चाहिये। इस प्रकार बड़े बड़े अपराधी पकड़े जावेंगे और उनको अगर कारावास की कठोर सजा मिलेगी तो जो छोटे छोटे हैं अथवा जो दूसरे हैं उनके हृदय में इस ढंग के स्वार्थ के कारण

[redacted]

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

अथवा अपनी बेकसी के कारण जो प्रलोभन उत्पन्न होता है और जिससे प्रेरित होकर वे भ्रष्टाचार करते हैं उससे वे भय खावेंगे और दूर रहने का प्रयास करेंगे ।

चेयरमैन महोदय, दूसरी ओर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बेकारी की समस्या का वर्णन किया है । इस समस्या को हल करने का एक ही साधन हमारे सामने है और वह यह कि सहकारिता को हम पनपावें, कुटीर उद्योगों को पनपाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दें और छोटे छोटे उद्योगों को खोल कर उनको रोजगार दें ।

हम यह जानते हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार की जो नीति है उसमें उन्होंने बड़े बड़े कारखानों का आयोजना किया है parent industries के लिये और दैनिक इस्तेमाल की चीजें हैं उसके लिए कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है और अगर राज्य की ओर से प्रोत्साहन मिले तो निश्चय ही खादी और अन्य कुटीर उद्योगों के द्वारा जो मनुष्य आज बेकार हैं, उनकी बेकारी को दूर कर सकते हैं और उनको रोजगार दे सकते हैं । केवल उन्हें ही नहीं किन्तु आज बहुत सी हमारी बहिनें ऐसी हैं जिनका अपना जीवन चलाने के साधन नहीं हैं, छोटी छोटी औद्योगिक सहकारी कमेटियां बना कर, उनको कुटीर उद्योगों की ओर प्रोत्साहित करें तो उनको भी अपना मान पूर्वक जीवन बिताने में हम सहयोग दे सकते हैं । इसलिए हमें सहकारिता की शरण लेकर इन ग्राम उद्योगों को बढ़ाना है, कुटीर उद्योगों को बढ़ाना है । उनको बढ़ाने से ही हम इस बेकारी को दूर कर सकेंगे ।

तीसरी चीज में आपके द्वारा इर्रिगेशन की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि ये जो बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं, वे निश्चय ही सम्पन्नता की ओर ले जावेंगी और उनसे प्रान्त सम्पन्न बनेगा लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जो इनसे लाभान्वित नहीं हो पायेंगीं । उनके लिए यह करना आवश्यक है कि छोटे छोटे बांध बनाकर, छोटी छोटी योजनाओं द्वारा उनको सम्पन्न बनाना है । मुझे मालूम है कि इस प्रकार की स्कीम भी है लेकिन उससे मेरा थोड़ा मत-भेद है । इर्रिगेशन में कुए खुदवाने के लिए ही ध्यान दे रहे हैं । उस ओर छोटे छोटे बांध के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है । अगर पिछले इतिहास का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि पहले के लोगों ने कुओं के बनिस्बत तालाबों की ओर अधिक ध्यान दिया था । इसका कारण यह था कि वर्षा के समय वे तालाब भर जाते थे और उसमे लोगों को पानी मिल सकता था और गुप्त रूप से कुओं को भी जीवन दान देते थे और आस पास की जमीनों को भी वे पानी दे सकते थे और उन्हें उपजाऊ बनाए रखते थे और यही कारण था कि उन्होंने तालाब बनाने की ओर अधिक ध्यान रखा था । आज हो यह रहा है कि कुओं की संख्या बढा दी गई और तालाबों को बांधने का कोई आयोजन नहीं है । कुओं की संख्या निश्चय बढ़ गयी, पानी का स्तर नीचा होता जाता है, उनको हर साल खुदवाना पड़ता है । यदि छोटे छोटे बांधों को बनाने की प्राथमिकता दी गई और जो टूटे पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत (रिपयर्स) कराते हैं तो थोड़े से प्रयास से बहुत कुछ सफल हो सकेंगे । राजस्थान कृषि प्रधान देश है और इनके द्वारा कृषकों में सम्पन्नता ला सकेंगे और जो खाद्य की समस्या है उसको

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

भी बहुत हद तक हल कर सकेंगे।

अन्त में राज्यपाल महोदय ने जो सफलता की कामना की है उसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करती हुई धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय चेयरमेन,........

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष........

श्री सभापति : श्री नाथूलाल।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : चेयरमैन महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि वैसे आज ही यह डिबेट समाप्त होने को थी शिड्यूल प्रोग्राम के मुताबिक, लेकिन शायद स्पीकर महोदय की राय हुई थी कि आज सदन के सदस्य बोल लें और कल गवर्नमैन्ट का रिप्लाई हो जाय। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कल का दिन भी माननीय सदस्यों के लिए बोलने को रखा जाय। आज ही सदन के सदस्य बोल लें और कल गवर्नमैन्ट का रिप्लाई हो जाय।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों के इतने प्रतिनिधि आये हैं। एक ही आदमी बोला है, उनकी समस्यायें जटिल हैं इसलिए समय मिलना चाहिये।

श्री नाथूलाल (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, जो राज्यपाल ने भाषण दिया है वह सुन्दर है किन्तु जो त्रुटियें हैं उनको रखना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। जो पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यपाल महोदय ने बताया कि हम काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं लेकिन पंचवर्षीय योजना में सफलता तक नहीं पहुँच पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, अन्न की कमी का जो सवाल आता है वह यह है कि सन् १९५६ में बरसात ज्यादा होने के कारण खरीफ की फसल यानि सियालू की फसल खराब हुई और अन्न की कमी का सामना करना पड़ा, यहां तक कि किसानों को दो-दो रोज तक खाने को नहीं मिला। लेकिन सरकार की ओर से गरीब किसानों के लिए कुछ भी इन्तजाम नहीं हुआ। रबी की फसल को भी ओलों की वजह से काफी नुकसान हुआ और उसके कारण जो अन्न की कमी हुई उसका भी किसानों के लिए कोई इन्तजाम नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, (चेयरमैन महोदय), मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि सस्ते अन्न की दुकानें खोल दी हैं। मैं यह चाहता हूं कि सस्ते अनाज की दूकानें सिर्फ शहरों में ही खोली हैं लेकिन बाहर गांवों और कस्बों के अन्दर सस्ते अन्न की दुकानें नहीं खोली हैं और गरीब मजदूर और किसानों को उस सस्ते भाव के अन्न से वंचित रहना पड़ा है। इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि अन्न की कमी पर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

दूसरा पोइन्ट, श्री राज्यपाल महोदय ने फरमाया है कि सिंचाई विभाग में काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हमारे जयपुर डिवीजन में हमने यह देखा है कि सिंचाई की अच्छी योजनायें नहीं बनायी गई हैं। खास तौर से जमुआ रामगढ़ का बंध है जिससे सिंचाई होती है, और कोई बन्ध नहीं हैं जिससे सिंचाई हो सके। हमारे यहां सिर्फ

(श्री नाथूलाल)

कूओं से ही सिंचाई होती है और इसके अलावा कोई साधन नहीं हैं। कूए हैं तो कच्चे हैं। ८० प्रतिशत आपको कच्चे कूए मिलेगे और २० प्रतिशत पक्के। जो कच्चे कूए थे वे सन् १९५६ की बरसात से गिर गये इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय चीफ (मुख्य) मन्त्री साहब का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा तकावी दी जाय जिससे वे पक्के कूए बनाने में सफलता प्राप्त कर सकें और आयन्दा के लिए कच्चे कूओं से उनको छुटकारा मिल सके।

जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वह कुछ हिस्सा लालसोट, सांगानेर व चाकसू का है। यह कहा गया कि सड़कों का निर्माण हुआ, लेकिन सड़कों का निर्माण हुआ किन्तु उनकी मरम्मत नहीं हुई। दौसा से जो लालसोट सड़क जाती है उसमें एक-एक दो-दो फीट गहरे गड्डे हैं लेकिन उनकी कोई मरम्मत नहीं हुई। एक छोटा सा टुकड़ा है जो पुलिस स्टेशन सांगानेर से सांगानेर स्टेशन तक जाता है, उस सड़क में दो-दो फीट गड्ढे पड़े हुए हैं, उसमें मिट्टी डालने वाला तक कोई नहीं दिखाई देता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम शहर के नजदीक जो सड़कें हैं और जिनमें गड्ढे पड़े हुये हैं उनकी मरम्मत करना लाजमी है और उनकी मरम्मत कराई जाय। सड़कों का निर्माण तो हुआ किन्तु मरम्मत नहीं हुई। जयपुर के आस-पास तो कम हुई है।

दूसरी बात जो बिजली से ताल्लुक है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जयपुर डिविजन में बिजली कहीं भी नहीं ले जायी गई मालूम होती है, सिर्फ अमुआ रामगढ़ से दौसा जरूर गई है, लेकिन लालसोट में बिजली नहीं पहुँचाई गई है। सिर्फ दौसा से भूतपूर्व मन्त्री श्री रामकरणजी जोशी की कोठी तक बिजली पहुंच गई है, आगे नहीं पहुंची है। मेरे यह समझ में नहीं आया कि मन्त्री महोदय के कोठी तक ही बिजली पहुंची और आगे क्यों न पहुँची? खम्भे खड़े हैं, तार खींचने बाकी हैं। श्री मन्त्री महोदय की कोठी से आगे लालसोट तक खम्भे लगे हुये हैं, सिर्फ तार ही खींचने बाकी हैं जो खिचा दिये जाने चाहिये और आशा है, जल्दी से जल्दी तार खिचवानेका सरकार प्रबन्ध करेगी।

(घंटी)

जो राज्यपाल महोदय ने फरमाया कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका हम बीज खो देंगे लेकिन भ्रष्टाचार का बीज खोना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचार दिन ब दिन इतना जोर पकड़ता जा रहा है कि मैं क्या कहूं! भ्रष्टाचार तो तब ही मिट सकता है जैसा श्री मुक्तिलाल जी ने फरमाया कि हम सब को मिल कर इसके लिये प्रयत्न करना चाहिए।

(घंटी)

थोड़ा समय और दें, आपकी मर्जी हो तो, वरना नहीं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : कितना समय और लेना चाहते हैं? १ मिनट में खत्म कीजिये।

श्री नाथूलाल (जारी) ; श्री मुक्तिलाल जी ने फरमाया था कि हम सब के सब सदन के सदस्य यह तय कर लें कि जिस कांस्टिट्यूएन्सी से या क्षेत्र से जीत कर हम आये हैं वह हरेक अपने यहां कार्य करे और

Page No.78

(श्री नाथूलाल)

जो भ्रष्टाचार वहां करता है उसको दबावें, तो भ्रष्टाचार जरूर बन्द हो सकता है वरना आसानी से कोई रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। टाइम मुझे बहुत कम दिया गया है इसलिये इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सदन के नेता ने जैसा आपके सामने फरमाया कि वाद-विवाद के लिये आज ही का समय है और अब इस वक्त से १॥ घंटा और है, ऐसी स्थिति में माननीय सदस्यों को १० मिनिट से ज्यादा समय बोलने के लिये नहीं दिया जायगा, इसलिये बोलते समय ध्यान रखें और अपने समय में भाषण को समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : दस मिनिट का समय तो बहुत कम है। कल मंत्री जी उत्तर दें उससे पहले का समय वाद-विवाद के लिये और दे दिया जाय तो आपत्ति नहीं होगी।

श्री सभापति : आप स्पीकर महोदय और सदन के नेता से तय कर लें।

श्री भैरोंसिंह : १० मिनिट में अपनी भावनाएं व्यक्त करना सम्भव नहीं है।

श्री सभापति : जैसाकि मैंने अर्ज किया सदन के नेता ने फरमाया था कि आज के बाद और इसे जारी नहीं करना चाहते। अब १॥ घंटे का समय है इसलिये जो लोग बोलना चाहते हैं वे समय बांट कर बोल लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा में राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया और उस पर जो दो दिन से वाद-विवाद चल रहा है उसको शुरू से अन्त तक पढ़ने के पश्चात् यह पता चलता है कि जो हमारे राजस्थान की प्रमुख समस्या है, जिस पर इस आजादी का भवन खड़ा हुआ है और जो लोग हमारे देश की आजादी के नाम पर विभाजन के परिणाम-स्वरूप पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आये, आज राजस्थान में निवास करने वाले उन ४ लाख शरणार्थी बंधुओं की समस्या के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है। राजस्थान में अनेक स्थानों पर शरणार्थियों की समस्या है। जयपुर नगर में १० हजार की संख्या में पुरुषार्थी बन्धु निवास करते हैं। उनकी एक अलग कोलोनी है। यदि हमारे विधान सभा के सदस्य या मंत्री जी कभी उधर जावें, उनकी कोलोनी के रास्ते पर जावें तो मालूम होगा कि रात में हाथ पर हाथ दिखाई नहीं देता। उनके लिए पीने का पानी नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे, बहिनें और मातायें खाली घड़े हाथ में लेकर पानी के लिये जाती हैं। २०० घरों के बीच में २ नल हैं। चुनाव के समय क्या हुआ कि वहां पर बिजली के खंभे लगाये गये। सरकार ने आश्वासन दिया कि वहां पर बिजली पहुँचाई जायगी लेकिन चुनाव के बाद आज वे खंभे, खंभे के रूप में, खड़े हैं। उन पर तार नहीं है, लट्टू नहीं हैं। आज राजस्थान विधान सभा के सदस्य आदर्श नगर, जिसमें रिफ्यूजी रहते हैं, जाकर देखें तो पता चलेगा कि बिना तार और बिना लट्टू के खंभे खड़े हैं और आज हमारी सरकार पुरुषार्थी समस्या के लिये

(श्री सतीशचन्द्र)

कितनी उदासीन है। आज हमको मालूम है कि अन्य स्थानों से और विदेशों से आने वाले टूरिस्ट जौहरी बाजार से निकलते हैं। जौहरी बाजार में चौड़ी--चौड़ी सड़कें हैं और इस कारण से उसको पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन दूसरी ओर की सड़कों का क्या हाल है यह देखने पर पता चल सकता है। व्यापारी लोग यह कहते हैं कि जौहरी बाजार में शरणार्थियों की जो थड़ियें लगी हुई हैं वे राजस्थान के नाम पर कलंक है, लेकिन बिजनेस को धक्का पहुंचता है। यह १० साल से रहने वाले पुरुषार्थियों का अपमान है। राजस्थान में उनको रहते हुए १० साल हो गये हैं। आपकी ओर से पंचवर्षीय योजना का ढोल पीटा जाता है लेकिन राजस्थान की राजधानी में बसने वाले पुरूषार्थियों की समस्या का हल करने के लिये आपने कुछ नहीं किया है। अनेकानेक पत्रों में खबरें छपी हैं, आप लोक-वाणी उठाकर देखिये, राष्ट्रदूत उठाकर देखिये, नवयुग और अन्य पत्र उठाकर देखिये इन पत्रों में इस प्रकार के समाचार छपे हैं। समाचार पत्रों में इस प्रकार की मांग की गई है कि पुरुषार्थियों की समस्या को हल करने के लिए थड़ियों को जल्दी हटाना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को संतोष हो सके और शरणार्थियों के लिए चौड़े-रास्ते पर नेहरू मारकेट बनने वाला है उसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये ताकि यह समस्या हल हो सके, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। इसके विपरीत सरकार पुरुषार्थियों से मांग करती है कि जो बंगले बनाने हैं उसके ६ लाख रुपये देने चाहिए। एक एक प्लोट के ६००-६०० रुपये डेवलपमेन्ट वाले मांगते हैं। उनके लिये बिजली का कोई इन्तजाम नहीं, उनके लिये पानी का कोई इन्तजाम नहीं, सड़कों का कोई इन्तजाम नहीं और रुपये मांगते है! यदि सड़कों का इन्तजाम देखना है तो आदर्शनगर की ओर होकर जाइये। जौहरी बाजार में होकर मिर्जा इमाइल रोड की ओर निकल जाते हैं, इसलिये आपको पता नहीं चलता कि दूसरी सड़कों की क्या हालत है? अगर आप उधर से निकलेंगे तो ड्राइवर कह देगा कि उधर से गाड़ी पास नहीं हो सकेगी। आप मोती डूंगरी, राजापार्क और दूसरी सड़कों की ओर होकर निकलेंगे तो खड्डों और रेत के कारण गाड़ी पास नहीं हो सकेगी। फिर भी आप कहते हैं कि ६ लाख रुपये दीजिये। चुनाव आ रहे हैं इसलिये स्कूल और औषधालय का उद्घाटन हुआ, बिजली के खंभे लगे। लेकिन उस क्षेत्र से कांग्रेस की विजय नहीं हुई तभी तो वहां बिजली के खंभे खंभे के, रूप में ही, खड़े हैं। तार नहीं, लट्टू नहीं, पानी की टूटियें नहीं, स्कूल का उद्घाटन हुआ लेकिन आगे कुछ नहीं। मैं यह कहने में संकोच नहीं करता कि उन्होंने ५ साल तक खतरा लिया है। वहां पर औषधालय और स्कूल का उद्घाटन हुआ लेकिन वे नहीं बन पावेंगे। इतना ही नहीं लेकिन शरणार्थियों की प्रमुख समस्या पर राज्यपाल के भाषण में कोई विचार व्यक्त नहीं किये गये हैं।

पंचवर्षीय योजना के विषय में इतना कहना चाहूंगा कि आज सफलता हो सकती है तो सबसे पहली समस्या खाद्य की है। राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि हम सुरक्षा की सीमा पर नहीं पहुंचे हैं। सस्ते धान की दुकानों पर अनाज नहीं मिलता है। दूसरी तरफ श्री अजितप्रसाद जैन कहते हैं कि राज

Page No.80

(श्री सतीशचन्द्र)

स्थान सरकार ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है .....

एक माननीय सदस्य : इधर भाषण हो रहा है, उधर मुख्य मन्त्रीजी पान चबा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : मेरे पांच मिनिट खराब कर दिये। यहां राजस्थान में सरकार के सामने खाद्य की स्थिति सुरक्षा की सीमा तक नहीं पहुँची है और सस्ते अनाज की सप्लाई नहीं हो रही है और दूसरी ओर केन्द्रीय खाद्य मन्त्री श्री अजित-प्रसाद जैन के पास राजस्थान सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। भाखरा, चम्बल और जवाई का पानी तो न जाने कभी आयगा या नहीं, लेकिन सब्ज बाग जरूर दिखाये जा रहे हैं। यह सारी योजना हमारे सामने है।

दूसरी बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में कही गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३ महीनों में १४ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जबकि पहले ६ महीनों में ७ करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। यह ३ महीनों का समय चुनाव का समय था। क्या हम यह नहीं समझ सकते कि ये १४ करोड़ रुपये ३ महीनों में चुनाव के लिये खर्च किये गये हैं। आज सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा लांछन लगता है सारे के सारे दल पर। वह सही है। सोशियल वेलफेयर या समाज कल्याण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपये केन्द्र सरकार देती है। भारत सरकार के नाम पर नाना प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। आज से ४ दिन पहले राजस्थान की भारत सेवक समाज शाखा के अध्यक्ष वर्माजी ने एग्जीक्युटिव के नामों की घोषणा की है, उसमें किसी भी अन्य दल के सदस्यों का नाम नहीं है। हिन्दू महासभा, प्रजासोश्यलिस्ट, जनसंघ या किसी अन्य पार्टी के आदमियों को नहीं लिया गया है। कांग्रेस के सदस्यों को छोड़ कर भारत सेवक समाज में एक भी आदमी नहीं है। इसमें लाखों रुपये दिये जाते हैं, राजस्थान विमुक्त संघ, महिला कल्याण केन्द्र आदि संस्थाओं के नाम पर लाखों रुपये दिये जाते हैं। खादी की दुकानें हैं वे भी सतारूढ़ लोगों की दुकानें हैं। इनके द्वारा कांग्रेस के लोगों का पालन-पोषण होता है। ८० लाख रुपये भीलों के उद्धार के लिए रखे गये हैं। यदि भीलों का उद्धार किया होता तो हमारे साथी भील यहां यह विचार व्यक्त नहीं करते कि उनके क्षेत्र में प्रसूति गृह नहीं हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़े में कष्ट पा पाकर औरतें बच्चे पैदा करती हैं। लाखों रुपये योजनाओं में रखे गये हैं जो किस प्रकार खर्च होते हैं, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है।

राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि यहां पर भ्रष्टाचार का बीज घर कर चुका है। भ्रष्टाचार माननीय सदस्यों को हर ओर दिखाई देता है, भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ है, पर हम यह समझ नहीं पाते कि यह भ्रष्टाचार किस तरह नष्ट होगा ? आज चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कहीं कहीं भ्रष्टाचार के कारण लोगों को पकड़वा लेते हैं, एक-आध पटवारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदालत के किसी अमीन आदि को गिरफ्तार कर लिया जाता है; लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, माननीय सभापति जी, कि भ्रष्टाचार इससे नहीं रुकेगा।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

(श्री सतीशचन्द्र)

मैं आपको बतलाऊं कि ट्रान्सपोर्ट महकमा है, उसमें जो लोग हैं, उन लोगों के पास पहले रोटी नहीं होती थी, उनके पास कपड़ा नहीं था, वे १००) रुपये की नौकरी ढूंढ़ते फिरते थे। आज उन लोगों के 'सी' स्कीम में बंगले हैं, उन लोगों को प्लॉट्स दिये जाते हैं। आज वे लोग मकान बना बना कर डाल देना चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं भ्रष्टाचार की कि गवर्नमेंट प्रेस के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं उन पर १० हजार का मामला चला, लेकिन सरकार ने उस केस को दबा दिया, Saying that it is too late now and the case should be filed.

इसी तरह से पॉवर हाउस में १६ हजार का गबन हुआ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। आज आप सुरक्षा की बात करते हैं, राजस्थान में सुरक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में चोरी नहीं होती, डाके नहीं होते, गहनों की चोरी नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में शासन ऐसा अनूठा है जहां पर रुपये पैसे की चोरी नहीं होती, डाके नहीं पड़ते लेकिन यहां पर लड़कों को उठाने वाले लोग हैं। यह चीज सदन में रखी जाती है, अखबारों में समाचार पाते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। आपके डिपार्टमेंट बेकार हैं। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान विधान सभा की कांग्रेस पार्टी एक किताब निकालती है, जिसमें डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स द्वारा एडवर्टाइज़मेंट्स दिये जाते हैं। राजस्थान विधान सभा की कांग्रेस पार्टी ने दो किताबें निकालीं, 'राजस्थान विधान सभा के तीन वर्ष' और राजस्थान पंचायत एक्ट'....

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय सदस्य जरा धीरे बोलें तो समझ में आयेगा, अन्यथा जो कुछ आपने कहा, वह समझ में नहीं आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : मैं जानता हूं कि क्या आपकी समझ में आया है। अगर मैं समझाऊं तो पांच मिनिट का समय और खराब होगा। आपके पास भी वह पुस्तक है, आप उसको बाद में देख लीजियेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो "राजस्थान विधान सभा के तीन वर्ष" पुस्तक विधान सभा कांग्रेस पार्टी की ओर से निकलती है, उसमें डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के यहां से चार-पांच एडवर्टाइमेंट्स दिये जाते हैं; कृषि विभाग के बारे में अच्छे बीज, अच्छी फसल आदि के एडवर्टाइज़मेंस दिये जाते हैं। तो इस तरह की सुविधायें देने के क्या माने हैं? राजस्थान विधान सभा की कांग्रेस पार्टी की एक किताब निकलती है, इसमें एडवर्टाइज़मेंट हम क्यों देते हैं? इसी एडवर्टाइज़मेंट की बात को लेकर एक बात और, सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन के नेता को कहना चाहूँगा कि एक अखबार नव-जीवन उदयपुर से निकलता है, उसे एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिये जाते हैं, वह अखबार बाहर से एडवर्टाइज़मेंट लेकर उन्हें छाप देता है, उनमें एडवर्टाइज़मेण्ट नम्बर नहीं होते हैं। उन्हें अखबारों में से नकल कर लेता है और फिर बिल बना कर भेज देता है। मन्त्री महोदय उन बिलों के पेमेण्ट करवाते हैं, ४० लाख रुपये का पेमेण्ट हमारे पब्लिक रिलेशन्स ऑफिस से होता है, क्योंकि वह मन्त्री महोदय की प्रशंसा हैड लाइन्स में लिखते हैं। दूसरा अखबार आयोजन है। मैं सदन में यह

(श्री सतीशचन्द्र)

बताना चाहता हूँ कि इसमें लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है । उद्देश्य के बारे में कहता है:—

"आयोजन का मार्ग स्पष्ट है । कांग्रेस के घोषणापत्र और दूसरी योजना के उद्देश्य और आदर्श उसकी गतिशीलता के चरण-चिन्ह हैं। उसका निहित स्वार्थ केवल राष्ट्र और राज्य के जन जन का सामुहिक हित साधन है। आयोजन जनता का पत्र है और जनता के लिए है।"

तो यह एक प्रकार से कांग्रेस ऑफिशियल पेपर है, यह कोई पत्रकारिता नहीं। मैं आपको बतलाऊं कि पहला इश्यू निकलता है, दूसरे इश्यू के बाद ही पब्लिक रिलेशन के ऑफिस से एडवर्टाइज़मेंट मिलते हैं जब कि राजस्थान के कई अखबारों को सरकारी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस प्रकार का पक्षपात सभापति महोदय, भ्रष्टाचार को बढ़ाता है।

(घंटी)

सभापति महोदय, मुझे दो बार इन्टरप्ट किया गया है। मैं अभी पांच मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : पांच मिनट का समय आपको पहले ही दिया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं केवल पांच मिनट और चाहूंगा।

श्री सभापति : Order please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे दो मिनट और दिये जायं।

श्री सभापति : जैसा कि सदन के नेता ने विचार प्रगट किया था, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर वादविवाद समाप्त होने वाला है। इसलिए वादविवाद में कम समय लेने के लिये निवेदन किया गया था। आज भी बोलने वाले ज्यादा हैं इसलिए हर एक सदस्य को १० मिनट का समय दिया गया है। आपको १५ मिनट का समय दिया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि दूसरे जो बोलने वाले हैं उनको देखते हुए आपको अपना वक्तव्य समय में समाप्त करना चाहिये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम) : We request to give him more time His talk is more interesting.

श्री सभापति : The Hon'ble member has already spoken for a long time. There is no question of giving him more time.

श्री अर्जुनदास : It may be harassing for T. B. B. P., and not for us.

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष (सभापति) महोदय, श्रीमान् राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है, जिसका यह तीसरा दिन है। श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर कांग्रेसी सदस्यों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया और गैर कांग्रेसी सदस्यों ने उस प्रस्ताव का विरोध किया। माननीय अध्यक्ष, श्रीमान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें सरकार की कमियों को छुपाया गया है, सरकार की कमजोरियां को

Page No.83

(श्री गिरधारीलाल)

उस अभिभाषण में बताया नहीं गया है और सच्चाई को दबाया गया है, सच्चाई पर पर्दा डाला गया है। इसलिए मैं, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन नहीं करता। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया कि भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिये; यह बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या मैं यह पूछ सकूंगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने इन पिछले पांच सालों में क्या क्या कदम उठाये ? अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस विषय में कोई जिक्र नहीं किया। राज्यपाल महोदय ने यह जरूर बताया कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिये, लेकिन कौन से तरीके हैं यह मैं समझ नहीं पाता। यह सरकार राजस्थान में पांच वर्ष से प्रशासन कर रही है लेकिन इसने भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया और न कर सकती है। आज क्या कदम उठाने चाहिये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये, इसकी ओर राज्यपाल महोदय ने संकेत नहीं किया है। आज आप देखते कि भ्रष्टाचार राजस्थान में बहुत फैला हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मिनिस्टर और छोटा चपरासी सब भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ में फँसे हुए हैं। आखिर फिर यह भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म होगा ? केवल सफेद कागजों पर काली स्याही से लिखकर भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहें तो वह खत्म नहीं हो सकता। इसको खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर आप ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। कल एक कांग्रेसी सदस्य ने यह प्रेरणा दी कि कम से कम अभी जो विरोधी सदस्य हैं, वे केवल आलोचना करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई सुझाव पेश नहीं करते हैं। मैं आपके सामने कुछ सुझाव पेश करना चाहूंगा और मेरा विचार है, मेरा दावा है कि अगर हमारी गवर्नमेन्ट उन सुझावों को अमल में लावे तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में मैं काफी बोल चुका हूँ। अब मैं आपके सामने सुझाव पेश करना चाहूंगा, टाइम कम है, और मैं दूसरे विषयों पर बोल नहीं सकता। मेरा पहला सुझाव यह है कि जिस प्रकार जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, उसी प्रकार यह अधिकार भी होना चाहिए कि यदि कोई सदस्य जनता का वफादार नहीं रहता है, और सरकार में जाकर भ्रष्टाचार करता है, बेईमानी करता है, और किसी प्रकार का अच्छा काम नहीं करता है, तो जिस प्रकार जनता को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, उसे यह भी अधिकार होना चाहिये कि वह सदस्य को वापिस बुला ले। मेरा पहला जो यह सुझाव है उससे भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। आज भी आप देखते हैं कि एम. एल. एज. जिस वक्त अपने चुनाव में लगे हुए होते हैं, उस समय जनता से वे लम्बे चौड़े वायदे करते हैं लेकिन बाद में चिन्ता नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि चुनने के बाद उनके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं होगी और वे पांच साल तक आराम करेंगे। मैं सोचता हूं कि ऐसी नींव डाली जाय तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है।

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष (सभापति) हमारी सरकार ने समाजवादी सरकार की

(श्री गिरधारीलाल)

घोषणा कर दी है और फिर भी हम देखते हैं कि आज भेदभाव बहुत चला आ रहा है, सरकारी कर्मचारियों के बीच में बड़ी असमानताएं आज दिन मौजूद हैं जबकि हम एक तरफ कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। एक तरफ देखते हैं कि सात–आठ घण्टे काम करने वाले कचर्मारी, पुलिस कॉनिस्टेबल जो हैं, पटवारी हैं उनको ४०), ४५) रुपया दिया जाता है और दूसरी तरफ बड़े बड़े कर्मचारी जो दिन में केवल ५ मिनट, १० मिनट या एक डेढ़ घण्टा ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं उनको हजार हजार, डेढ़–डेढ़ हजार, दो–दो हजार रुपया माहवार तनख्वाह दी जाती है। क्या यही समाजवादी ढांचा है? एक पुलिस का सिपाही डाकू के पीछे जाता है और वह डाकू की गोली से मारा जाता है तो उसको मिलता क्या है? पदक मिलता है, चांदी का या सोने का? तो मैं पूछता हूं कि क्यों वह जाता है डाकू के पीछे। अगर वह डाकू के पीछे नहीं जाता है तो हम ही उसकी आलोचना करते हैं और अगर सच्चे दिल से जाता है तो डाकू की गोली का शिकार हो जाता है!

यही हाल पटवारी का है, वह सारे दिन काम करता है। एक सिपाही रिश्वत लेता है तो कोई अन्याय नहीं है क्योंकि वह भूखों मरता है इसलिये वह पेट के लिए ऐसा काम करता है। पर एक मिनिस्टर रिश्वत लेता है तो बंगले बनाने के लिये, मोटर कार के लिये बड़ी-बड़ी रिश्वतें लेता है। अध्यक्ष महोदय, आपको इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाना पड़ेगा। अगर छोटा कर्मचारी रिश्वत लेता है तो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिये वह ऐसा करता है, इन लोगों को आप बंगले मत दो, कार मत दो, पर क्या रोटी भी नहीं दोगे? इन छोटे कर्मचारियों को कम से कम १०० रुपया माहवार तनख्वाह दे दें तो यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है।

मेरा विचार है कि पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार ज्यादा होता है इसलिये इस महकमे को खत्म कर देना चाहिये, कोई जरूरत नहीं है इस महकमे को। अगर सरकार कहती है कि यह महकमा जान-माल की रक्षा करता है तो मैं कहता हूं कि मोहल्ले मोहल्ले में जनसेवक खड़े कर सकते हैं। आज कोई किसान पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो जब तक थानेदार या पुलिस वालों को पैसे नहीं देगा तब तक उस किसान की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जायगी। यह बड़ा बदनाम महकमा है जिसे खत्म कर देना चाहिये और अच्छे अच्छे स्वयं सेवक भर्ती करने चाहिये।

(हंसी)

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिये कि हर मिनिस्टर, सचिव, कलेक्टर, तहसीलदार और हर अधिकारी को हर ६ महीने बाद गवर्नमेंट के सामने अपना हिसाब पेश करना पड़े और उसमें उसकी चल और अचल सम्पत्ति दिखाई जाय।

(श्री अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

३.५५–म० प०

उन खानों में यह सब हो कि उसके पास मकान कितने हैं, रुपये कितने हैं, चल, और अचल सम्पत्ति कितनी है और उन ६ महीनों में उसे कितनी तनख्वाह मिली है, कितनी

(श्री गिरधारीलाल)

सम्पत्ति उसके पास है और इस प्रकार का कानून बनायें और सरकार के पास हर छठे महीने रखें तो वह गजट में शाया हो जाना चाहिये। उसके बाद प्रत्येक नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि वह उसके खिलाफ दावा पेश कर सकता है कि जितनी रकम उसने गजट में दी है उससे ज्यादा उसने कमाई है और अगर वह इस चीज को साबित करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त हो जानी चाहिये और साबित करने वाले को इनाम मिलना चाहिये। इस प्रकार करने से मैं समझता हूँ कि रुपये में से आठ आने भ्रष्टाचार खत्म हो जायगा।

कुछ सुझाव मेरे पास और हैं। अभी एक सदस्य ने कहा कि चीन और रूस के उदाहरण हमारे सामने नहीं देना चाहिये। यह ठीक नहीं है, क्या किसी में अच्छाई हो तो उसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिये? वे कोम्युनिस्ट देश रशिया, चाइना जैसे, जिनमें भ्रष्टाचार रूपी चीज खत्म कर दी गई है, हमारी सरकार को चाहिये, उनमें अपने यहां से शिष्ट मंडल भेज कर अध्ययन करायें कि किस प्रकार वहां भ्रष्टाचार को खत्म किया गया।

एक सबसे बड़ा पोइन्ट मेरे पास यह है कि आज कांग्रेस पार्टी का राज्य है और सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि कांग्रेस पार्टी बहुत जिम्मेदार पार्टी है, पर वह पार्टी उल्टी गंगा बहाती है। आज-कल जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के मिनिस्टर्स और एम. एल. एज. करते हैं उतना और कोई नहीं करता। तो इस भ्रष्टचार को रोकने के लिये एक सख्त कानून होना चाहिये कि जितने ऊंचे से ऊंचे अफसर हैं अगर वे भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको बड़ी से बड़ी, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये। एक छोटी तनख्वाह पाने वाला कर्मचारी गरीबी के कारण भूखों मरने के कारण रिश्वत लेता है परन्तु ये बड़े बड़े लोग तो बंगले बनाने और मोटरें खरीदने के लिये भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिये अधिकारी जितना बड़ा भ्रष्टाचार करता है उसके लिये उसको उतनी ही बड़ी सख्त सजा दी जानी चाहिये।

इतने मेरे सुझाव हैं उन पर यदि सरकार विचार करे, उन सुझावों पर सरकार यदि अमल करे तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार रूपी बीमारी खत्म हो सकती है। हमारे भाई कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुमत है इसलिये वह हमारे सुझावों को नहीं मानेगी, मैं तो इसको नहीं मानता। जो एक अच्छा सुझाव है उसे कोई भी सरकार क्यों नहीं मानेगी? सारा राजस्थान मानता है कि भ्रष्टाचार की बीमारी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है और इसको जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिये। राजस्थान सरकार अगर इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती है तो मैं समझूंगा कि दाल में जरूर कुछ काला है और सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी इसमें फंसे हुए हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता।

श्री तेजाराम (सोजत): माननीय अध्यक्ष, श्रीमान् राज्यपाल ने जो भाषण दिया और उसमें जो राज्य की प्रगति बताई है उससे तो मैं सहमत हूं परन्तु श्रीमान् राज्यपाल ने बताया कि भूमि सम्बन्धी सुधार राज्य

(श्री तेजाराम)

में जो हुए हैं उसके सम्बन्ध में मैं श्रीमान् से अर्ज करूंगा कि जितने सुधार होने चाहिये उतने सुधार नहीं होकर भूमि सुधार का भुलावा मात्र चित्र दिया है। श्रीमान् राज्यपाल ने बताया कि जागीरदारी को मिटा कर और दूसरे माध्यम में आने वाले वर्ग को मिटा कर किसानों को राहत दी गई है। मेरा निवेदन यह है कि क्या हासिल पहले जागीरदार लेते थे और अब सरकार लेती है, इसे ही भूमि सुधार कहा जाय। इससे किसानों को न तो राहत मिली है और न मिलने वाली है। हमको यह देखना है कि क्या जागीर प्रथा खत्म करने से किसानों को सुविधा मिली है, क्या किसानों के आर्थिक विकास पर कोई असर पड़ा है या नहीं....

४-म० प०

अगर उनके आर्थिक विकास पर कोई असर नहीं पड़ा है तो मैं समझता हूँ कि जागीर प्रथा खत्म करने से और यह कहना कि किसानों को राहत पहुंचाई गई है, गलत बात है। इसके अलावा लटाई के बजाय जो केश रेन्ट कायम किया गया है उसमें भी जो प्रणाली अपनाई गई है उससे भी मैं समझता हूं कि किसानों को किसी तरह की राहत नहीं मिली है और उनके साथ बड़ा भारी अन्याय ही हुआ है। जहां तक दूसरी industries का प्रश्न है, सरकार उनको पनपाने के लिये सबसिडी आदि देती है लेकिन एक किसान जो अपनी केपेसिटी और एडीशनल (additional) लेबर से अपनी एडीशनल केपिटल लगा कर अपने खेत में एक फसल के बजाय दो फसल पैदा करता है तो उसको सबसिडी या राहत पहुंचाने की बात तो दूर रही उल्टा उससे डबल रेन्ट लेती है। क्या काश्तकारों को इस तरह से प्रोत्साहन मिल सकेगा? मैं कहूँगा कि इस तरह से उनको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इससे तो उनको उल्टे ही डिसएपोइन्ट ही किया जाता है, इससे तो उल्टी काश्तकारी को कठिनाई भी होती है। काश्तकार क्यों कठिनाई मोल ले? काश्तकार को केपिटल लगानी होती है और डबल लेबर करनी पड़ती है और डबल रेन्ट देना पड़ता है। अगर वह यह सब नहीं करता है तो उसको कम लगान देना पड़ता है और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। जिस भूमि सुधार के अन्तर्गत इस तरह की प्रथा है तो फिर क्या काश्तकार को इससे कोई फायदा होने वाला है? यह भूमि सुधार की मिथ्या डींग है।

राजस्थान में भूमि-सुधार के कानून बने टीनेन्सी एक्ट और लेन्ड रेवेन्यू एक्ट बने। राज्य सरकार ने बन्दोबस्त (soil classification and assessment of rent) के नियम बनाने का अधिकार अपने पास रखा। मगर सेटलमेंट में कोई भी नियम लागू नहीं किये गये। हम देखते हैं कि सारे राजस्थान में सेटलमेंट समाप्त होने आया है परन्तु इसमें settlement के नियम बने हुए नहीं होने से किसी भी तरह से किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं सदन के सामने यह निवेदन करूं कि किस तरह से सेटलमेन्ट में गड़बड़ी हुई है, तो वह घन्टों तक समाप्त नहीं होगा। सेटलमेंट के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से जमीन पर रेन्ट एसेस किया है और काश्तकारों को जितना दुःख जागीरदारों के समय में नहीं था उससे अधिक दुखी कर दिया है। मैं यह कहूँगा कि मौजूदा समय में केश एसेसमेंट हो चुका है, उसके खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड तक भी कोई न्याय मांगना चाहे तो सुनवाई

(श्री तेजाराम)

नहीं होती है क्योंकि assessment of cash rent के लिए कोई नियम नहीं है। इस तरह से मनमाने ढंग से लगान तय कर किसानों के साथ भारी अन्याय किया गया है। यह सेटलमेंट के अधिकारियों की स्वीट विल पर ही हमको बढ़े लगान का निर्णय करना पड़ता है। लगान के साथ Cost of Production व पैदावार की पैदाइश व किसान की आर्थिक हालत को मद्द नजर कतई नहीं रखा गया है।

इसके अलावा सबसे बड़ी जबर्दस्त बात जो अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि जितना भ्रष्टाचार सेटलमेंट में हुआ है कहीं भी नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जोधपुर में लेन्ड रेवेन्यू एक्ट और टीनेन्सी एक्ट बने हुए थे। उसमें कहीं भी नहीं था कि Land lord अपने male lineal descendent के अलावा किसी को भी गुजारा दे और उक्त कानून में बताये हुए तरीकों के अलावा अगर कोई जागीर transfer करता है तो उक्त कानून की धारा १६८ के अनुसार व जागीर काबिल जब्ती के है. चूंकि इस तरह का transfer illegal वनाजायज है। जो transfer wife व widow. को दी गई बताई जाती है व धारा 198. M.L. R. Act को तहत में काबिल जब्ती के थी व है लेकिन जागीरदार के पास से पैसे खाकर सेटलमेंट ने कया किया कि female गुजारेदारों के नाम भी सेटलमेंट में दर्ज कर लिए और जिन जागीरदारों ने उनको पैसे नहीं दिये उनके गुजारे दर्ज नहीं किये। अगर उनको गुजारे दर्ज करने थे तो सब के गुजारे दर्ज करने चाहिए थे। मगर गुजारा दर्ज करने की कानून में मान्यता नहीं होते हुए भी पैसे खाकर इस तरह से गलत गुजारा दर्ज करके उन्होंने जागीरदारों के नाम सेपरेट दर्ज किये, हैं। आज जोधपुर में इस प्रकार सेपरेट जागीरदार मान कर लोगों को करोड़ों रुपयों का मुआवजा दिया जायगा जो कानून की हत्या व भ्रष्टाचार का नंगा रूप है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इन महकमों में जो भ्रष्टाचार चलता है उसकी समाप्ति नहीं कर सकते हैं तो आप भारत के यातायात मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) ने जो जनतन्त्रवाद की स्वस्थ परमपरा कायम की है वही परम्परा आप भी सदन में कायम करें और यदि आप इस प्रकार की स्वस्थ परम्परा कायम नहीं कर सकते तो मैं यह कहूंगा कि जनतन्त्रवाद की हत्या है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने शांति और व्यवस्था की बात कही है डकैतों को मार कर। ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि डकैतों को मारने से शान्ति जरूर हुई है लेकिन मैं अगर यह मानकर चलूं कि डाकुओं को पनापने वाली भी पुलिस ही है और उसने ही उनको प.-पाया है तो कोई अत्युक्ति न होगी। मिसाल के तौर पर सूरजपुरा डकैती काण्ड, जो P. S. जवान अजमेर में हुआ, उसमें कालू P. S. का एक कांस्टेबल शामिल था और उसका माल कालू थानेदार के पास गया। जब यह केस बढ़ा तो पाली डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री दुलहसिंहजी ने इस केस में थानेदारको बचाने की कोशिश की और बाद में यह समझ कर कि मैं भी कहीं फंस न जाऊं एक इस्तगासा के गवाह को सरकारी मोटर में ब्यावर से उड़ा कर ले आये।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जो मामला सब जुडिस है उसके बारे में क्या यहां पर बोलने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : अगर यह मामला सब-जुडिस है तो आपको इस पर नहीं बोलना चाहिए।

श्री तेजाराम : तो अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विषयों पर अधिक नहीं कह कर भ्रष्टाचार के मामले जो हैं उन पर कहूँगा। इसको सब लोग मानते हैं कि अगर इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया गया तो यह बहुत फैल जाएगा और जनतन्त्र को भी समाप्त कर देगा और इसको खत्म करने के लिए मैं एक सुझाव पेश करता हूँ और वह सुझाव बहुत ही सीधा है। वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तीन आदमियों की एक कमेटी बनाई जावे जिसमें एक कलेक्टर और दो एम. एल. एज़. या तहसील के सरपंच हों। अगर इस तरह की कमेटी बन जावे और उस कमेटी को अधिकार हो कि किसी भी महकमें में जाकर वे ऑफिसरों के कार्यों को देख सकते हैं, क्योंकि आजकल हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट अपने मातहतों के पास कितना काम है उसको बारीकी से नहीं जांच सकते हैं और कितना काम उन्होंने किया है उसको नहीं जांच सकते हैं ? आया जो काम उन्होंने किया है वह जस्ट है या नहीं और उस कमेटी की सिफारिशें को सही तरीके से लागू की जायं व degrade भी अगर सरकारी कर्मचारियों को इस कमेटी की सिफारिशों पर किया जांय तो भी वाजिब होगा। अगर ऐसा किया जायगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ६ महीनों में आपको महसूस होने लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट में लोग अन्याय नहीं करेंगे और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वे रिश्वत लेकर किसी के साथ अन्याय करें।

राज्यपाल महोदय ने जितनी प्रगति बताई, जो हुई नहीं लेकिन भविष्य के लिए रूप रेखा रखी है, यह ठीक है। इतना कहकर मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती सुमित्रादेवी (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के सम्बन्ध में सदन के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करना चाहती हूं, मगर मैं इसमें अपने एक दो सुझाव देना चाहती हूँ। मैं मानती हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो परिणाम हैं वे अनुमान से कम हैं किन्तु कानून और व्यवस्था के मामलों में राजस्थान सरकार को आशातीत सफलता मिली है। पहले जहां हर नागरिक को अपनी जान और माल का खतरा था वहां आज सारे के सारे प्रान्त में शांति और व्यवस्था है। परन्तु जहां अपराधियों का चालान किया जाता है, जिनका चालान किया जाता है वे बिना दंड पाये हुए ही छूट जाते हैं। इससे अपराध करने वालों के हौसले बढ़ जाते हैं। इसलिए जिसका चालान हो उन मुलजिमान को दंड दिये बगैर नहीं छोड़ना चाहिये। इससे देखने वालों का भी साहस बढ़ता है। इसलिए सरकार को इस ओर सख्ती से पेश आना चाहिए। जिन मुलजिमान ने अपराध किया हो उनको बिना दंड दिए नहीं छोड़ना चाहिये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत कामयाबी मिली है। बिजली का काम असन्तोषजनक है। जहां भाकरा से बिजली प्राप्त करने का सवाल है, जो बिजली राजस्थान को प्रथम

(श्रीमती सुमित्रादेवी)

पंचवर्षीय योजना में मिलनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं मिली है और आगे के लिए भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि कब तक मिल सकेगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिल्ली स्टेट को भाखड़ा से बिजली मिलने की कोई स्कीम नहीं थी वहां की परन्तु सरकार ने अथक प्रयत्न किया और उसके परिणामस्वरूप आज दिल्ली स्टेट के गांवों और शहरों के लोग भाखड़ा की बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जबकि राजस्थान ने देरी और उदासीनता के कारण इस स्कीम को वहीं का वहीं पड़ा रहने दिया है। इस तरह से देरी और उदासीनता दिखाने से कई बार स्कीमें फैल भी हो जाया करती हैं इसलिए मुझे डर है कि यह स्कीम इस देरी के कारण यहां की यहां न रह जाय।

वैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों का काम काफी संतोषजनक रहा है परन्तु स्वीकृत प्लान के अनुसार जितनी सड़कों का काम होना चाहिये था वह नहीं हो सका। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक तहसील से दूसरी तहसील को सड़कों द्वारा जोड़ने की बात थी, परन्तु प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब एक जिला केन्द्र से दूसरा जिला केन्द्र ही सम्बन्धित नहीं हो पाया है तो मुझे तो यह कठिन लगता है कि एक तहसील से दूसरी तहसील इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में सम्बन्धित हो जायगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झुंझुनू से सीकर तक एक सड़क निकलने वाली थी जिसका मुकम्मिल होना तो दूर रहा वहां अभी तक कोई काम ही शुरू नहीं हुआ है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि जो सड़कें अधूरी हैं या जिन सड़कों का काम अधूरा पड़ा है उनकी ओर सरकार को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये परिश्रम और करके पूरा करना चाहिए।

सिंचाई का जहां तक प्रश्न है उसमें राजस्थान काफी भाग्यशाली रहा है। अभी भाखड़ा नहर के आ जाने से हमारी राजस्थान की काफी जमीन हरे भरे खेतों से लहलहा उठी है। परन्तु हमें इतने में ही संतोष नहीं करलेना चाहिए क्योंकि नहरों का काम अभी बाकी है। इसके लिए सरकार को शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न करने चाहिये। इन नहरों के पानी से अनेक स्थानों को पानी मिलेगा। बीकानेर, तारानगर और भादरा इत्यादि हैं जहां न केवल सिंचाई की ही कमी है बल्कि पीने के पानी की भी कमी है इसलिए उस पानी को वहां लिया जाय। सिंचाई का काम झुंझुनू या सीकर के इलाके में नहीं हुआ है। हो सकता है कि भाखड़ा या राजस्थान केनाल के वहां आने में कोई दिक्कतें हों फिर भी मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि यदि वह भाखड़ा नहर या राजस्थान नहर को इस क्षेत्र में किन्हीं कारणों से न ला सके तो दूसरे इसी तरह के उपाय किये जायें या फिर ऐसी ही चीजें उपयोग में लानी चाहिये ताकि सिंचाई की सुविधा इस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो सके।

इसके अलावा शासकीय सुधार में जो राज्यपाल की ओर संकेत मिला है उसमें उन्होंने अधिकारियों (या राज्य सेवकों) को अधिक अधिकार देने की बात कही है। अधिकारियों को अधिकार देने से ब्युरोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है और इसका अर्थ है प्रजातंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ जाना। हमें पचायतों को अधिक अधिकार दे देने होंगे क्योंकि पंचायतें

(श्रीमती सुमित्रादेवी)

अन्ततोगत्वा राज्य की इकाई बनने वाली हैं। इसके बिना हमारा प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसमें हमने वास्तव में प्रगति की है। जयपुर में महारानी डिग्री कॉलेज में लड़कियों के लिये पोस्ट ग्रजुएट क्लासेज़ खोल दी गई हैं और बीकानेर में महिला इन्टर कालेज से डिग्री कालेज कर दिया गया है। वास्तव में यह परिवर्तन करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है। परन्तु इसके साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वह काफी नहीं है। खास तौर से परीक्षा के तरीके में कोई बदलाव नहीं पाया गया। परीक्षाओं के तरीके में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। इस लिये परीक्षा के तरीके में फेर बदल करने के लिये जल्दी ही कदम उठाने चाहिये।

खादी का जहां तक सवाल है। पिछले दो सालों में उत्पादन बढ़ा है और हाथ-कर्घा जो उद्योग है वह करीब सत्तर हजार बुनकरों को रोजी देता है। परन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि हमारी आर्थिक क्रान्ति का प्रतीक जो अम्बर चर्खा है उसका हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अन्दर अम्बर चर्खे का जिक्र तो कम से कम जरूर ही करना चाहिये था क्योंकि उसने हमारे हाथ-कर्घा क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है।

जो स्कीमें बनाई जाती हैं उनको कार्यान्वित करने में तेजी के साथ कदम उठाना चाहिये; जैसे कि लोकल बोडीज़ और पंचायतें हैं उनको पर्याप्त अधिकार दे दिये जायें जिससे कि वहां की ग्रामीण जनता अपने सामुदायिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिये अधिक ताकतवर बन सकें। इसके साथ ही साथ राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भारी उद्योगों का जिक्र करते हुये जिप्सम के भण्डार का जिक्र किया लेकिन उसके उपयोग के लिये फर्टीलाइजर प्लान्ट का कोई जिक्र नहीं किया जिसके लिये कि राजस्थान सरकार की पिछले दो साल से भारत सरकार से बात चल रही है और यह राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारखाना है। इसका जिक्र उनको जरूर करना चाहिये था।

जागीरदारी और जमींदारी समाप्त करके सरकार ने वास्तव में एक प्रशंसनीय कदम उठाया है और उसके लिये वह प्रशंसा और धन्यवाद की पात्र है। परन्तु इसके साथ ही साथ जो जागीरदारी और जमींदारी समाप्त की जा रही है और जिसका लक्ष्य यह था कि भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिये नीति निर्धारित की जाये उसके लिये माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में कोई संकेत नहीं है। भूमिहीन किसानों का कोई जिक्र नहीं करना चिन्ता की बात है। सरकार को इस बारे में भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करने के लिये अपनी नीति स्पष्ट कर लेनी चाहिये और भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिये कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये।

अन्त में मैं राज्यपाल महोदय को उनके भाषण के लिये बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और सदस्यों से यह अपील करती हूँ कि सब लोग इस धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करें और इस प्रस्ताव को पास करें।

Page No.91

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण में यह बतलाया गया कि राजस्थान सरकार ने पिछले पांच वर्षों में क्या काम किया और राजस्थान सरकार आगे आने वाले पांच वर्षों में क्या काम करने जा रही है, उसके सम्बन्ध में दिये गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थक नहीं हूं। कारण यह है कि किसी राष्ट्र की उन्नति को नापने के लिये उस राष्ट्र के निवासियों, उस राष्ट्र की जनता की दो-तीन मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि राष्ट्र में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा है? दूसरे किसी राष्ट्र की उन्नति को नापने का जो पहलू होता है वह बेरोजगारी का है। जब हम इन दो पहलुओं को लेते हैं तो दोनों पर विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजस्थान सरकार पिछले पांच वर्षों में या यों कहें कि आजादी के बाद में सन् १९५६ तक हमारी कांग्रेस सरकार बेकारी के मसले को अभी तक हल नहीं कर सकी है। दूसरा जो प्रश्न आया प्रगति, का कि हमारी सरकार बेकारी के मसले को अभी तक तय नहीं कर पाई है और जीवन का स्तर भी अभी तक ऊंचा नहीं कर पाई है। जीवन-स्तर को नापने के लिये सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि उस देश के उस राष्ट्र के नागरिकों का भोजन का प्रबन्ध किस प्रकार का है। जिस तरह से हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि 'भूखे भजन न होय गोपाला'; जब तक हम भूखे रहेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। उस समय तक अगर हम योजनाओं की प्रगति के, विकास के और इस प्रकार के गीत गाते रहें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजनाओं से और इस प्रकार के प्रगति के गीत गाने से हमारा मसला हल नहीं हो सकता है। माननीय सदस्यों ने खास कर भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत ही जोर दिया और इस पक्ष के सदस्यों ने काफी जोरदार शब्दों में यह कहा कि शिक्षा के मामले में हम पिछले पांच वर्षों में काफी प्रगति कर पाये हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाये तो उसने कोई प्रगति नहीं की। मैं तो यह कहूँगा कि शिक्षा के मामले में तो जितना इन पांच सालों में बिगाड़ हुआ है उतना पहले नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। इसके पहले मैंने १२ वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया है और मैं इस धांधली को अच्छी तरह से जानता हूं।

शिक्षा विभाग का जिक्र हमारे सामने आता है तो सबसे पहले हमारी सरकार ने केन्द्र के द्वारा तीन करोड़ रुपये की राशि नवयुवकों के शारीरिक गठन योजना के लिए रखे थे, उसके लिए तीन करोड़ रुपया मंजूर हुआ था केन्द्र द्वारा। उस रकम के लिए राजस्थान सरकार पूर्णतः चुप रही। इन पांच वर्षों के अन्दर हमारी सरकार ने इस पैसे के लिए आंख तक नहीं खोली। हमारी सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को यह पता तक नहीं था कि इस प्रकार की योजना के अन्तर्गत तीन करोड़ रुपये की मन्जूरी थी। उसका न्यूनतम भाग भी हमारी सरकार नहीं ले सकी। तो इससे यह स्पष्ट है कि शिक्षा के मामले में भी हमारी सरकार उदासीन रही। इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि हमारी सरकार और हमारी सरकार के शिक्षा मंत्रीजी कितनी ढिलमिल नीति बरतते हैं। युवकों के शारीरिक विकास की योजना में जो रुपया रखा गया था उसका भी प्रयोग नहीं कर सके। यह मानकर चलना

Page No.92

(श्री लच्छूराम)

चाहिए कि जब तक शारीरिक स्वस्थता नहीं होगी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। आज हम स्कूलों के अन्दर छात्रों को देखते हैं तो उनके पास मनोरंजन के साधन नहीं हैं। आज-कल केवल दो रुपया मनोरंजन की फीस ली जाती है, उससे क्या मनोरंजन हो सकता है? केन्द्र ने यह ठीक ही किया था और छात्रों के शारीरिक विकास के लिए तीन करोड़ रुपया मंजूर किया था ताकि राज्य युवकों के शारीरिक विकास की ओर ध्यान दे सके। राजस्थान सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। शारीरिक विकास की अभी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में कमी है।

शासन का विकेन्द्रीकरण वैसे तो सभी विभागों में है लेकिन शिक्षा विभाग में विकेन्द्रीकरण का क्या हाल है, यह मैं आपके सामने रखूंगा एक कागज थ्रू प्रोपर चैनल चलता है, उसको ठिकाने पहुंचने में पांच महीने से कम समय नहीं लगता। मान लीजिए किसी सज्जन ने किसी विशेष काम के लिए कोई कागज दिया। वह पांच महीने से पहले उसके पास वापिस नहीं आ सकता। दूसरा सरकार का एक यह प्रतिबंध है कि सरकारी मुलाजिम थ्रू प्रोपर चेनल के सिवाय कागज भेज नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर एक अध्यापक को ले लीजिये। एक अध्यापक किसी गांव की स्कूल में मास्टरी करता है। अगर वह कोई प्रार्थना पत्र शिक्षा विभाध्यक्ष के पास भेजना चाहता है तो वह पहले इन्स्पेक्टर के पास डिप्टी इन्सपेक्टर के मार्फत भेजेगा, फिर इन्सपेक्टर के पास, फिर डिप्टी डाइरेक्टर के पास और फिर डाइरेक्टर के पास पहुँचेगा। इस प्रकार उसकी वापसी में पांच छः महीने लग जायेंगे। वह कागज पांच-छः महीने तक इधर-उधर घूमता रहता है। उसमें कागजों की यह हालत हो जाती है कि कोई स्टेटमेंट साथ में लगा हो तो वह कहीं गायब हो जाय तो ताज्जुब की बात नहीं। इस प्रकार का हमारे शासन का विकेन्द्रीकरण है। यह केवल शिक्षा विभाग में हो, यह बात नहीं, हरएक विभाग का यह हाल है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों के फिक्सेशन में किस प्रकार खिलवाड़ किया जाता है। शिक्षकों के फिक्सेशन के मामले को तय होते हुए दो-तीन साल हो गये। गिने-चुने लोगों को फिक्सेशन के ग्रेड मिले हैं। यह अभी पांच रुपये की जो बढ़ोतरी की गई है वह तो केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए और साधारण कर्मचारियों को दबोचने मात्र से है। जिस प्रकार कुत्ते के सामने टुकड़ा फेंक दिया जाता है तो वह पूंछ हिलाया करता है उसी प्रकार पांच रुपये की बढ़ोत्तरी कर सरकार ने यह बताने की कोशिश की है कि हमने वेतन स्तर में वृद्धि की है। जिस प्रकार मेरे पहले बोलने वाले सदस्य ने कहा कि हमारे यहां १०० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक रेश्यो होना चाहिए तभी हम राजस्थान की जनता को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं।

विकास की ओर जब हम आते हैं तो हमारे खेद की सीमा नहीं रहती। विकास हुआ, लेकिन हुआ किस ओर है यह देखना है? अगर हम गांवों के अन्दर जाकर देखें जैसा कि हर माननीय सदस्य ने जो जिस क्षेत्र से चुन कर आये उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की चर्चा की और कहा कि हमारे यहां डेवलपमेण्ट

(श्री लच्छूराम)

ब्लोक खुलने चाहिये, कहीं कहा गया हमारे यहां हाई स्कूल होने चाहिये लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं बतलाया कि इस विकास योजना को सफल किस प्रकार बनाया जा सकता है ? केवल सरकार को दोष दें, यह ठीक नहीं है। विकास के लिये जनता के सहयोग की ज्यादा आवश्यकता है। विकास के लिये जो रकम मंजूर की गई हैं वे भी बहुत कम हैं। इसलिये विकास को यदि पूर्ण रूप से प्रगति पर लाना चाहते हैं तो ज्यादा रकम की आवश्यकता है। इस रकम को लाने के लिये साधन हैं। मैं उन साधनों पर कुछ थोड़ी देर बाद बताऊंगा।

शिक्षा के अन्दर जो रकम बताई गई है वह भी बहुत कम है। उसमें भी ज्यादा रकम की आवश्यकता है। पहले राजा महाराजाओं की हुकूमतों के समय से शिक्षा के अन्दर कुछ ज्यादा तरक्की हुई है, यह हम मानते हैं किन्तु जमाने को देखते हुये वह बहुत कम हैं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शिक्षा के लिए जो रकम रखी गई है उससे केवल ४८ प्रतिशत छात्रों को शिक्षित करने की योजना है। यह सरकार का टार्गेट है। बीसवीं सदी के अन्दर यह टार्गेट बहुत थोड़ा है। कम से कम ११ वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य हो, ऐसा प्रोवीजन हमें करना चाहिये। इसके लिये दस करोड़ रुपये की रकम की और आवश्यकता होगी ? उस रकम को प्राप्त करने के लिए जो धनाढ्य लोग हैं, जो बड़े बड़े राजा हैं, जिनके पास जवाहरात के खजाने भरे पड़े हैं उनसे राष्ट्रीय कर्ज के रूप में रकम लेकर इन कार्यों में लगाया जा सकता है। जो धन काम में नहीं आता अगर उसे निर्माण कार्यों में लगाया जाय तो क्या बेहतर चीज नहीं होगी ?

राजा महाराजाओं के पास अतुल धन-सम्पत्ति है। वह उनके काम तो आती नहीं। जैसे एक कहानी बच्चों को पढ़ाई जाती है कि एक कंजूस आदमी था, उसके पास काफी धन था, उसने वह धन ले जाकर एक गड्ढे में गाड़ दिया। उसको गड्ढे में गाड़ते हुए एक आदमी देख रहा था। उसे जाकर दूसरे दिन उस धन को निकाल लिया। जब दूसरे दिन जाकर उस कंजूस ने देखा तो उसको धन नहीं मिला, तो वह उदास होकर आकर बैठ गया। जब उसके मित्र ने उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा कि जो धन मैं कल गाड़कर आया था उसे कोई निकाल ले गया। तो उसने कहा जिसका धन था वह उसके पास चला गया, ऐसा समझ लो। इसी प्रकार यह राजा-महाराजाओं का धन है। राजा-महाराजाओं के पास जो धन है वह प्रजा का है यह अगर राष्ट्र-निर्माण के अन्दर दे दिया जाय तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिये। इसके अतिरिक्त जागीरदारों को जो मुआवजे के रूप में २२ अरब रुपया दिया जाने वाला है उनसे कह दिया जाय कि आप तो काफी पैसे वाले हो, आपको धन की क्या आवश्यकता ? आपका जो मुआवजे का पैसा है उसे राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगा दिया जाय। जागीरदारों की मुआवजे की रकम को १५ वर्ष के लिये रोक दें। उनसे आप कहें कि आप तो हमेशा से ऐशो आराम में रहे हो, आपके पास जो मुआवजे की रकम आ रही है उसे आप देश के निर्माण में लगाओ, तो इसमें क्या हर्ज है ? राष्ट्र निर्माण तो होना ही चाहिये। परन्तु सक्रिय कदम कोई नहीं उठाता।

(श्री लच्छूराम)

सब कहते हैं भ्रष्टाचार होता है, डाकू सबको लूटते हैं। डाकुओं का भी मसला मेरे दिमाग में है। वह भी देश से मिट जावेगा। वह मसला क्या है? वे वहीं जावेंगे जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होगा। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो आप उसे राष्ट्रनिर्माण के हित में दें, सरकार उसका राष्ट्रीयकरण कर दे। तो इस तरह से धन अगर उनके पास फालतू नहीं पड़ा रहेगा और राष्ट्र-निर्माण के काम में लगा होगा तो फिर न डाका पड़ेगा, न सरकार को परेशान होना पड़ेगा और न फिर जनता को आतंकित होने की जरूरत होगी। डाकुओं को खत्म करने का अच्छा तरीका तो यह है। जरूरत से ज्यादा पैसे को राष्ट्रीयनिर्माण कार्य में लगा देना चाहिये और भ्रष्टाचार निरोध का सबसे अच्छा तरीका मेरी समझ में आ रहा है जो यह है कि नेता हैं राजनैतिक पर्टियों के और जिनके पास पैसा कमाने का रोजगार नहीं है और कम से कम जो प्रतिष्ठित पार्टियां हैं उनके नेताओं से उनकी आमदनी का और खर्च का हिसाब मांगा जावे। नेताओं की कई परिभाषाएं हैं। मारवाड़ में कहते हैं नेता और भेरना। एक तो चोटी के और दूसरे पिछलग्गू। तो इस प्रकार के नेताओं से हिसाब लिया जावे। आपकी आमदनी और खर्च क्या है, यह हर साल हर महीने लेना चाहिये। तो इसमें सरकार का तो क्या लेना देना है? प्रतिष्ठित पार्टियों को लेना चाहिए क्योंकि ये प्रतिष्ठित पार्टियां ही गवर्नमेन्ट बनाती हैं। तो हर वर्ष का बजट उनसे मांगा जावे; उनकी आमदनी का और खर्चे का तो यह भ्रष्टाचार का मामला फौरन खत्म हो जावेगा क्योंकि आजकल जो भ्रष्टाचार का दौर दौरा हो रहा है वह महज इन नेताओं की धांधलीबाजी के कारण है। उनको अगर चैक कर लेते हैं तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई भी भ्रष्टाचार का ऐसा मसला नहीं रह जावेगा।

(घंटी)

दूसरी बात यह है कि इस भ्रष्टाचार को खतम करने के लिये लोगों की आवश्यकतानुसार वेतन कर दिया जावे। सौ और पांच सौ का रेश्यो ही ठीक है। इसी बीच में, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि यहां एक मिनिस्टर महोदय ने बताया कि रूस में लेनिन ने २३ लाख आदमियों को कत्ल किया। पर मैं समझता हूं कि क्या हिन्दुस्तान की क्रान्ति रक्तहीन क्रान्ति है। इसकी क्रान्ति लाने के लिये कई ललनाओं ने, कई विद्यार्थियों ने और कई किसानों ने काश्मीर और बंगाल के आदमियों ने अपनी जानें खपाई हैं। क्या इसको आप रक्तहीन क्रान्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से हरेक राष्ट्र...

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो गया है। माननीय सदस्य बैठ जावें। श्रीमती गौरी पूनिया।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण पर दो दिनों से काफी वाद-विवाद हुआ। पक्ष में और विपक्ष में लोगों ने काफी कह दिया है इसलिये मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना आभार प्रदर्शित करती हूं और उनके भाषण के पक्ष में अधिक न कहकर केवल एक-दो सुझाव अपने पेश करना चाहती हूं।

बात यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे प्रशंसनीय हैं।

(श्रीमती गौरी पूनिया)

लेकिन गांवों में जहां तक मेरा अनुभव है समाज कल्याण केन्द्र व राष्ट्रीय विकास योजनाएं जहाँ चल रही हैं वहां के लोग तो चिकित्सा से फायदा उठा रहे हैं, पर ऐसे गांवों में जहां पर इस तरह की सुविधा नहीं है वहां के लिये मेरा एक सुझाव है कि १५-२० गांवों के बीच में कम से कम एक मिडवाइफ का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये और एक छोटी डिस्पेन्सरी होनी चाहिये क्योंकि मैंने कई ऐसी सैकड़ों औरतों को देखा है जो चिकित्सा के अभाव में बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं और हजारों ऐसी औरतों के केस सुने हैं जो सूत रोग से पीड़ित हैं। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि ऐसी जगह जहाँ आसपास में चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है वहां पर मिडवाइफ का प्रबन्ध तो कम से कम करना ही चाहिये।

गांवों में बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो साधारण आंख की दवाई के अभाव में आंखों से वंचित हो जाते है, या उनकी आंखों में फूले पड़ जाते हैं इसलिए ऐसे गावों में जो दूर दूर हैं, डिस्पेन्सरी खोल दी जावे तो जनता फायदा उठा सकती है।

जैसा कि मैं कह रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की है, इसमें शक नहीं। पर गांवों में ऐसा होता है कि वहां पर सिंगल टीचर भेजे जाते हैं क्योंकि सिंगल टीचर स्कूलें ही वहां होती हैं और जो लड़के पढ़कर नये नये निकलते हैं उनको वहां पढ़ाने के लिये भेज दिया जाता है। पहले तो गांव वाले बच्चे पढ़ाने को इतने उत्सुक होते ही नहीं हैं और फिर नये नये टीचर जाते हैं उनको ठीक जो तरह से पढ़ा नहीं सकते। वे शहर से आते हैं तो उनका ध्यान भी पीछे ही लगा रहता है। इसलिये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध है कि वहां पर ट्रेन्ड टीचर भेजे जावें। अगर एक भी भेजा जावे तो वह भी ट्रेन्ड भेजा जावे ताकि वहां के बच्चे उसका ज्यादा फायदा उठा सकें।

और चिकित्सा के क्षेत्र में मैं कुछ कह रही थी उस सिलसिले में मैं और निवेदन करना चाहती हूँ कि जोधपुर में दो बड़े बड़े अस्पताल हैं और अगर वहां मैडीकल कॉलेज खोला जावें तो जोधपुर इस दृष्टि से बहुत ठीक स्थान होगा। इसके लिए एक अन्य सदस्य ने भी प्रस्ताव रक्खा था और उसका मैं समर्थन करती हूँ।

मैं चाहती हूं कि मेले में या सड़कों पर पटरियों पर कोढ़ी लोग बैठते और घूमते रहते हैं और यह एक इतनी भयंकर बीमारी है कि जिस से जनता की हिफाजत की जानी चाहिये और उनको जनता के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिये, उनको अलग से व्यवस्था होनी चाहिये। इस तरह का प्रबन्ध थोड़ा बहुत इस समय भी है पर कानून बन्द नहीं है, इसलिये लोग वहां रहना पसन्द नहीं करते और सड़कों और पटरियों पर घूमाते रहते हैं। यह संक्रामक रोग हैं, छूत का रोग है। दूसरे लोगों को भी यह रोग हो सकता है इसलिये मैं सुझाव रखना चाहती हूं कि इस ओर ऐसी कोई कानूनन बाधा लगा दी जानी चाहिये जिससे कि उनका अलग प्रबन्ध हो सके।

दूसरी बात यह है कि आबू अब हमारे राजस्थान में आ गया है। राजस्थान में आजकल टी. बी. की बीमारी अधिक फैल

(श्रीमती गौरी पूनिया)

रही है । तो मेरा सुझाव है कि आबू से यह लाभ क्यों न उठाया जावे और वहां एक टी. बी. का अस्पताल खोल दिया जावे ताकि इस बीमारी के बीमारों को अधिक से अधिक आराम व लाभ मिल सके । क्योंकि डाक्टर लोग मानते हैं कि आधा फायदा केवल आब हवा से होता है और आधा दवा काम करती है । तो इसके लिए मेरा यह सुझाव है और मैं आशा करती हूँ कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी ।

विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने पंचायत राज्य पर आरोप लगाया था कि पंचायतों ने फायदा कुछ नहीं किया बल्कि, पार्टीबाजी अधिक की है । मैं उनके आरोप का खण्डन करती हूं और कहती हूं कि पंचायत राज्य को जो कि अपने प्रजातन्त्र की नींव है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना कहां तक सत्य है ? एक तरफ यह दलील पेश करते हैं कि प्रजातन्त्र को सफल बनाने में विरोधी पक्ष को मजबूत बनाना चाहिये और दूसरी ओर कहते हैं कि पार्टीबाजी के सिवाय पंचायतों ने कुछ नहीं किया, तो मैं कहती हूं कि पंचायत राज्य हमारे यहां कामयाब हुआ है और इससे शांति हुई है । इससे हमारी किसान जनता को सस्ता और शीघ्र न्याय मिला है और मैं चाहती हूं कि उनको अधिक से अधिक अधिकार दिये जावें और इस तरह के जो आरोप लगाये गये हैं उनका मैं खण्डन करती हूँ ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि जहां से कांग्रेसी उम्मीदवार चुन कर आते हैं वहां तो काम होते हैं जनहितकारी और जहां से दूसरे आते हैं वहां पर कुछ भी काम सरकार नहीं होने देती । मैं इस आरोप का भी खण्डन करती हूं और इसका उदाहरण मैं देती हूं कि जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आई हूं वहां से पिछली दफा रामराज्य परिषद का उम्मीदवार चुनकर आया था और मैं चुनाव के वक्त और पहले भी तहसीलों में घूमी हूं, गांव गांव भी गई हूं और इससे मुझे अनुभव हुआ है कि हमारी तहसील से रामराज्य का केन्डीडेट आया था, पर फिर भी वहां ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य नहीं छूटा जो सरकार ने नहीं किया हो । तकावी में कमी नहीं रही। जलबोर्ड की तरफ से सहायता मिली । इसी तरह से जहां भी काल—अकाल हुआ है वहां लोग मदद से भी वंचित नहीं रहे। इसलिए इसका भी मैं खण्डन करती हूं और पिछले पांच सालों में हमारी राजस्थान सरकार ने राजस्थान की उन्नति की ओर प्रगति के लिए जो जो कार्य किया है उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं ।

श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो उदारतापूर्वक अपना भाषण सदन के समक्ष पेश किया है उसके बारे में उन्होंने जो वर्णन किया है वह हमारे राज्य के प्रमुख मंत्रियों के कार्य प्रणाली, कार्य कुशलता एवं कार्य की तत्परता को देखते हुए वाकई जो प्रशंसा की गई है वह सराहनीय है । राज्य में कई ऐसे काम हैं जो बाकी हैं । विकास के काम जितने भी करने हैं, उनमें से जो काम हो गये हैं, उससे कहीं अधिक गुना अभी बाकी करना है लेकिन जो कुछ करना है उसका दशमांश भी पिछले पांच वर्षों में पूरा हो जाना हमारे आगे आने वाले कार्य की पूर्ण सफलता का सूचक है ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के

(श्रीमती कमलाबाई)

बारे में जो जिक्र किया है प्रसार का, वह वास्तव में सराहनीय है। इन पिछले पांच वर्षों में उच्च शिक्षा के बारे में जो प्रयत्न हुए हैं वे वाजिब ही हैं। लेकिन सोचना यह है कि उच्च शिक्षा में कितना सुधार करना चाहिये, उसमें क्या परिवर्तन लाने चाहिए, इस विषय में हमारी सरकार सोच नहीं पायी है। यह ठीक है कि जब पांव जम गया है तो उसके सुधार के बारे में भी सरकार सोचेगी। मैं आशा करती हूँ कि पांच वर्षों में शिक्षा का जो फैलाव हो गया है उसमें परिवर्तन के बारे में, सुधार के बारे में भी इस द्वितीय योजना में सोचा जायगा क्योंकि जो कुछ शिक्षा का परिणाम आया है, वह पूर्णरूप से कोई अच्छा परिणाम अभी निकल पाया हो, ऐसा हमें सन्तोष नहीं हो पाया है। हमें समाज के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा में सैद्धान्तिक परिवर्तन लाना है, उन पर हमें विचार करना है और उनके द्वारा हमारे समाज में ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगन्तुक नागरिक फले-फूलें, ऐसा वातावरण देना है। इससे आज जो यह भ्रष्टाचार का आरोप आ रहा है उस भ्रष्टाचार में कमी होने की उम्मीद हम कर सकेंगे।

शिक्षा के माने में अभी बहुत कुछ सोचना है। पाठ्यक्रम के बारे में अभी नहीं सोचा गया है। हमारी सामाजिक शिक्षा क्या होगी और सामाजिक जीवन में कार्यक्रम क्या होगा, यह हमें अभी सोचना बाकी है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि शिक्षा में परिवर्तन और जो सैद्धांतिक कमियां हैं उन पर, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, शिक्षा प्रसार के साथ साथ विचार करेंगी।

जहां राज्यपाल महोदय ने नहरों के बारे में जिक्र किया, वहां वास्तव में हमारी सरकार ने कई बांध बनाये हैं, नहरें निकाली हैं और उनसे किसानों को लाभ हुआ है। मैं जनता की तरफ से, जहां से मैं प्रतिनिधि बन कर आयी हूँ, किसानों की यह आवाज है कि, रहट द्वारा हमारी जमीन को पूर्णरूप से पानी नहीं मिल पाते थे वहां आज नहरों द्वारा आसानी से पानी मिला रहे हैं। ५ लाख एकड़ भूमि इन नहरों से पानी पी चुकी है लेकिन फिर भी हमारे किसान इससे संतुष्ट नहीं हो पाये हैं। इस योजना में जो नहरें निकली हैं, जो खर्चा हुआ है उसका परिणाम अधिक से अधिक मिल सके, इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जितने भी भूमि-हीन किसान हैं उन सबको समान रूप से भूमि वितरित कर दें और उस सम्पूर्ण भूमि को वे किसान उपजाऊ बनाने का प्रयत्न करें। तब ही हम इन नहरों से अधिक से अधिक फायदा उठा पायेंगे।

अब मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहती हूं जो किसान खेतों में रहते हैं और कठिन परिश्रम से खेती में पैदा करते हैं। उनके बारे में, उनके निवास के बारे में, उनके गांवों के बारे में भी ध्यान देना है। जो किसान गांवों में रहते हैं उनके घरों के बारे में निवेदन करूंगी कि उनके घर इस तरह के झोंपड़े हैं कि जिनमें न कभी हवा जा पाई है और न कभी रोशनी पहुंची है, अतः हमें उनके घरों के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, ये अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकें उसके लिए हमारी सरकार को प्रयत्न करना है।

सरकार ने हमारे किसानों के लिए अवश्य मौजूं कानून बनाये हैं और वे कानून यदि उपयोग में लाये जायं और किसान उनका फायदा उठा सकें तो यह किसानों के

(श्रीमती कमलाबाई)

लिए फायदे की बात है । लेकिन मैं यह कहूँगी कि किसान जो कानून से अनभिज्ञ हैं, गांवों में शिक्षा नहीं है और गांवों के किसान शिक्षित नहीं होने से वे उन कानूनों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगी कि सरकार की ओर से वहां पर उनकी शिक्षा के लिए यदि उचित प्रबन्ध हो जाय तो वे अपना जीवन अच्छी तरह से चला सकेंगे और आज जो आपके और हमारे सामने ये शिकायतें आती हैं कि किसानों को डरा धमका कर कागजों पर सच्चे झूंठे दस्तखत करा लिये जाते हैं वह भी दूर हो सकेगी। मैं यह कहूंगी कि यदि किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है तो हमें उनके उद्योग धन्धों के लिए और अन्य कार्यों के लिये उन्हें उपयोगी साधन, सुविधायें, उपयोगी औजार देने पड़ेंगे । उदाहरण देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रेक्टरों से खेती जोतने से, पाइप से पानी पिलाने से और ट्रक से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से कई गुना किसानों का समय बच सकता है बजाय चड़स और रेंन्ट (रहट) से पिलाने और हल से जोतने और बैल गाड़ियों से सामान ढोने के किसान बहुत मेहनत करके कम कमा पाता है। अतः हमें वे साधन जुटाने हैं जिससे कि किसान कम परिश्रम से अधिक से अधिक उपजा सके और अपने लिये भी वह कुछ समय बचा सके और उस बचे हुए समय में वह संसार के नवीन ज्ञान को रेडियो व अन्य साधनों द्वारा प्राप्त कर सके और अपने बाल बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच सके।

राज्यपाल महोदय ने कई उद्योग धन्धों के बारे में अपने भाषण में जिक्र किया है लेकिन मैं यह कहूंगी कि पिछले पांच वर्षों में जो उद्योग बढ़े हैं वे बहुत ही कम हैं। छोटे २ उद्योगों के बारे में हमें और ज्यादा इससे अधिक ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहां बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है, उसको मिटाने में हम पिछले पांच वर्षों में अधिक कामयाब नहीं हो पाये हैं। हमारी ज़मीन में कई खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं उनको सरकार अपनी योजना में जल्दी से जल्दी निकलवाने के बारे में ध्यान देगी तो ज्यादा फायदा प्रान्त को भी मिल सकेगा।

इसके बाद मैं यह कहूंगी कि हमारे हरिजन भाइयों के लिए कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ काम किया है लेकिन जो किया है उससे और भी अधिक करने की आशा रखती हुई मैं यह कहूंगी कि उनके कार्यक्रम के अन्दर उनके कार्य की जो पद्धति है उसमें परिवर्तन करना है। उनके रहने के लिये अच्छी बस्तियें हों और मल उठाने की जो पद्धति है उसमें परिवर्तन होना चाहिये ताकि उनको यह काम नहीं करना पड़े और उनको आगे बढ़ने का मौका मिले।

अन्त में मैं यह कहूंगी कि राज्यपाल महोदय ने उदरतापूर्वक जो भाषण दिया है उसके समर्थन के ख्याल से कई भाइयों ने कई बातें कही हैं, मैं भी उनमें से कई बातें सड़कों आदि के लिये कह सकती हूँ। राज्य में कई सड़कें बनाई गई हैं। विशाल राज्य के विशाल एरिया की सड़कें आज-कल में समाप्त नहीं हो सकती। कई भाई कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनाई। लेकिन सारे राजस्थान में जितनी सड़कें चाहिये उतनी तो एक साथ नहीं बन सकतीं। योजना में जितनी सड़कें बनने की तादाद है उसके अनुसार बनी हैं। कम हैं, हम मानते हैं लेकिन राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया है।

Page No.99

(श्रीमती कमलाबाई)

जिस गति से हम जा रहे हैं उस गति से दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी पूरी नहीं हो सकेंगी। इसका ख्याल रखते हुए हम सबको सहयोग देना है।

अब फिर मैं राज्यपाल महोदय को उनके भाषण के लिये धन्यवाद देती हुई अपना आसन ग्रहण करती हूं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण के संबंध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख लाया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं राज्यपाल के भाषण के संबंध में आये हुए प्रस्ताव का समर्थन इसलिये नहीं करता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण में राजस्थान की समस्त समस्याओं का समावेश हो गया है। मैं उसका समर्थन इसलिये नहीं करता कि स्थानीय योजना या जो दिक्कतें राजस्थान में हैं उन सबका उनके भाषण में जिक्र आ गया है और हमारी समस्याएं हल हो गई हैं। मैं उसका समर्थन इसलिए करता हूँ कि जहां एक तरफ राज्यपाल ने राजस्थान की प्रगति की ओर संकेत किया है वहां उसकी खामियों की ओर संकेत किया है और महसूस किया है कि राजस्थान में जो प्रगति हो रही है उसमें बहुत सी खामियें रह गई हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया है कि भ्रष्टाचार का बीज आमूल नष्ट होना चाहिए, उन्होंने यह भी कहा है कि विकास के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहिये। ये सारी बातें हैं इसलिये एक तरफ कुछ कहा जा सकता है तो दूसरी तरफ भी कुछ कहा जा सकता है। मैं वाद-विवाद में अधिक न पड़ कर ठोस बातें अर्ज करूंगा।

राज्यपाल महोदय ने बताया कि राज्य सरकार जागीरदारों को पुनः बसाने की आवश्यकता को अच्छी प्रकार से महसूस करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज राजस्थान के सामने जागीरदारों को बसाने की समस्या इतनी अधिक नहीं है जितनी जागीरदारों के ऊपर आश्रित जो लोग थे और अब बेकार हो गये हैं, जिनके पास कोई धन्धा नहीं रह गया है उनकी समस्या हमारे सामने है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूं तो आप यह न समझें कि मैं केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में ही कुछ कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र की समस्या राजस्थान के चारों ओर हो सकती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चारों ओर बड़े बड़े जागीरदार थे जिनके पास सैकड़ों नौकर थे, जो कई प्रकार की नौकरियां करते थे। उनमें से कई प्रकार के लोग थे। कुछ पढ़े लिखे लोग थे। मैं यह मानता हूं कि कुछ लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में या अस्पतालों में काम करते थे उनको सरकार द्वारा नौकरियें दी गई हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे रसोड़दार, चौकीदार, रावणे राजपूत आदि हैं, जो अशिक्षित हैं। जिनके पास न पहले कोई धंधे का जरिया था सिवाय इसके कि वे जागीरदारों के हुकम का पालन करते। आज जितने भाषण इस सदन के सम्मुख विरोधी दल की तरफ से हुए और कार्यवाहक विरोधी दल के नेता ने जागीर प्रथा की प्रशंसा की और बताया कि ५ हजार से ऊपर की जागीरें खत्म कर दी गई हैं, आगे नहीं करनी चाहिये; मैं आशा करता

(श्री शंकरलाल)

था कि जागीरी प्रथा पर आश्रित जो सैकड़ें-हजारों लोग हैं उनके प्रति भी वे कुछ कहेंगे लेकिन मुझे दुःख है कि इस विषय में कुछ नहीं कहा गया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और मेरा यह ठोस सुझाव है कि जो मुआवजा जागीरदारों को दिया जाता है उसका कुछ हिस्सा उन लोगों के लिये भी लगाना चाहिये जो लोग जागीरों पर आश्रित रहा करते थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार लटाई के वक्त लोगों को पहले दिये जाते थे, मासिक धान दिया जाता था उसके एवज में वे काम करते थे। आज उनको उसमें से कुछ नहीं दिया जायगा तो उनका कैसे काम चलेगा ? यह हमारे सामने एक समस्या है कि उनको कैसे बसाया जाय यदि जागीरों के मुआवजे का कुछ हिस्सा उनको बसाने के लिये लगाया जाता है तो जागीर वर्ग में से कुछ लोग भी सच्चे दिल से मंजूर करेंगे कि उनके लिये भी हिस्सा लगाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जागीरी प्रथा समाप्त होने पर केवल यही समस्या नहीं है, दूसरी समस्याएं भी पैदा होंगी। जहां जहां जागीरी प्रथा समाप्त हुई वहां पर जागीरदारों को बसाने की ओर संकेत किया गया है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि वे जागीरदार बहुत अच्छी तरह से बसे हुए हैं। उनमें से जो छोटे मोटे नहीं बसे हैं उनको बसाया जाय। लेकिन जागीर के वक्त में गोचर की जमीनों को खुद काश्त में दर्ज कराया है जो वास्तव में खुद काश्त की जमीनें नहीं थी। जो घास के बीड़ थे' जहां गायें चरा करती थीं उनको अपने नाम करा लिया है। जो लोग गो-हत्या की आवाज लगाते हैं और रामराज्य में आकर गोरक्षा की आवाज उठाते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बड़े बड़े बीड़ अपने कब्जे में कर लिये हैं, जहां अब गायें नहीं चर सकती हैं और गोचर की समस्या गांव गांव में पैदा हो गई है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ और सुझाव रखना चाहता हूँ कि जो गोचर भूमि और घास के बीड जागीर समाप्ति से पहले निश्चित तौर पर सैटलमेन्ट के वक्त में गायें चरने के लिए थे या जिनमें गायें चरा करती थीं और उसके बाद उन पर जागीरदारों ने कब्जा कर लिया है वे बीड़ गोचर के लिये रखे जावें।

मैं यह भी सुझाव रखना चाहता हूँ कि सीलिंग का मामला चल रहा है और कहा जाता है कि सीलिंग के बाद खेती के लिये जमीन दी जायगी। मैं यह मानता हूँ कि जहां आज भी शिक्षा का अभाव है और बेकारी की बढ़ोतरी हो गई है उनको जमीन दी जाय, तो वे रोजी पर लग सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सीलिंग का मामला जितनी ढिलाई से चल रहा है उसमें समय व्यर्थ जाया किया जा रहा है। उसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि आज जो भूमि पड़ी रहेगी उसमें खुद काश्त नहीं करेंगे। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा या आधा हिस्सा लटाई करते थे और खुद काश्त नहीं करते थे वे क्या आज भी अपने दिमाग में यह बात लेकर चलेंगे कि जागीरदारी समाप्त हो गई है लेकिन फिर भी वे जमीन पर कब्जा जमाये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक यह मामला तय न हो जायगा, तब तक किसी ऑर्डिनेन्स के द्वारा यह तय किया जाना चाहिये और जो लोग खुद जमीन

(श्री शंकर

काश्त करते हैं, जो जोतने वाला है, वास्तव में उनकी जमीन है, उस जमीन पर जो दूसरे लड़ाई करते हैं, अब उनका यह कार्य क्रिमिनल ऑफेंस माना जाय, सजा देने का यही एक तरीका है। मेरे विरोधी दल के साम्यवादी भाई, समाजवादी भाई नारा लगाते हैं कि बेरोजगारी को मिटाना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक सरल तरीका है। इस चीज को ऑर्डिनेन्स के द्वारा तय किया जाय, इससे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या हल होने में सहायता मिलेगी।

५.२–म० प०

इसके अलावा प्रशासन के संबन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह सर्व मान्य है कि जो शासन प्रणाली है, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने भी कहा, बहुत लम्बी और कष्टदायक है। मैं इसको मिटाने के लिये दो-चार सुझाव रखना चाहता हूं मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कई पद ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अन्दर अनावश्यक हैं। डिविजनल आधार पर सब डिवीजन में कमिश्नर, डिवीजनल, पंचायत ऑफिसर व इनके कार्यालय अनावश्यक हैं। इससे कागजात कलेक्टर से तहसीलदार को जाता है, फिर नायब तहसीलदार को जाता है, फिर पटवारी के पास जाता है। जो इतने आफिसरों पर सब डिवीजन खड़ा हुआ है, वहां केवल पोस्ट ऑफिस जैसा काम होता है, इससे आप जिले का जो शासन है, उसमें आप बढोत्तरी देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जिले के शासन का सीधा सम्पर्क सरकार से होना चाहिए....

(घंटी)

तो कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी आदि पर जो लम्बी मशीन चलती है, वह मैं समझता हूं कि खत्म होना चाहिये।....

(घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सी चीजें रखना चाहता था लेकिन अब थोड़े में सदन के सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा के सम्बन्ध में, पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता था....

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है, अब पांच बज गये हैं। बजट के मौके पर आपको और समय दिया जायगा।

सदन के समय में परिवर्तन सम्बन्धी

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि सदन की बैठक का समय बड़ा असुविधाजनक है। दोपहर के ११ बजे से लेकर शाम के ५, ६ बजे तक जानवर की तरह हम से काम लिया जाता है। जो बोलने वाले हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं लेकिन जो सुनने वाले हैं, वे बड़े हैरान हैं। इसलिए मेहरबानी करके सदन की बैठक का समय बदला जाय और प्रातः ८ से १२ का समय किया जाय।

श्री अध्यक्ष : रूल्स ऑफ प्रोसीजर व कन्डक्ट ऑफ बिजनेस में समय ११ से ५ तक का है। अगर गर्मी के कारण अधिक असुविधा होगी तो समय बदला जा सकेगा।

उपाध्यक्ष के चुनाव की सूचना

अब आप सब माननीय सदस्यों को सूचना दूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार समाप्त हुए हैं। कल

(श्री अध्यक्ष)

उपाध्यक्ष महोदय के चुनाव के बाद....(कुछ ठहर कर) कल ११ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल मुख्य मन्त्री और उनके साथी वाद-विवाद का जवाब लेंदे गे, उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।

(सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बज कर ५ मिनट पर समाप्त हुई तथा सदन की बैठक मंगलवार दिनांक १ मई १९५७ के बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, ३० अप्रेल, १९५७)

स्कम्भ

शपथ अथवा प्रतिज्ञान ५०३

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) ने शपथ ग्रहण की।

तारांकित प्रश्नोत्तर ५०३

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न सदन में पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये :

१. गत तीन वर्षों में उद्योग हेतु दिया गया ऋण।
२. सीकर जिले में युनिफाइड पे स्केल में फिक्सेशन।
३. शासकीय परिगणित जाति छात्रावास गंगानगर के कृषकों को पर्ची गिरदावरी व पर्ची मतालबा।
४. सामोद (त० आमेर) की मा० पाठशाला को हाई स्कूल बनाने की योजना।
५. १९५२ से जागीरें पुनर्ग्रहीत होने से पूर्व जागीरें लेना।
६. गत तीन वर्षों में श्रीकृष्ण छात्रावास को दी गई आर्थिक सहायता।
७. अध्यापक वर्ग को रेशनलाइज्ड पे स्केल्स।
८. राज्यपाल पद के लिये नामावली।
९. बालिका पाठशाओं में अध्यापिकाओं को वेतन-वितरण सम्बन्धी व्यवस्था।
१०. गत वर्ष हरिजनार्थ खुदवाये गये कुएं।
११. ट्रेंड मिडिल व मेट्रिक अध्यापकों को प्रवर ग्रेड के आदेश।
१२. राज्य सेवा में लिये गये ठिकाना सीकर के कर्मचारी।

स्कम्भ

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति ५४०

श्री श्रीनिवास को दिनांक २ अप्रेल से ५ मई, १९५७ तक सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद ५४०

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री हरिदेव जोशी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद आज भी जारी रहा। वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

१. श्री जयेन्द्रसिंह
२. श्री मुरलीधर व्यास
३. श्री बरकतुल्ला खां
४. श्री अर्जुनदास
५. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
६. श्री होतीलाल
७. डा. चन्द्रकला
८. श्री रामचन्द्र
९. श्री पुरुषोत्तलाल
१०. श्री अनोपसिंह

११. श्री भँवरलाल
१२. श्री सूबेदारसिंह
१३. श्रीमती प्रभा मिश्रा
१४. श्री नाथूलाल
१५. श्री सतीशचन्द्र
१६. श्री गिरधारीलाल
१७. श्री तेजाराम
१८. श्रीमती सुमित्रा देवी
१९. श्री लच्छूराम
२०. श्रीमती गौरी पुनिया
२१. श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय
२२. श्री शंकरलाल

सदन के समय में परिवर्तन सम्बन्धी

श्री तनसिंह के प्रस्ताव पर कि सदन का समय ८ बजे से प्रारम्भ होना चाहिये श्री अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि आवश्यकतानुसार ऐसा हो सकता है।

उपाध्यक्ष के चुनाव की सूचना

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कल उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा।

बुधवार, १ मई, १९५७ की कार्य-सूची

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई आलोचनाओं का वित्तमन्त्री एवं मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर एवं श्री उपाध्यक्ष का निर्वाचन इत्यादि।

७११

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ११ का उत्तर देखिये)

List showing loan sanctioned to Charm Udyog.

S. No.	Distt.	Name of the Party	Amount Sanctioned.	Year
1.	Churu	Chamda Utpadak Sahakari Samiti Churu-	3000/-	21.3.55
2.	Alwar	Bhagwat Swaroop Bhargva, shoe making Hope circus, Alwar.	5000/-	21.3.55
3.	Churu	Rajendra Chamda Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Ratangarh.	1600/-	31.5.55
4.	Ganganagar	Khatik Tannery Utpadak Sahakari Samiti, Shri Ganganagar..	1,0000/-	31.5.55
5.	Churu	Sardar Shahar chamda Utpadak Samiti Sardar Shahar.	3000/-	10.7.55
6.		Ganga Chamar Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Bisalpur.	1000/-	10.8.55
7.	Udaipur.	R. K. Industry, Udaipur (shoe making industry)	5000/-	10.8.55
8.	Nagaur	Kuchaman Regran charm Utapdak Sahakari Samiti Ltd., Kuchaman city.	10,000/-	9.2.56
9.	Bharatpur	Roshanlal Harnarain shoe makars, Bharatpur.	1000/-	30.12.55
10.	Bharatpur	Sopparam s/o Lalaram shoe maker Bharatpur Kumbher Gate Bada Mohalla.	750/-	30.12.55
11	-do-	Ramjilal s/o Gangadhar shoe maker Kumbher Gate, Bharatpur	750/-	„
12	-do-	Mool chand s/o Chuknuram shoe maker Kumbher Gate, Bharatpur	750/-	„
13	-do-	Bhondu Ram s/o Bhikuram Jamuna shoe factory Kumbher Gate, Bharatpur.	1000/-	„
14	Sikar	Gijraj Balu Shoe Maker P. O. Laxmangarh, Distt Sikar	1000/-	„
15	Bharatpur	Phossiya Ram s/o Gheraram shoe maker Kumbher Gate, Bharatpur	750/-	„
16	Udaipur.	Charm Udyog Sahakari Samiti Ltd., Rajnagar, Distt Udaipur	1500/-	„
17	-do-	Dalit Hitkari Sahakari Samiti Ltd., Leather Industry Kankroli Distt. Udaipur.	1000/-	„

18	Udaipur	Kichak Panya Utpadak Sahakari Samiti Ganesh Ghat, Udaipur. Loather Tanning.	1500/-	30 12-55
19	Jodhpur	Deepraj s/o Roopji Mochi shoe making Industry, Udaimandir, Jodhpur.	1000/-	,,
20	Bharatpur	Baluram s/o Sawal Jatore Telepara Deeg Bharatpur shoe making Industry.	750/-	,,
21	,,	Kanhaiya lal s/o Pyarelal Regar Nai Sarak shoe making Industry Deeg Bharatpur.	1000/-	,,
22	,,	Kishanlal s/o Mansaram shoe maker Nai Sarak Deeg (Bharatpur)	1000/-	,,
23	,,	Chiranji Lal s/o Trikha Ram Jaton Telipara shoe factory Deeg.	7500/-	,,
24	,,	Ramswaroop s/o Sukhiram Jatav Kumbher Gate, Leather factory Bharatpur.	500/-	,,
25	Jaipur.	Toonga charm Utapdak Sahakari Samiti Ltd.. shoe making Industry Toonga Teh- Bassi Distt Jaipur	1600/-	,,
26	,,	Mohd. Yousuf Nasiruddin s/o Gulam Nabi c/o United shoe makers Ramganj Bazar, Near Masjid Mochian Khurd Jaipur	1000/-	,,
27	Jodhpur.	Madho s/o Tulsiram Mochi, Hathiram Ka Hoda Jodhpur	10.0/-	,,
28	Alwar	Govind Garh Harijan Sahakari Samiti Ltd., (Leathar Tanning) Govindgarh Distt. Alwar.	2000/-	,,
29	Bharatpur	Deo Bux s/o Asha Ram Jatav Leather Tanning Deeg Distt. Bharatpur.	500/-	,,
30	Jaipur.	Kalwar charma Utapdak Sahakari Samiti Kotwar Distt. Jaipur	1000/-	,,
31	Jaipur.	Bindayaka charm Udyog Sahakari Samiti Ltd., (Leather Tanning) Jaipur.	500/-	,,
32	Jaipur.	Abdul Kadir s/o Amir Uddin shoe maker Phuta Khura Jaipur	1000/-	,,

33	Jodhpur	Kani ram s/o Nirbbaram Leather Tanning Industry Udai Mandir outside Mertagate, Jodhpur	1000/-	30-12-55
34	"	Badri s/o Poonaji Mochi Leather Tanning Industry Udaimandir outside Mertagate, Jodhpur	1000/-	"
35	"	Nenu ram s/o Sanwalji Mochi Leather Industry, Udaimandir, Jodhpur.	1000/-	"
36	"	Amratlal s/o Gajraj Mochi Leather Industry outside Merta Gate, Jodhpur.	1000/-	"
37	Bharatpur	Yadava Ram s/o Chuna Ram Jatav. Leathar Industry Deeg Bharatpur.	750/-	"
38	Jodhpur,	Assu s/o Champalal Mochi, Dagga Bazar, Jodhpur.	1000/-	"
39	Jodhpur.	Kewal s/o Mitha ji Mochi Leather Tanning Udai mandir Paliwa Thakur ki Haweli, Jodhpur.	1000/-	"
40	Dungarpur	Dadam chand s/o Nathuji Mochi, Leather Tanning Industry Dungarpur.	1000/-	"
41	Dungarpur	Karoo s/o Mayal Mochi. Karwara shoe making Industry Distt. Dungarpur	500/-	"
42	Bharatpur	Baboo singh Lalta Prashad. Bansi Puharpur Disst Bharatpur shoe Making Industry.	1000/-	"
43	Jalore.	Bhinmal charm Utapdak sahakari Samiti Ltd., Leather Tanning Near Post Office Bhinmal Teh. Jaswantpura Distt Jalore	7500/-	24.12.56
44	Nagaur.	Badi Khatik Regran charma Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Badi Khatu-		
45	Barmer	Barmer Charm Rangai Utapadak Sahakari Samiti Ltd. Barmer	6000/-	13.3.56
46	Pa[illegible]-Jodhpur.	Bhilera Nachian Cooperative thrift and credit society Ltd. Bhilera.	2000/-	"
47	Jaipur.	Lalsote charm Udyog Sahakari Samiti Ltd., Lalsote.	7000/-	24.12.56

48	Jaipur,	Samod Regran Charm Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Jaipur (Leather Tanning)	5000/-	24-12-56
49	Sawaimadhopur	Sawaimadhopur Harijan Regran Bahudhandi Society Ltd., Sawaimadhopur (Leather Tanning)	2500/-	"
50	Ganganagar	Ward No. 18 Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Ganganagar Leather Tanning.	8000/-	"
51	Nagaur.	Bareli Regran Charm Utpadak Co-operative Society, Teh. Bareli Distt. Nagaur.	5000/-	"
52	Jaipur.	Baswa Charm Udyog Sahakari Samiti Ltd., Baswa, Distt. Jaipur.	5000/-	"
53	—	Lawan Charm Udyog Sahakari Samiti Ltd., Lawan (Leather Tanning)	2500/-	"
54	Sirohi.	Meghwanshi Charm Utpadak Sahakari Samiti Ltd. Pindwara Distt. Sirohi.	3000/-	"
55	Jaipur.	Tokalda Tannaries Sahakari Samiti Ltd., Teh. Amber Leather Industry.	2500/-	"
56	Chomu	Chomu Bhedun charm Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Leather Tanning Chomu, teh. Amber.	4000/-	"
57	Ganganagar	Ramkumar Khatik Charm Utpadak Sahakari Samiti Ltd. Ganganagar.	3000/-	"
58	Sikar	Kharati s/o Santu Ram mochi shoe making Industry Sikar	1000/-	"
59	Sikar	Kurda Ram Mochi s/o Nathuram Prop. Shoe Making factory Fatehpur, Distt. Sikar	1000/-	"
60	Udaipur.	Mohan Lal Mochi Prop, Shoe factory out side Hathipol, Udaipur.	500/-	"
61	Jaipur.	Mohanpura charm Udyog Sahakari Samiti Mohanpura Teh-Bassi, Distt. Jaipur	2000/-	"
62	Pali.	Bharat Vijay charm Utpadak Sahakari Samiti Sumerpur Leather Tanning.	15,000/-	"

63	Jaipur	Needer charm Udyog Sahakari Samiti Ltd., Needer Distt. Jaipur.	7500/-	,
64	Jaipur.	Tribhuwan Nath Shoe factory Daribapan Jaipur.	5000/-	,
65	Sikendra	Sikendra Charm Utapadak Sahakari Samiti Ltd., Sikendra.	10,000/-	11 1 57
66	Ganganagar	Ganganagar Adarsh Tannery Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Ganganagar.	10,000/-	"
67	Ajmer.	Hazari s/o Sukh Dev Regar. Kishangarh Ajmer shoe making Industry.	800/-	"
68	Nagaur.	Badi Khatik Regran Charm Utpadak Sahakari Samiti Badi Khatu.		
69	Jodhpur.	Jatia Charm Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Jodhpur.	1200/-	"
70	Ajmer.	Ghasi Lal shoe Maker Kishangarh	2000/-	"
71	Udaipur	Baluram Meghwal Udaipur shoe makers	2000/-	"
72	Churu	Sardarshahar Shahar Charm Utpadak Sahakari Samiti Ltd., Sardar shahar (Churu)	3000/-	23.6.56
73	Jaipur.	Barwar Charm Sahakari Samiti Ltd., Bhilwara Teh. Sanganer Jaipur shoe making Industry.	2000/-	23.5.56

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १२ का उत्तर देखिये)

List showing the names of the teachers who have not yet been fixed in the Unified pay scale.

S. N.	Name of the teachers.	Place of posting.
1	Shri Gajanand A. T.	H. S. S. Ajeetgarh.
2	Shri Rawanta H. M.	M. S. Bhudoli.
3	Shri Teja Mal Yadave A. T.	H. S. Chanjakanangal.
4	Shri Chhajan Lal S. D.-I.	Dantaramgarh (Now in Jhanjhunu)
5	Shri Ram Kishan A. T.	M. S. Shishu
6	Shri Suraj Mal A. T.	M. S. Deorala
7	Shri Behari Lal A. T.	P. S. Karad
8	Shri Kalyan Mal H. T.	P. S. Behar
9	Shri Baldeo Prasad A. T.	M. S. Moondru
10	Shri Prahlad Singh A. T.	M. S. Moondru
11	Shri Nathu Lal A. T.	H. S. Kanwat.
12	Shri Bansi Dhar A. T.	P. S. Danaroli
13	Shri Om Prakash A. T.	P. S. Raholi
14	Shri Doonger Mal A. T.	H. S. Danta.
15	Shri Murli Dhar A. T.	P. S. Kanchanpura
16	Shri Kishori Lal A. T.	H. S. Kotri
17	Shri Babu Lal A. T.	H. S. Kanwat
18	Shri Mali Ram A. T.	P. S. Pithalpur
19	Shri Devi Shahai A. T.	M. S. Raipura Jagir
20	Shri Prabhati Lal H. T.	P. S. Ashpura
21	Shri Jagdish Narain A. T.	M. S. Thoi
22	Shri Madhav Lal A. T.	M. S. Deorala
23	Shri Gauri Shankar A. T.	M. S. Palasana
24	Shri Ram Richhpal A. T.	P. S. Bagriawas
25	Shri Hari Narain A. T.	M. S. Deorala
26	Shri Rameshwar Lal A. T.	M. S. Guhala
27	Shri Abhey Lal A. T.	H. S. Shrimadhopur
28	Shri Banwari Lal A. T.	M. S. Haaumpur
29	Shri Umrao Singh A. T.	P. S. Gopia
30	Shri Pooran Chand A. T.	M. S. Gavnri
31	Shri Bharon Lal A. T.	P. S. Malikpur
32	Shri Banshi Dhar A. T.	M. S. Thoi
33	Shri Ram Chandra A. T.	M. S. Thoi
34	Shri Kedar Nath H. T.	P. S. Sumrathpura
35	Shri Bhanwar Singh A. T.	M. S. Mehroli

36 Shri Mohan Lal A. T.	P. S. Kachanpura
37 Shri Shankar Lal A. T.	P. S. Shrimadhopur
38 Shri Bansidhar Drowal A. T.	P. S. Shrimadhopur
39 Shri Shive Nath A. T.	M. S. Raipura Jagir
40 Shri Nathu Lal A. T.	P. S. Tatara
41 Shri Rameshwar Prasad A. T.	H. S. Danta
42 Shri Bhuramal Chulate A. T.	H. S Shrimadhopur
43 Shri Ram saroop A. T.	H. S. Shrimadhopur
44 Shri Baldeo Singh Drill Master	H. S. Shrimadhopur
45 Shri Chandra dutta Sainik A.T.	H. S. Losal
46 Shri Bharon Singh Drill Master	H. S. Losal
47 Shri Ganpat Singh Drill Master	H. S. Danta
48 Shri Bagh Singh Drill Master	H. S. Neemkathana
49 Shri Ram Lal H. T.	P. S. Karad
50 Shri Tara Chand A. T.	H. S. Shrimadhopur
51 Shri Jagdish Chandra. A. T.	P. S. Kishura
52 Shri Nath Mal Dhadha H. T.	H. S. Khandela
53 Shri Prabhu Narain A. T.	M. S. Deorala
54 Shri Kanhaiya Lal A. T.	M. S. Deorala
55 Shri Bhanorin Lal H. M.	H S. Thoi

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २० का उत्तर देखिये)

Statement showing the dates of payments of salaries to the teachers of Government Girls Middle & Primary schools Sikar District from April, 1956 to March, 1957.

Name of the School with Tehsil	April, 56	May, 56	June, 56	July. 56	August, 56	Sept. 56	Oct. 56	Nov. 56	Dec. 56	Jan. 57	Feb. 57	Mar. 57
										2028	2229	3212
1. Teh. Shrimadhopur												
1. G. M. S. Shrimadhopur	8-5-56	5-7-56	17-7-56	11-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	14-12-56	13-2-57	13-4-57	13-4-57	23-4-57
2. Teh. Neem ka Thana												
1. G. M. S. Sawai Ramgarh	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	14-12-56	25-1-57	30-3-57	30-3-57	23-4-57
2. G. P. S. Neemka thana	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10.56	10-12-56	11-2-57	21-2-57	30-3-57	23-4-57
3. G. P. S. Mahroli	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31.10.56	31-10-56	31-10-56	10-12-56	11-2-57	21-2-57	30-3-57	23-4-57
4. G. P. S. Kherijajod	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	10-12-56	11-2-57	21-2-57	30-3-57	23-4-57
5. G. P. S. Nayam	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	10-12-56	11-2-57	21-2-57	30-3-57	2[illegible]-4-57
6. G. P. S. Ajitgarh	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	10-12-56	11-2-57	21-2-57	30-3-57	23-4-57
7. G. P. S. Kanwar	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	4-12-56	9-2-57	5-3-57	23-3-57	17-4-57
8. G. P. S. Thoi	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	4-12-56	9-2-57	5-3-57	23-3 57	17-4-57
9. G. P. S. Khandela	11-5-56	12-7-56	17-7-56	12-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	4-12-56	9-2-57	5-3-57	23-3-57	17-4-57
3. Teh. Danta Ramgarh												
1. G. P. S. D. Ramgarh	8-5-56	2-7-56	3-8-56	17-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	10-12-56	2-2-57	15-2-57	30-3-57	18-4-57
2. G. P. S. Khari	8-5-56	2-7-56	3-8-56	17-9-56	31-10 56	31-10-56	31-10-56	10-12-56	2-2-57	15-2-57	30-3-57	18-4 57
3. G. P. S. Losal	8-5-56	2-7-56	3-8-56	17-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	10 12-56	9-2-57	5-3-57	23-3-57	17-4-57
4. G. P. S. Danta	8-5-56	2-7-56	3-8-56	17-9-56	31-10-56	31-10-56	31-10-56	2-12-56	9-2-57	5-3-57	23-3-57	17-4-57

Note : Some bills for which the date of encashment has not yet been received from the Treasury after payment, the number and dates are given under which they have sent to the pay centres.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २१ का उत्तर देखिये)

हरिजनों के लिये खुदवाये गये कुओं की सहायतार्थ दी गई रकम की तालिका

सन् १९५६–५७

क्रमांक	जिला	तहसील	गांव	रकम जो दी गई	कैफियत
१	२	३	४	५	६
				रुपये	
१	जोधपुर	बिलाड़ा	मुर्कासमी	५००	
२	,,	जोधपुर	खीखेरिया	५००	
३	,,	,,	जोधपुर	५,०००	
४	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	५००	
५	भीलवाड़ा	हुरडा	गोपालपुरा	५००	
६	,,	सहाड़ा	गंगापुर	४००	
७	,,	मांडल	अमरगढ़	३५०	
८	,,	आसीन्द	बदनोर	३००	
९	,,	हुरडा	हुरडा	१५०	
१०	,,	,,	सामोदिया	४००	
११	कोटा	लाडपुरा	झोपडिया	५००	
१२	,,	कोटा	कोटा	७,०००	
१३	नागौर	नावा	मारोठ	५००	
१४	,,	,,	नावा	५००	
१५	,,	परबतसर	बाद	५००	
१६	चित्तौड़गढ़	निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	३००	
१७	,,	राश्मी	स्याने	५००	
१८	,,	गंगरार	चंगवासी	४००	
१९	,,	,,	गंगरार	२००	
२०	,,	भदेसर	रेयाकुंड	२००	
२१	,,	छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	४००	
२२	,,	बड़ी सादड़ी	बड़ी सादड़ी	४५०	
२३	सीकर	सीकर	सावलपुरा	५००	
२४	,,	,,	रावण का तालाव	५००	
२५	,,	,,	सीकर	५००	
२६	,,	दांता रामगढ़	लोसल	५००	
२७	,,	,,	खेन्दलोसन	५००	
२८	,,	,,	खूर	५००	

१	२	३	४	५	६
				रुपये	
२६	सीकर	दांतारामगढ़	धींगपुर	५००	
३०	,,	लछमनगढ़	देशनऊ	५००	
३१	,,	,,	खुशीबाड़ी	१,५००	
३२	,,	श्री माधोपुर	शीमरला	५००	
३३	,,	,,	कल्याणपुरा	५००	
३४	सीकर	श्री माधोपुर	कांवट	४००	
३५	सीकर	,,	गढ़ी	४००	
३६	झुंझुनू	खेतड़ी	बावराड़ा	५००	
३७	,,	,,	नांगलिया	५००	
३८	,,	उदयपुर	बदरासी	३००	
३९	बीकानेर	लूनकरनसर	फालेजी	५००	
४०	बीकानेर	नोखा	सिलवा	५००	
४१	पाली	बाली	बाली	४००	
४२	,,	,,	फालना	२,०००	
४३	चूरू	सरदार शहर	भदेसर	५००	
४४	,,	डूंगरगढ़	डूंगरगढ़	५००	
४५	,,	,,	देलवा	५००	
४६	,,	राजगढ़	राजगढ़	२००	
४७	चूरू	,,	,,	५००	
४८	,,	,,	रावतसर कुंजोले	५००	
४९	चूरू	,,	बीजावास	५००	
५०	गंगानगर	नौहर	देईदास	५००	
५१	बांसवाड़ा	बागीडोरा	नौगांव	५००	
५२	,,	,,	पिन्डलामा	५००	
५३	,,	लसाड़िया	खूंट	५००	
५४	,,	,,	लसाड़िया	५००	
५५	,,	मावली	गुडली	५००	
५६	,,	सलूम्बर	सलूम्बर	५००	
५७	,,	,,	भबराना	५००	
५८	उदयपुर	कुम्भलगढ़	केलवाड़ा	५००	
५९	डूंगरपुर	आसपुर	जसपुर	५००	
६०	,,	,,	माल	५००	
६१	सवाई माधोपुर	टोडाभीम	टोडाभीम	१,५००	

१	२	३	४	५	६
				रुपये	
६२	सवाई माधोपुर	सापोटरा	लुकुना	५००	
६३	,,	,,	गंसरी	५००	
६४	,,	,,	कल्याणपुरा	५००	
६५	,,	,,	रेकर	५००	
६६	,,	,,	लाजना	५००	
६७	,,	,,	सूरतपुर	५००	
६८	,,	हिन्डौन	खेरीदेवत	५००	
६९	सवाई माधोपुर	हिन्डौन	हिन्डौन	५००	
७०	,,	करौली	पीपरानी	५००	
७१	,,	,,	कोरीपुरे	५००	
७२	अलवर	राजगढ़	डबलामेव	१,०००	
७३	,,	बहरोर	मेतड़ा	१,०००	
७४	,,	राजगढ़	रेंनी	५००	
७५	,,	बांसरू	लाडपुरा	१,०००	
७६	,,	,,	बहेड़ी	१,०००	
७७	,,	,,	काजीपुर	१,०००	
७८	,,	,,	बासना	१,०००	
७९	,,	,,	शामपुरा	१,०००	
८०	,,	अलवर	अलरपुर	१,०००	
८१	,,	,,	खेरखेड़ी	१,०००	
८२	,,	,,	मांका	१,०००	
८३	,,	,,	रातावाके	५००	
८४	सिरोही	आबूरो	आबूरो ब्लॉकएरिया	१,०००	
८५	जयपुर	बस्सी	रामरिखपुर	५००	
८६	,,	,,	पाटण	५००	
८७	,,	,,	मुंडौली	५००	
८८	,,	,,	मानपुरा	३००	
८९	,,	सांगानेर	सांगानेर	५००	
९०	बूंदी	बूंदी	बूंदी	३००	
९१	जयपुर	फुलेरा	तुर्कीवास	५००	
९२	,,	,,	भसलाना	५००	
९२	,,	,,	फुलेरा	५००	
९४	,,	,,	भुजपुरा कला	५००	

१	२	३	४	५	६
				रुपये	
९५	जयतुर	फुलेरा	मांडोती	२५०	
९६	,,	,,	बागावास	५००	
९७	,,	,,	जोबनेर	५००	
९८	,,	,,	हरानिया	५००	
९९	,,	,,	हरिपुरा	५००	
१००	,,	फुलेरा	बासदी कला	५००	
१०१	,,	बैराठ	मौंड	५००	
१०२	,,	बस्सी	बामोंदा	१,०००	
१०३	,,	,,	,,	४००	
१०४	,,	,,	बस्सी	५००	
१०५	,,	,,	,,	५००	
१०६	,,	,,	शामपुर	५००	
१०७	,,	,,	मालसरखेड़ी	१,१५०	
१०८	भरतपुर	वेयर	खेरलीगूजर	५००	
१०९	,,	,,	नाहरपुर	१,०००	
११०	,,	भरतपुर	मुरवास	५००	
१११	,,	,,	घासोली	१,०००	
११२	,,	,,	टेंगोली	१,०००	
११३	,,	नदवई	खेरी देवीसिंह	१,०००	
११४	,,	कामा	कामा	१,०००	
११५	अजमेर	अजमेर	पुष्कर	२५०	
११६	,,	,,	दांबड़ा	२५०	
११७	,,	,,	खेड़ा	२५०	
११८	,,	,,	तिहाड़ी	२५०	
११९	,,	,,	भगेरा	२५०	
१२०	,,	,,	टांटोती	२५०	
१२१	,,	,,	बादली	२५०	
१२२	,,	,,	आनाकर	२५०	
१२३	,,	,,	पूरा	२५०	
१२४	,,	,,	गोपालपुरा	२५०	
१२५	बूंदी	बूंदी	बूंदी	३००	
	कुल योग			७७,८५०	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ३० अप्रेल, १९५७)

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
५०३	२	अंक २	अंक १
५०४	अन्तिम पंक्ति	ही दो गई।	ही दी गई है।
५०५	३०	श्री सुखड़िया	श्री सुखाड़िया
५०५	१३	श्री मैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
५१३	प्रथम पंक्ति के नीचे	—	(श्री उपाध्याय)
५१७-५१८	१	३० जनवरी, १९५७	३० अप्रेल, १९५७
५१८	१५	श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री	१५. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
५२३	२७	श्री पूनचद	श्री पूनमचन्द
५२८	२८	श्री भैरोंसिंह	१८. श्री भैरोंसिंह
५२९	२८	श्री पूनमचंद	श्री पूनमचद
५३२	३२	को भेजा जावगा	को भेजा जावेगा
५४०	२३	११४५ म. पू०	११.४५ म० पू०.
५४१	९	(एक माननीय	(एक माननीय
५४४	अन्तिम पंक्ति	को भड़कते हैं	को भड़काते हैं
५५०	६	का प्रतक होता है	का प्रतीक होता है
५५३	२८	१५ अगत के दिन	१५ अगस्त के दिन
५५३	२९	लहरा रहे थे	लहरा रहा था
५५८	१९	मिल सकेगा	मिल सकेगी
५७४	३५	to expite	to expire
५९५-५९६	१	३० अप्रल, ५७	३० अप्रेल, ५७
६५५	१	अभिभाषण-वादविवावद	अभिभाषण-वादविवाद
६५६	,,	,, ,,	,, ,,
७०३	२	(श्री शंकर	(श्री शंकरलाल)